लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

26 अप्रैल, 1972 । 6 वैशाख, 1894 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(i)	पंक्ति 3 , 'Vaisakha29' के स्थान पर 'Va isakha 6 ' पढ़िये ।
(xv)	अंतिम 1, नीचे से पंक्ति 10 , 'लोक सेवा समिति ' के स्थान पर 'लोक-सेवा समिति ' पढ़िये ।
1 23	नीचे से पंक्ति 4 और 7 'मध्याह्य ' के स्थान पर , 'मध्याह्न ' पढ़िये ।

विषय सूची/CONTENTS

अंक 32, बुधवार, 26 अप्रैल, 1972/6 बैशाख, 1894 (शक)

No. 32, Wednesday April 26, 1972/Vaisakha 29, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
562 कांच का उत्पादन	Production of glass	1—3
569 आसाम नागालैंड सीमा विवाद	Assam Nagaland Boundary Dispute	3—5
570 आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन	Pension to Freedom Fighters of Indian National Army	5—10
575 सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की फैक्टरियों में चार पारियों वाली पद्धति	Four Shift System in Factories in Public Sector and Joint Sector	10—11
576 "वयस्कों के लिए" वर्गीकृत फिल्मों का टेलीवीजन पर प्रदर्शन	Films for "Adults" Screened on TV	11—13
579 सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों की स्थापना	Setting up of Consumer Industries in Public Sector	13—16
580 राजस्थान में ट्रैक्टर फैक्टरी की स्थापना	Setting up of Tractor Factory in Rajasthan	16—17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
561	नये औद्योगिक एककों पर पुनर्विचार विस्तार पर बल	Rethinking on new Industrial Units Accent on Expansion 18
563	कर्मचारी पुनर्गठन पर मसानी सीमित की सिफारिश	Masani Committee Recommendation on Staff Reorganisation 18
564	काश्मीर स्थित अवामी कार्यवाही समिति के अध्यक्ष का आत्म निर्णय के अधिकार के बारे में कथित वक्तव्य	Statement Allegedly made by President of Awami Action Committee in Kashmir Regarding Right of Self Determination 18—19
565	असमान वितरण के कारण आर्थिक असंतुलन	Economic Imbalances due to Inequitable Distribution 19
566	डाक-तार के कार्य अध्ययन एकक द्वारा आरम्भ किया गया अध्ययन कार्य	Studies undertaken by Work Study Unit of P & T Board 19—20
567	अमरीकी नागरिकों द्वारा कोचीन का दौरा	American Citizens visiting Cochin 20
568	डाक जीवन बीमा के नये प्रस्तावों की क्रियान्विति	Implementation of New P. L. I. Proposals 20—21
571	1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में कमी	Set back to industrial production in border areas of Gujarat during Indo-Pak war, 1971 21—22
572	वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले वापस लेने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation regarding withdrawal of disciplinary Cases against Government Employees who participated in 1968 Strikes 22
573	आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर को अपने नियंत्रण में लेना	Take Over of Arthur Butler Company Limited Muzaffarpur 22—23
574	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में डाकुओं की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में बैठक	Meeting in connection with Tackling of Dacoit Menace in Madhya Pradesh Uttar Pradesh and Rajasthan 23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
577	धीमी गति के हिन्दी समाचार बुलेटिन	Slow speed News in Hindi	23—24
578	इंजीनियरिंग उद्योगों में क्षमता के उपयोग के लिए सर्वेक्षण	Survey for Utilisation of Capacity in Engineering Industry	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q.			
3969	थुम्बा स्थित राकेट निर्माण एकक का विस्तार	Expansion of Rocket Building Unit at Thumba	24
3970	फिल्म उद्योग में पूंजी निवेश	Investment in Film Industry	24—25
3972	साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएसन कोयम्बतूर द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य	Research made by South India Textile Research Association, Coimbatore	25
3973	खंडवा इन्दौर टेलीफोन लाइन का असंतोष जनक कार्य संचालन	Unsatisfactory Operation of Khandwa Indore Telephone Line	25
3974	मध्य प्रदेश के पूर्व निमाड़ जिले में वर्तमान टेलीफोन कनेक्शन	Existing Telephone Connection in East Nimar District, Madhya Pradesh	25
3975	राज्य पुलिस को परिवहन और संचार उपकरणों से सुज्जित करने के लिए मध्य प्रदेश को अतिरिक्त सहायता	Additional Assistance to Madhya Pradesh for equipping state Police with Transport and Communications	26
3976	देश में अनुसन्धान और विकास पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय	Per capita annual expenditure on Research and Development in the country	26
3977	जापान और संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में भारत में बनी फिल्मों की संख्या	Number of films produced in India as compared to Japan and U.S.A.	27
3978	फिल्म निर्माण में भारतीय चलचित्र निगम द्वारा लगाई गई धनराशि	F.C.I. money invested in production of Films	27—28
3979	मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Madhya Pradesh	28
3980	मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए आवंटित धनराशि	Fund allotted to Small Scale Industries in Madhya Pradesh	28—29
3981	मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों के लिए अप्रयुक्त निधि	Unutilised Funds for Small Scale Industries in Madhya Pradesh	29

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
3982 आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में विज्ञापन सेवायें आरम्भ करना	Extension of Advertising Services to other stations of A.I.R.	29
3983 एक वर्ष में टेलीविजन पर दिखाई गई फिल्मों की संख्या	Number of films telecast in a year	29—30
3985 पटना में स्कूटर कारखाने की स्थापना	Setting up of Scooter plant in Patna	30
3986 कुड्डप्पा और विशाखापतनम केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र बनाना	Conversion of Cuddappah and Visakhapatnam Station into full fledged Stations	30—31
3987 आंध्र प्रदेश में सहायक प्रादेशिक अधिकारी	Assistant Regional Officer in Andhra Pradesh	31
3988 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों की घुसपैठ तथा उनकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ	Infiltration of Pakistanis and their Anti National Activities during Indo Pak war	31—32
3989 टैलो के स्थान पर किसी अन्य वस्तु की खोज करने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान कार्य	Research made in Government Laboratories to find out substitute for Tallow	32
3990 चुनावों के दौरान विदेशी धन का आना	Inflow of Foreign Money during Election	32—33
3991 कांग्रेस और भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी चुनाव समझौते के बारे में आकाशवाणी दिल्ली से समीक्षा	Commentary on Congress C.P.I. Election Alliance over A.I,R. Delhi	33
3992 जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विलय	Amalgamation of Hill Areas of Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh	33
3993 विधान सभाओं के चुनावों में आकाशवाणी द्वारा तथा कथित पक्षपातपूर्ण प्रसारण	Alleged Partisan Air Broadcast during Assembly Elections	33—34
3994 मध्य प्रदेश में प्रधान मन्त्री विरोधी प्रचार में विदेशी शक्तियों का तथाकथित हाथ	Alleged Involvement of Foreign Powers in Anti Prime Minister Propaganda in Madhya Pradesh	34
3995 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच	Investigations conducted by Central Bureau of Investigation	34—35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
3996	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध की जा रही जांच के मामले	Cases against Officers being investigated by C.B.I. in West Bengal	35
3997	सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये उदार छात्रवृत्ति योजना	Liberalised Scholarship Scheme for Sainik School Students	35
3998	रूस से औद्योगिक वस्तुओं का आयात	Import of Industrial Items from U.S.S.R.	
3999	विदेशों में टेलिविजन का प्रशिक्षण	T.V. Training Abroad	36
4000	टेलविजन स्टाफ आर्टिस्टो के लिए पुनरीक्षित वेतन मान	Revised by Scales for T.V. Staff Artistes	36
4001	हाल के भारत पाक युद्ध के बारे में समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया	Newspapers Reactions on Recent Indo-Pak War	36—37
4002	काश्मीर के बारे में जम्मू तथा कश्मीर विधान सभा में जमात-ए-इस्लामी के नेता द्वारा वक्तव्य	Statement of Leader of Jamait-e-Islami Party in J & K Assembly Re. Kashmir	37
4003	आकाशवाणी टेलीविजन केन्द्र के लिये केजुअल नाटक कलाकारों का चयन	Election of Casual Drama Artistes for A.I.R. T.V. Centre	37—38
4004	केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के सीमान्त जिलों का विकास	Development of border Districts of U.P. by Central Government	38—39
4005	सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में प्रचार कार्य का पुर्नविलोकन	Review of Publicity work at the Conference of Information Ministers	39
4006	आकाशवाणी के महानिदेशक के पद का भरा जाना	Filling up of Post of Director General A.I.R.	39
4007	नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों के आचरण पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया का समाप्त किया जाना	Abolition of Procedure of Police verification of the Conducts of the Candidates before Employment	39—40
4008	बिहार में डिस्पेन्सरियों द्वारा डाक व तार विभाग के कर्मचारिरों को औषधियों का सप्लाई न किया जाना	Non Supply of Medicines to P & T Staff by Dispensaries in Bihar	40—41

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4009	विद्रोही नागओं की गतिविधियों	Rebel Nagas Activities	41
4011	भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात भारत के कब्जे में आए पवित्र धार्मिक स्थान एवं 'गुरूद्वारे	Holy Shrines 'Gurdwaras' under Indian Possession after Indo Pak war	41
4012	जनगणना कर्मचारी संघ, केरल द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Census Employees Union, Kerala	41—42
4013	सरकारी कर्मचारियों की हड़तालें	Strikes by Government Employess	42
4014	बेरोजगार स्नातकों के लिए मध्य प्रदेश की योजना	Madhya Pradesh Scheme for Unemployed Graduates	42
4015	इण्डियन एसेम्बली आफ यूथ की गतिविधियाँ	Activities on Indian Assembly of Youth	42—43
4016	शिक्षित बेरोजगरों के लिए कमर्शियल इस्टेट्स	Commercial Estates for Educated Unemployed	43
4017	सी० आई० ए० के ऐजेटों की भारत में गतिविधियां	Activities of C.I.A. Agents in India	43
4018	रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के लिए राज्यों को धन का आवंटन	Allocation of funds to States for Employment schemes	43—44
4019	विमान यात्रियों की तलाशी लेने का प्रशिक्षण देने हेतु एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up an Institution to Impart Training for Searching Air Passengers	44
4020	औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulation by Industrial Houses	44—45
4021	केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफरिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Centre State Relations	
4022	नरेला पुलिस स्टेशन, दिल्ली के विरूद्ध शिकायत	Complaint against Narela Police Station Delhi	45
4023	हिन्दी के समाचारपत्रों को दिये जाने वाले समाचारों की भाषा	Language of News Communicated to Hindi Newspapers	46

आ० ता० प्र० सँख्या U. S Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4024	भारत स्थित विभिन्न संस्थानों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Propaganda by various Institution in India	46
4025	तेल्लीचेरी में डाक टिकटों के अमूल्य संग्रह की क्षति	Loss of Invaluable Collection of Postal Stamps in Tellicherri	47
4026	उर्वरक कारखानों में प्रयुक्त होने वाले बड़े उपकरणों के मानकीकरण के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समिति	Panel of Experts to Suggest Standardisation of Major Items of Equipment required in Fertiliser Urits	47
3027	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात छोटी कार परियोजना	Small Car Project after Re-appraisal of Fourth Plan	47—43
4028	भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का निर्माण	Creation of Indian Service of Engineers	48
4030	कोटा परमाणु ऊर्जा केन्द्र	Kota Atomic Power Station	48—49
4031	आंध्र प्रदेश में उद्योगों के उत्पादनों पर बिजली की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Electricity on Production of Industries in A.P.	49
4032	सिगरेट निर्माताओं से अभ्यावेदन	Representation from Cigarettee Manufactures	49—50
4033	राष्ट्रीय रोजगार निधि	National Employment Fund	50
4034	भारतीयों को विदेशी कम्पनियों में रोजगार	Employment of Indians in Foreign Companies	50
4035	कम्पनियों का अर्जन करने के लिए मुआवजा	Compensation for A uistion of Companies	50
4036	चमड़ा उद्योग को वित्तीय और तकनीकी सहायता	Financial and Technical Assistance to Leather Industry	50—51
4037	तार-रज्जू एककों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Wire Rope Units	51
4038	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मद्रास स्थित रचनामूलक इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र को सहायता देना	UNDP Assistance to Structural Engineering Research, Madras	51—52
4039	स्कूटरों का निर्माण	Production of Scooters	52
4040	स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का पूरा होना	Completion of Auto Telephone Exchange Buildings	52—53
4041	मोतीहारी (बिहार) में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station at Motihari (Bihar)	53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4042	भारत स्थित विदेशी कम्पनियों के अधिकारियों के वेतन	Emoluments of Officers in Foreign Companies in India	53
4043	कूच बिहार शरणार्थी सेवा के कृत्यों तथा उद्देश्यों की जाँच	Enquiry into function and purposes of Cooch Bihar Refugee Service	53—54
4044	एयर इलेक्ट्रनिक परियोजना	Air Electronic Project	54
4045	राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि की दर	Rate of growth of population in States	54—55
4046	आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर का दिवालिया होना	Liquidation of Aurthur Butler Co; Ltd. Muzaffarpur	55
4047	फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित कलाकार	Film Institute Trained Artistes	55—56
4048	टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान	T.V. Training Institute	56
4049	केन्द्रीय सचिवालय में उप-सचिवों और इनसे उच्च पदों की संख्या	Number of posts of the rank of Deputy Secretaries and above in Central Secretariat	56—57
4050	कछार जिले में पाकिस्तान समर्थक और रजाकार	Pro Pakistani and Razakar elements in Cachar District	57
4051	डाक तथा तार बोर्ड में नई नियुक्तियाँ	Fresh appointment in P & T Board	57—58
4052	स्कुटर का कारखाना स्थापित करने के लिये मध्य प्रदेश का अनुरोध	Request from Madhya Pradesh for setting up of Scooter Plant	58
4053	दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी टेलीफोन सेवा	Connection of Delhi with State capitals by Direct Dialing System	58
4054	बंगला देश को भेजी जाने वाली तारों और टेलीफोन कालों के लिए शुल्क	Charges for Telegram to Telephone calls to Bangla Desh	58—60
4055	विद्यालय-पूर्व पोषण कार्यक्रम सम्बन्धी अन्तर विभागीय समिति	Inter departmental Committee on Pre school feeding programme	60—61
4056	फर्मों और कम्पनियों पर टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि	Outstanding telephone dues against firms and companies	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4057	उद्योगों में स्थापित क्षमता का उपयोग	Utilization of installed capacity in industries	62
40. 8	मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए सहायता	Assistance for industrial projects in backward areas in Madhya Pradesh	62—63
4059	सिग्रेट निर्माता कम्पनियां	Cigarette Manufacturing Companies	63
4060	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फोटो डिवीजन का बढ़ता हुआ खर्च	Rising Expenditure on Photo Division Ministry of Information and Broadcasting	63
4061	पटना स्थित आकाशवाणी के चौकीदारों के लिए एक समान काम के घण्टे	Duty Hours of Patna A.I.R. Chowkidar	64
4062	आकाशवाणी में कार्य करने वाले चौकीदारों के एक समान काम के घण्टे	Uniform Duty Hours of A.I.R. Chowkidars	64
4063	भारत में इन्टेग्रेटेड सर्किट का निर्माण	Manufacture of Integrated Circuits in ndia	64—65
4064	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का खराब होना	Break Downs in Atomic Power Plants	65
4065	नैनी में टेलीफोन यंत्र बनाने की फैक्टरी	Telephone Instruments Factory at Naini	65
4066	दिल्ली मानिट्रिंग स्टेशन	Delhi Monitoring Station	65—66
4067	डनलप द्वारा टायरों का उत्पादन	Manufacture of Tyre by Dunlop	66
4068	सेवा निवृत्ति की आयु को कम करना	Lowering of Retirement Age	66
4069	भारतीय सर्वेक्षण विभाग का विस्तार	Expansion of the Department of Survey of India	66—68
4070	पश्चिम बंगाल में बन्द हुए इंजीनियरी एककों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना	Taking over of closed Engineering Units in West Bengal	68
4071	ट्रंक केन्द्रों में सुधार	Improvement of Trunk Exchanges	68—69
4072	दिल्ली में नगर निगम के पार्षदों को विवेकाधीन धनराशि आवंटित करना	Allocation of Discretionary Funds to Municipal Councillors in Delhi	69
4073	आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति की योजना	Scheme for Appointment of Producers in A.I.R.	70
4074	आकाशवाणी के 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव'	Programme Executives of A.I.R.	70

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4075	बिहार के किशनगंज ठाकुरगंज और पूर्णिया में बुक की गई टेलीफोन कालें	Telephone calls booked at Kishanganj Thakur Ganj and Purnea Bihar	70—71
4076	आकाशवाणी में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव	Programme Executives with A.I.R. on ad hoc basis	71
4077	स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग की सहायता	Association of U.P.S.C. with appointment of Staff Artistes	72
4078	मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डाकुओं द्वारा आत्म समर्पण	Surrender by dacoits in Madhya Pradesh Uttar Pradesh and Rajasthan	72
4079	केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध जांच	Investigations by C.B.I. against Gazetted and non Gazetted Officers	72—73
4081	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को स्कूटरों, एम० एस० बिलेट्स और रेजर प्लेटों के लिए आशय पत्र जारी किया जाना	Issue of letter of Intent of U.P. State Industrial Corporation for Scooters M. S. Billets and Razor Plates	73—74
4082	देहरादून में रेडियो स्टेशन	Radio Station at Dehradun	74
4083	एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड का बन्द होना	Closure of M/s Alcock Ashdown & Co. Ltd.	74—75
4084	कश्मीर में प्रशिक्षित पाक मुजहिदों की घुस पैठ	Infiltration of Trained Pak 'Majahids' into Kashmir	75
4085	समाचार पत्रों के आर्थिक पहलू की जांच करने के लिए अध्ययन दल	Study Team to go into Economics of Newspaper	75—76
4086	तारापुर अणु विद्युत केन्द्र के बन्द होने से महाराष्ट्र और गुजरात के उद्योगों को हुई हानि	Loss suffered by Industries in Maharashtra and Gujarat due to the closure of Tarapur Atomic Plant	76—77
4087	गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Gujarat	77—78
4088	गुजरात में उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्र	Applications for Licences for Establishments/Expansion of Industries in Gujarat	78

अ० ता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4089	टेलीविजन सैटों के आयात पर प्रतिबंध	Ban on Import of T.V. Sets	78—79
4090	सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programme for Development of Sunderbans Region	79
4091	विस्तार की अनुमति प्राप्त उद्योगों में नई मशीनों का प्रयोग	Use of New Machinery in Iudustries permitted Expansion	79
4092	रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में स्टेटिस्टीकल सहायक के पदों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Statistical Assistants in the Office of Registrar General	79—80
4093	बड़ौदा स्थित उद्योगों के लिए मलनिकास चैनल का निर्माण	Construction of Effuent Disposal Channel for Industries in Baroda	80—81
4094	वरिष्ठ प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पात्रता	Eligibility of Officers of Central Engineering Service Class I for Appointment In Senior Administrative Posts	81
4095	भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के अधिकारियों के सेवा संबंधी भावी हितों के प्रबंध को समरूपी बनाने का प्रस्ताव	Proposal to bring Uniformity in Career Management of I.A.S. and Central Engineering Services	81
4096	इंजीनियरी सेवाओं में असंतोष	Discontentment among the Engineering Service	81—82
4097	केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों की पात्रता	Eligibility of Central Service Class I Officers for Appointment to Senior Administrative Posts in Central Secretariat	82—83
4098	केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी द्वारा विकसित चीनी मिट्टी के माइक्रोफोन	Ceramic Microphones Developed by Central Electronics Engineering Research Institute Pilani	83—84
4099	स्कूटरों की चोरबजारी	Blackmarketing of Scooters	84
4101	चौथी योजना में उत्तरी बंगाल का विकास	Development of North Bengal during Fourth Plan	84
4102	बेरोजगार इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसर	Opportunities for Employment for Unemployed Engineers	85—87

अ० ता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
U. S. Q. N			
4103	पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences for Setting up of Industries in West Bengal	87
4104	विदेशी सहयोग संबंधी करार	Foreign Collaboration Agreements	88
4105	लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा उत्पादों की बिक्री के लिए मण्डियों का पता लगाने में असफलता	Inability of Small Scale Industries Development Organisation to find Markets for Products	88
4106	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादों का निर्यात	Export of Products from H. B. L. Bhopal	88—89
4107	रद्दी चमड़े से बोर्ड बनाना	Manufacture of Board with Waste Leather	89
4108	श्रीहरिकोटा रेंज से स्वदेशी राकेटों का पता रखना	Tracking of Indigenous Rockets from Srihariketa Range	89
4109	कलकत्ता में एक एनर्जी साईक्लोट्रोन की स्थापना	Setting up of an Energy Cyclotron in Calcutta	89
4110	अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	Space Science and Technology Centre	90
4111	चौथी योजना में माइक्रोवेव लक्ष्य	Micro wave Target in Fourth Plan	90—91
4112	नए अनुसंधान रियेक्टरों का निर्माण	Construction of New Research	91
4113	कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर	Rate of Growth of Agricultural and Industrial Production	91—92
4115	चलते फिरते डाकघरों का खोला जाना	Opening of Mobile Post Offices	92—93
4116	काउन्टर सेवाओं का यंत्रीकरण और डाक मशीनों का रख-रखाव	Mechanisation of Counter Services and Maintenance of Postal Machines	93
4117	अमूल हारलिक्स और ग्लेक्सो कारखानों का विस्तार	Expansion of Amul, Horlicks and Glaxo Factories	93—94
4118	दुग्ध उत्पादों का देश में उत्पादन	Indigenous Production of Milk Products	94
4119	बाल आहार का उत्पादन और मांग	Production and Demand of Baby Food	94—95
4120	सपरेटा पाउडर का उत्पादन	Production of Skim Milk Powder	95—96

अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4121	दूध उत्पाद उद्योग का विस्तार और आधुनिकरण	Expansion and Modernisation of Milk Products Industry	96—97
4122	वेस्पा स्कूटर की चोर बाजारी	Blackmarketing of Vespa Scooters	97
4123	लम्ब्रेटा स्कूटर के आबंटन के लिये पंजीकरण	Registration for Allotment of Lambretta Scooter	97—98
4124	वर्षा और भूमि स्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का सर्वेक्षण	Survey of Damage caused due to Rain and Landslides in Himachal Pradesh	98—99
4125	पहाड़ी क्षेत्रों के लिये योजना आयोग में एक सेल' की स्थापना	Setting up of a Cell in Planning Commission for Hill Areas	99—100
4126	भारतीय साँख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां	Promotions in Indian Statistical Service	100
4127	भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियाँ	Promotions in Indian Statistical Service	100—101
4128	लाल डेंगा का अता-पता	Whereabouts of Laldenga	101
4129	गैर केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों का मंत्रालयों में अवर सचिवों के रूप में काम करना	Non C. S. S. Officers Working as under Secretaries in Ministries	101—102
4130	कार्बइड के अधिक मात्रा में जमा होने के कारण सब्जी मंडी, दिल्ली में आग लगना	Fir in Subzi Mandi, Delhi due to Accumulation of large Stock of Carbide	102
4131	अधिकारियों द्वारा डाक तार विभाग के निरीक्षण कवार्टरों का उपयोग	Use of Inspection Quarters of P & T Department by Officers	102—103
4132	डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की इंण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में प्रतिनियुक्ति	Posts and Telegraphs Officers' Deputation to I.T.I.	103—104
4133	फिलिप्स फैक्टरी कलकत्ता बन्द हो जाना	Closure of Philips Factory, Calcutta	104
4134	16-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में औद्योगिक कारखानों की स्थापना	Setting up of Industrial Units in Tripura unper 16-Point Programme	104—105
4135	गया में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing System in Gaya Bihar	105
4136	राष्ट्रीय एकता का कार्य करने वाले संस्थानों के लिए अनुदान	Grants of Organisations doing National Integration work	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
4137 गंगा नगर टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा बढ़ा चढ़ा कर टेलीफोन बिल भेजा जाना	Inflated Telephone Bills by Ganganagar Telephone exchange	105—106
4138 वर्ष 1972 के लिए दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी	Delhi Telephone Directory for 1972	106
4140 'योजना' का तेलगू संस्करण	Telugu Edition of 'Yojna'	106
4141 आन्ध्र प्रदेश ने आकाशवाणी के संवाददाता	A.I.R. Correspondents in Andhra Pradesh	106—107
4142 तेलगू कार्यक्रम पत्रिका "वाणी'	Telugu Programme Journal "Vani"	107
4143 अखिल भारतीय सेवाओं की परिक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की संख्या में वृद्धि करने की मांग	Demand for an increase in Number of Chances for Appearing in All India Services Examinations	107
4144 दिल्ली में उप पुलिस अधीक्षक के पद	Posts of Deputy Superintendent of Police in Delhi	107—108
4145 स्कूटर संयंत्र का जोधपुर से अलवर को स्थानान्तरण	Shifting of X Scooter Plant from Jodhpur to Alwar	108
4146 उड़ीसा सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में अलग से साक्षात्कार करने के आदेश	Instructions to Government of Orissa to hold separate interviews in the case of appointment of scheduled caste and Scheduled Tribe candidates	108—109
4147 भारतीय प्रशासनिक सेवा में भरती किए जाने वालों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठ भूमि का अध्ययन	Study of socio-economic background of recruits to I.A.S.	109—110
4148 तामिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं दान धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम, 1970	Tamil Nadu Hindu Religious and Charitable Eedowment (Amendment) Act, 1970	110
4149 भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए फ्रांस से सहायता	French aid in setting up for an Atomic Energy Project in India	110—111
4150 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास विभाग लि० के प्रबंध के विरूद्ध दीवानी मुकदमा	Civil Suits against the Management of National Industrial Development Corporation Ltd.	111
4151 हिन्दी सलाहकार और हिन्दी सलाहकार समिति के कार्य	Functions of Hindi Adviser and Hindi Advisory Committee	111

4152 लिंक रोड दिल्ली स्थित पेट्रोल पम्प के लूटे जाने की घटना — Alleged looting of a Petrol Pump at Link Road, Delhi 111—112

4153 विदेशों से संयंत्रों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव — Proposal for shifting of plants from Foreign Countries 112—113

4154 कूच बिहार में कूचविहार शरणार्थी सेवा के विरूद्ध प्रदर्शन — Demonstration against Coach Bihar Refugee Service in Cooch-Bihar 113

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — Calling Attention to matter of Urgent Public Importance 113

व्यास सतलुज परियोजना में विस्फोट होने से चार व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार — Reported death of four persons as a result of a blast in Beas Sutlaj Project 113

श्री वीरभद्र सिंह — Shri Vir Bhadra Singh 113—114

श्री बैजनाथ कुरील — Shri B. N. Kureel 114—115

सभा पटल पर रखे गये पत्र — Papers laid on the Table 115—117

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति बारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश — Committee on Public undertakings Twelth Report and Minutes 117

प्राक्कलन समिति — Estimates Committee 117

उन्नीसवां और बीसवां प्रतिवेदन — Nineteenth and Twentieth Report 117

लोक सेवा समिति — Public Accounts Commi 117

सैंतीसवां और छियालीसवां प्रतिवेदन — Thirty seventh and Fourty sixth Reports 117—118

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य — Statement Re-Arrangement for Deep Sea Fishing 118

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे — Shri Annasaheb P. Shinde 118—119

मैसूर हुबली पेसेंजर गाडी के पटरी से उत्तर जाने के बारे में वक्तव्य — Statement Re. Derailment of Mysore Hubli Passenger Train 119

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी — Shri Mohd. Shafi Qureshi 119—120

संविधान (उन्तीसवां संशोधन) विधेयक-पुरः स्थापित — Constitution (Twenty Ninth Amendment) Bill Introduced 120

अता० प्र० संख्या U. S. U. No.	विषय	SBJACAT	पृष्ठ/PAGE
	अनुदानों की माँगें 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	120
	विदेश मंत्रालय	Ministry of External Affairs	120
	श्री संत बख्श सिंह	hri Sant Bux Singh	120—121
	श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	121
	श्री शंकर देव	Shri Shankar Dev	123
	श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	124—125
	श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Reghunandan Lal Bhatia	125—126
	श्री रुद्र प्रताप सिंह	Shri Rudra Pratap Singh	126
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	126—132
	औद्योगिक विकास मंत्रालय	Ministry of Industrial Development	133
	श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	133—138
	श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	131—140
	श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	140—141
	श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli	14.—142
	श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi	142—143
	श्री एम० एस० संजीवी राव	Shri M. S. Sanjeevi Rao	148—144
	डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandey	144—145
	श्री तारकेश्वर पाण्डे	Shri Tarkeshwar Pandey	145—146
	श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavada	146
	श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das	146—147
	श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे	Shri Krishna Chandra Pandey	147—148
	श्री के० लक्कप्पा	Shri K. Lakkappa	148
	श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shri Krishan Modi	149
	श्री ए० के० एम० इसहाक	Shri A. K. M. Ishaque	149

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 26 अप्रैल, 1972/6 वैशाख, 1894 (शक)
Wednesday, April 26, 1972/Vaisakha 6, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कांच का उत्पादन

*562. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कांच का वार्षिक उत्पादन कितना है और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी योजना के आरम्भ में काँच का उत्पादन की तुलना में यह कम है अथवा अधिक है, और

(ख) पहली योजना से पूर्व उत्पादित कांच की किस्मों की तुलना में इस समय इसकी कौन-कौन सी नई किस्मों का उत्पादन हो रहा है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1971 में काँच का उत्पादन 2,90,000 मीट्रिक टन था । पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में उत्पादन नीचे दिये अनुसार था :

1950–51	92,000	मीट्रिक टन
1955–56	1,25,000	,, ,,
1960–61	2,25,000	,, ,,
1968–69	2,50,000	,, ,,

(ख) नई किस्म का निर्मित किया जा रहा कांच प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व बनाये गये कांच की तुलना में इस प्रकार है ।

प्रथम योजना के पहले निर्मित माल	योजनाविधियों में बनाये गये किस्म का माल
1. कांच की बोतलें	1. तारदार वचित्रित कांच
2. टेबिल तथा प्रेस्ट वेयर	2. सुरक्षा काँच
3. लेम्पवेयर	3. फाइवर कांच
4. विद्युत लेम्पों के लिये कांच के शैल	4. कांच के बिल्डिग ब्लोक
5. प्रयोगशाला में कांच का सामान	4. चाक्षुष कांच
6. शीट ग्लास	6. केपीलरी ग्लास ट्यूबिंग
	7. माइक्रोस्कोपिंग स्लाइड्स में काम आने वाला पतला कांच
	8. ग्लास चेटन्स् ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि पाँच छः वर्षों के दौरान देश में कांच का उत्पादन तीन लाख टन से भी ऊपर बढ़ा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश के कांच उद्योग को 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की आमदनी होती है, क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि क्या विदेशों को और अधिक मात्रा में कांच का निर्यात किया जा सकता है ? यदि हाँ, तो अब तक कुल कितना कांच विदेशों को निर्यात किया गया है और इससे कितनी आय हुई है और कांच उद्योग को चलाने के लिये कितनी मात्रा में विदेशों से कच्चे माल का आयात किया जा रहा है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अब तक हम कांच के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे और केवल दो मदों को छोड़कर इस क्षेत्र में हमने आत्म-निर्भरता लगभग प्राप्त कर ली है । अब हम यह पता लगायेंगे कि हम किस सीमा तक कांच निर्यात कर सकते हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम कांच उद्योगों के लिए विदेशों से कितना कच्चा माल आयात करते हैं तथा कितने रुपये का कांच विदेशों को निर्यात करते हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस सम्बन्ध में आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं हैं । विदेश व्यापार मन्त्रालय के पास यह आंकड़े होंगे । जहां तक आयात का सम्बन्ध है, हम दो किस्म के कांच का आयात करते हैं । इनमें से एक 'प्लेट ग्लास' है जिसका मूल्य 13·2 लाख रुपये के लगभग बैठता है और दूसरा·····

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कच्चे माल के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मन्त्री महोदय का कहना है कि यह आंकड़े विदेश मन्त्रालय से उपलब्ध होंगे । किन्तु मेरा दूसरा प्रश्न अत्यन्त संगत है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मिस्टर किसिंगर की रूस की गुप्त यात्रा के पूर्व और बाद में अमरीका को कितनी मात्रा में कांच की चूड़ियाँ निर्यात की गईं ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : बड़ी मात्रा में कांच अमरीका को निर्यात किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मिस्टर किसिंगर कहां से आ गये ?

Shri R. V. Bade : Is it a fact that imported refractors are used in Railway engines instead of our own manufactured one ?

Shri Siddheshwar Prasad : As I have said two types of glasses are not manufactured in the country and they are imported. One of them is the plate glass which is imported from abroad.

श्री सुबोध हंसदा : कांच की एक नई किस्म चश्मे के कांच का भी उत्पादन देश में किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में चश्मे के कांच की वर्तमान मांग कितनी है ? दुर्गापुर चाक्षुष कांच फैक्टरी की उत्पादन दर क्या है तथा क्या यह उत्पादन हमारी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इससे हमारी मांग पूर्ण नहीं होती और इसी कारण हम विदेशों से चाक्षुष कांच का आयात करते हैं। दुर्गापुर फैक्टरी निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही है और हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि फैक्टरी का उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुसार हो।

आसाम नागालैण्ड सीमा विवाद

*569. **श्री निहार लास्कर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम नागालैण्ड सीमा पर तनाव में कुछ कमी हुई है;

(ख) सुन्दरम आयोग सम्भवतया कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगा; और

(ग) इन दो राज्यों के बीच विवाद को हल करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) असम-नागालैण्ड सीमा सम्बन्धी सलाहकार द्वारा दोनों राज्यों से सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को हटाने के सम्बन्ध में कराये गये अन्तिरिम करार के परिणामस्वरूप सीमा पर तनाव कम हो गया है।

(ख) और (ग) : श्री के० व्ही० के० सुन्दरम, जो भारत सरकार द्वारा सलाहकार नियुक्त किये गये थे, हाल में दोनों राज्यों के बीच की सीमा समस्या की जांच कर रहे हैं। इस समस्या के एक सम्मत समाधान की संभावना का पता लगाने के लिये वे राज्य सरकारों के साथ बातचीत करते रहे हैं और इस समय भी कर रहे हैं। इसके बाद उनको आशा है कि वे शीघ्र अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देंगे।

श्री निहार लास्कर : यह बड़े दुख: का विषय है कि हमारे लोग सीमा विवाद के कारण आपस में झगड़ते रहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि आसाम नागालैंड सीमा को 1925 की अधि-सूचना में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि हाँ, तो फिर सीमा के सम्बन्ध में विवाद कैसे उठ खड़ा होता है। थोड़ी बहुत भूमि को समायोजित करना पड़ा। क्या सरकार इस बारे में सुनिश्चित दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी। हमारे क्षेत्र में मणिपुर, मेघालय और अरूणाचल आदि में नए नए राज्य बन रहे हैं। यदि आप इस मामले में स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपनाते, तो लोग विद्यमान सीमाओं को मान्यता नहीं देंगे और गड़बड़ी फैल जाएगी। सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : सरकार मौजूदा सीमाओं को जानती है किन्तु सड़कों कुछ आरक्षित वनों आदि को लेकर विवाद खड़े हो गये हैं और इस कारण से दो राज्य सरकारो में तनाव

उत्पन्न हो गया है । इन विवादों का अध्ययन करने के लिये एक सलाहकार नियुक्त किया गया है तथा उसने राज्य सरकारों के परामर्श से कई बार इन क्षेत्रों का दौरा किया है । सलाहकार दोनों राज्यों में सहमति के लिये प्रयत्न कर रहा है ताकि उनमें तनाव को समाप्त किया जा सके ।

श्री निहार लास्कर : 1925 की अधिसूचना में असम और नागालैण्ड की सीमाओं का निर्धारण किया गया है । नागालैण्ड विधान सभा में वहां के मुख्य मन्त्री ने कहा है कि यह विवाद मात्र असम और नागालैण्ड की सीमाओं से सम्बधित नहीं है बल्कि इसमें नागालैण्ड की कई वर्ग मील भूमि की वापसी का भी प्रसन्न है जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये दिया था । केन्द्रीय सरकार का इस बारे में क्या रवैया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : सदन इस बात से भली भाँति अवगत है कि बहुत सी राज्य सरकारें भाषा, भौगोलिक स्थिति, कुछ जनजातियों को इकट्ठा करने या ऐसे ही किसी न किसी आधार पर भूमि पर दावा करती रहती है । माननीय सदस्य द्वारा नागालैन्ड के मुख्य मन्त्री के जिस वक्तव्य का हवाला दिया गया है, इसमें उन परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है । जो वह चाहते हैं । इन्ही बातों को देखते हुये सलाहकार की नियुक्ति की गई है । इससे पूर्व कि विवाद हिंसात्मक तथा भयंकर रूप धारण करे, सलाहकार दोनों राज्यों के साथ परामर्श करके शान्ति से मामला निपटाने का प्रयत्न करेगा । यहां यह मामला विचारणीय नहीं है कि राज्य सरकारों को ऐसे दावे करने चाहिए अथवा नहीं । राज्य सरकारों के द्वारा दावे तो किए जाएंगे और यह इसी का उदाहरण है ।

श्री डी० इसुमतारी : नागालैंड और असम के बीच विवाद को हल करने के लिए आयुक्त को कौन से सिद्धान्त का पालन करना है । अभी माननीय सदस्य ने कहा है कि 1925 के समझौते में सीमा को परिभाषित किया गया है । क्या वे 1925 के समझौते के अतिरिक्त भी कुछ और भूमि पर दावा कर रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : सलाहकार को इन बातों के आधार पर यह निर्देश दिये गये हैं । सलाहकार असम, नागालैंड सीमा के बारे में तथ्यों तथा नागालैंड राज्य अधिनियम 1962, की धारा 3 के उपबन्धों सहित स्थिति के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता का पता लगायेगा । सलाहकार दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों तथा उन व्यक्तियों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझेगा परामर्श करेगा । और ऐसा हल निकालने के लिए प्रयत्न करेगा जिससे कि दोनों राज्यों की जनता के कल्याण तथा हितों में वृद्धि हो एवं उनमें पारस्परिक विश्वास और सद्भावना उत्पन्न हो सके । वह अपना अन्तिम निर्णय देने तक सीमांत क्षेत्रों में शान्ति बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हुआ, तो सुझाव भी देगा ।

श्री दशरथ देव : स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राज्यों की सीमाओं का पुनः समायोजन राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार भाषा के आधार पर किया जाता रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नागालैंड के मामले में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित की गई सीमा को मानने के स्थान पर भाषा को ही आधार बनाया जायेगा ।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि कुछ राज्यों के भाषा या जनजातियों के आधार पर, जैसा कि वर्तमान मामले में हो रहा है सीमाओं में कुछ परिवर्तनों के दावे किए हैं किन्तु सरकार का राज्यों सीमाओं की पूर्ण रूप से पुनः जांच करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री तरुण गगोई : क्या यह सच है कि भारत सरकार के सलाहकार ने इस विवाद को

हल करने के लिये नागालैंड और असम सरकारों द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण का सुझाव दिया था किन्तु नागालैंड सरकार ने इसमें सहयोग करने से इन्कार कर दिया ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह कहना ठीक नहीं होगा कि दोनों राज्यों में से कोई सरकार सहयोग नहीं दे रही है । इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों राज्यों में तनाव उत्पन्न हो गया है । उन्होंने अपनी सशस्त्र पुलिस को सीमा पर तैनात कर दिया था और कुछ अवांछनीय घटनाएं भी हुई थीं । किन्तु हमें आशा करनी चाहिये कि सलाहकार महोदय अपने प्रभाव द्वारा दोनों राज्यों में परस्पर सहमति प्राप्त व्यवस्था करने में सफल हो जायेंगे ।

श्री सी० सी० गोहेन : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार असम और नेफा, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, के बीच काफी लम्बे अरसे से चले आ रहे विवाद की जांच के लिए इसी आयोग या अन्य किसी आयोग की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो आयोग जांच कार्य कब आरम्भ करेगा और यदि नहीं, तो आयोग की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं । क्या यह सच नहीं है कि असम के राज्यपाल की 1951 की अधिसूचना के अन्तर्गत एक सामान्य आदेश के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की 1320·6 वर्ग मील भूमि ऐसे समय में असम को हस्तांतरित कर दी गई थी, जबकि नेफा की जनता अपने वैध अधिकारों से परिचित नहीं थी ? यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं क्या असम और नागालैंड तथा असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच इन सीमा विवादों का निर्णय 1925 के सर्वे आफ इण्डिया के मानचित्रों के अनुसार किया जाएगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा : यह प्रश्न असम नागालैण्ड सीमा विवाद से सम्बन्धित है । माननीय सदस्य अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहे हैं, जो यहां संगत नहीं है ।

आजाद हिन्दी फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन

*570. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज के स्वतन्त्रता सेनानियों को सरकार द्वारा राजनीतिक पीड़ितों के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) क्या आजाद हिन्दी फौज के अनेक सेनानी आजीविका के साधनों की कमी के कारण आजकल अत्यन्त कठिन जीवन बिता रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने की जो योजना बनाई है उसकी सभी सुविधाएं आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों को भी देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है ।

(ग) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों समेत सभी स्वतन्त्रता सेनानी, जो इस योजना के अन्तर्गत पात्र हैं, इस योजना में आते हैं ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने की योजना का ब्यौरा बतलाने वाला विवरण

भारत सरकार उन स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिन्होने मुख्य भूमि की जेलों में स्वतन्त्रता से पूर्व कम से कम छः महीने की जेल काटी थी, 15 अगस्त, 1972 से पेंशन देने की एक योजना लागू करेगी। उन मामलों में जिन में स्वतन्त्रता सेनानी जीवित नहीं हैं, उनके परिवार पेंशन पाने के अधिकारी होगे। उन शहीदों के परिवार भी, जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये प्राण न्यौछावर किये, पेंशन पाने के अधिकारी होंगे। यह पेंशन, जो आमतौर पर पाने वाले व्यक्ति को जीवन-पर्यन्त दी जायगी, स्वतन्त्रता सेनानी/शहीद और/अथवा उनके परिवारों की वित्तीय स्थिति और किसी राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र से उनको मिलने वाली पेंशन/मासिक भत्तों को ध्यान में रख कर दी जायेगी। स्वतन्त्रता सेनानियों को कम से कम कुल मिलाकर 200 रुपये प्रति माह पेंशन मंजूर की जायगी, परिवारों को यह 100 रुपये से 500 रुपये प्रति माह तक दी जायगी। स्वतन्त्रता सेनानी/शहीद के परिवार का एक ही सदस्य पेंशन पाने का अधिकारी होगा। परिवार में स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा, अविवाहित लड़कियां और मां और आपवादिक मामलों में पुत्र भी शामिल हैं जहां वे अपने पिता के जेल जाने/शहीद होने से जीवन में अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। 15 अगस्त, 1972 के बाद प्राप्त आवेदनों पर केवल मंजूरी की तारीख से पेंशन दी जायेगी। उन स्वतन्त्रता सेनानियों को जिन्हें उनकी वित्तीय अवस्था के कारण पेंशन स्वीकार नहीं की जा सकती, देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र देने के बारे में विचार किया जायेगा।

श्री समर गुह : राष्ट्रीय संग्राम में आजाद हिन्द फौज के सैनिकों का योगदान, त्याग और बलिदान सर्वविदित है। गृह मन्त्रालय ने दि ंक 3–5–61 के अपने पत्र संख्या 42–61/सी में बताया है कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को राजनीतिक पीड़ित समझा जाना चाहिये। अब माननीय मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक पेंशन के हकदार होंगे बशर्ते कि वे इसके लिये योग्य हों। ऐसी योग्यता की शर्त एक परिपत्र में दी गई है। जिसमें यह बताया गया है कि वे लोग इसके योग्य होंगे, जिन्होंने देश के मुख्य भूभाग की जेल में स्वतन्त्रता से पूर्व कम से कम छः महीने की कैद काटी हो। यह सर्वविदित है कि आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के महान नेतृत्व में भारत के मुख्य भूभाग में नहीं अपितु मुख्यतः भारत से बाहर लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारत के कुछ सीमांत क्षेत्रों में भी लड़ाई लड़ी। अतः यदि मुख्य भूभाग की शर्त का लड़ाई से पालन किया जाता है, तो वे इसके अधिकारी नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि यह भी सब लोग जानते हैं कि जापान के पतन के बाद इनमें से अधिकांश व्यक्ति, लगभग 20,000 बर्मा और थाईलैंड के युद्धबन्दी शिविरों में थे, वे भारत वापस आने से पूर्व युद्धबन्दी शिविरों में थे, जेल में नहीं। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को स्वतन्त्रता सेनानी समझा जाएगा, और क्या पेंशन के लिए इन दो शर्तों को समाप्त किया जाएगा ताकि वे स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रदत्त लाभों के पात्र हो सकें ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि 1961 में जारी किए गए गृह मंत्रालय के परिपत्र

में, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, यह बताया गया है कि भारत सरकार आजाद हिन्द फौज आन्दोलन की गतिविधियों में भाग लिए जाने को भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के बराबर ही समझेगी। इसको ध्यान में रखते हुए, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में माना गया है और राजनीतिक पीड़ितों के लिये स्वीकार की गई सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार, वित्तीय सहायता, उनके बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायत आदि के मामले में वे सहायता के पात्र हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि नौकरी आदि पाने के लिये और अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिये राज्य सरकारों द्वारा मंजूर की गई रिआयत के बारे में राज्यों में भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के समान माना जाये।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की इस नई योजना के बारे में, जो भारत सरकार ने अभी ही आरम्भ की है और जिसका ब्यौरा इस प्रश्न के उत्तर में अंश के रूप में दिया गया है, पूर्ववर्ती योजना का विस्तार है जिसके अन्तर्गत केवल अंडमान के कारावास वाले व्यक्ति ही आते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों की दशा में सुधार के लिये और उन्हें पेंशन के रूप में अनुदान अथवा भूमि अनुदान देना अथवा इसी तरह की अन्य वस्तुओं को देने की राज्य सरकारों की विभिन्न योजनायें हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की भी एक योजना थी, जिसके अन्तर्गत केवल वही व्यक्ति आते हैं जो अंडमान की जेल में थे। अब, यह योजना काफी व्यापक बना दी गई है और इसमें वे सभी स्वतंत्रता सेनानी आ जाते हैं जिन्होंने मुख्य भूमि की जेलों में स्वतंत्रता से पूर्व कम से कम छः महीने की जेल काटी थी और यह योजना उनके परिवारों पर भी लागू होती है, जहां स्वतंत्रता सेनानी अब जीवित नहीं हैं।

इस योजना को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनेक योजनायें हैं जिसके लिए अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी अधिकारी है। विशेष परिस्थितियों के लिये सरकार द्वारा प्रायोजित यह एक विशेष योजना है और यहां पर रखी गई शर्तों को पूरा करने की सीमा तक इसमें केवल भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी ही इसके अन्तर्गत आयेंगे।

श्री समर गुह : यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि सरकार यह कहने में गर्व का अनुभव करती है कि आजाद हिन्द फौज के लोग स्वतंत्रता योद्धा रहे हैं लेकिन उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन को देने से इन्कार किया जा रहा है। उनमें से हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है और यह उन शहीदों की राख है जिस पर हमने अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की इमारत खड़ी की है। माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आजाद हिन्द फौज के लोगों को उस पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अन्तर्गत केवल उन स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों को लिया गया है जिन्होंने मुख्य भूमि की जेलों में कम से कम छः महीने की जेल काटी थी। स्वतंत्रता सेनानियों के एक भाग को, तो भारत के अन्दर लड़ा है और जिसे भारत के अन्दर जेल काटनी पड़ी है, उन्होंने हजारों शूरवीर आजाद हिन्द फौज सेनानियों से पृथक कर दिया है जो केवल भारत में ही नहीं लड़े हैं अपितु बाहर के देशों में भी लड़े हैं। उनमें से हजारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उनमें से कुछ जो घायल हो गये थे, इस समय भिखारियों का जीवन बिता रहे हैं। मंत्री महोदय के

अनुसार, वे स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे।

प्रधान मन्त्री जी यहीं हैं और मैं उनसे शहीदों के नाम पर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और उन शूरवीर स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के नाम पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं कि आजाद हिन्द फौज के लोग भी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन पाने के हकदार होंगे। मैं प्रधान मन्त्री जी से एक वक्तव्य देने के लिये अनुरोध करता हूं। मैं प्रधान मन्त्री जी से हाथ जोड़कर एक वक्तव्य देने की अपील करता हूं कि क्या आजाद हिन्द फौज के लोग भी स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन पाने के पात्र होंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और उनके परिवार।

श्री राम निवास मिर्धा: वास्तव में, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के दो वर्ग हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जो पहले से ही भारतीय सेना में नियुक्त थे लेकिन जापान और जर्मनी द्वारा पकड़ लिये गये थे और वे आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे। दूसरा वर्ग असैनिक कर्मचारियों का है जो मुख्यतः युद्ध के दौरान दक्षिण-पूर्व देशों में नियुक्त था और वे नेता जी के आन्दोलन में शामिल हो गये थे। प्रथम वर्ग के बारे में ऐसे सभी व्यक्तियों को भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी माना गया है और वे अन्य भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की तरह नौकरी के मामले में, भूमि के एलाटमेंट के मामले में, शिक्षा और चिकित्सा सुविधायें तथा वित्तीय सहायता आदि के मामले में उपलब्ध जरूरत के समय कल्याण निधि से सभी रिआयतें, विशेषाधिकार पाने के अधिकारी हैं। उनके जब्त किये गये वेतन और भत्ते रक्षा मंत्रालय द्वारा दुबारा बहाल कर दिये गये हैं। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई सेवा के बारे में पेंशन की राशि, जब तक वह जीवित है, मिलती है। भारतीय सेना से सम्बन्धित अधिकांश लोग, जो बाद में आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे, इन शर्तों द्वारा जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है काफी हद तक समाहित हो जाते हैं। अन्य व्यक्तियों के बारे में, जो इसके अन्तर्गत नहीं आये हैं, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय और भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों के पास स्वतन्त्रता सेनानियों की सहायता करने के लिये अनेक योजनायें हैं और भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों का दूसरा वर्ग इसके अन्तर्गत लाभ उठा सकता है।

माननीय सदस्य के इस सुझाव के बारे में कि इन लोगों के लाभ के लिये वर्तमान नियम का संशोधन भी किया जाना चाहिये, यदि कोई विशेष दृष्टान्त सामने हो. जहाँ नई योजना के अन्तर्गत इन लोगों को, जिन्हें वर्तमान रिआयतें नहीं मिली हैं शामिल करने के लिये भी विचार किया जाना चाहिये, तो सरकार उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

Shri R. S. Pandey : The hon. Minister has said that the people who participated in the I.N.A. will be kept in the same category in which the freedom fighters are kept. It is a matter of pleasure. I would like to know as to what help is being given to Subhash Babu's wife and his daughter who are in Austria ?

Shri B. P. Maurya: They do not want to come here.

Mr. Speaker : This question has already been asked and replied to.

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के स्वतन्त्रता सेनानी भी आते हैं ? मुझे पता चला है कि उन्हें भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और इसलिये उन पर यह नियम लागू नहीं है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस योजना में वे स्वतंत्रता सेनानी भी आते हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जिन लोगों को सजा दी गई थी, उनके अलावा इस योजना में वे व्यक्ति भी आते हैं जो नजरबन्द किये गये थे ।

Shri Ishaq Sambhali : The condition which the Government has laid for the recognition of the services of freedom fighters is that those who have suffered imprisonment for not less than six months for the freedom of the country, but Indian National Army has put its life in risk and fought for the independence of the country. Therefore, I would like to know whether the Government recognize them as freedom fighters ? The question is not of medical facility or educational facility but it pertains to recognition of the freedom fighters. If thc Government recognises, then they should be provided all the facilities which the freedom fighters are enjoying and if it does not recognise them as much, what are the reason therefor ?

Mr. Speaker : He has already replied this question

Shri Ishaq Sambhali ; As far as I understand, he has read out that the people who have suffered imprisonment are considered freedom fighters but INA people will get medical facility and educational facility. The question is not of facilities but of recognition.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट उत्तर दिया है ।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है । लेकिन समस्या एकमात्र यह है कि स्वतन्त्रा सेनानियों के रूप में कुछ वर्ग सहायता प्राप्त कर रहे थे । कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था । अब प्रयास यह है कि इसमें उन सभी को शामिल कर लिया जाये, जिन्हें अब तक छोड़ दिया गया था । जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है, हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री कार्तिक उराँव : जब हम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रश्न पर विचार करते हैं तो सरकार बिहार में छोटा नागपुर के टाणा भगतों के प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकती है **(हंसी)**

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार के बारे में नहीं है ।

श्री कार्तिक उरांव : मैं कहूंगा कि उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया था जिसकी स्वतन्त्रता सेनानी आन्दोलन के इतिहास में कोई तुलना नहीं है । महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने असहयोग आन्दोलन चलाया जिसका परिणाम यह हुआ कि उनकी भूमि नीलाम कर दी गयी । अनेक विशिष्ट विधानों के बावजूद, उनकी भूमि अभी तक उन्हें वापिस नहीं लौटाई गई है । उन्हें कोई पेंशन भी नहीं दी गई है । मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ? क्या वे तत्काल ही कुछ कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि उनकी भूमि उनको लौटाई जाये और उनका ठीक तरह से पुनर्वास हो ?

श्रीमति इन्दिरा गांधी : मैं नहीं जानती हूं कि माननीय सदस्य क्यों प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर समस्या है । यह लोगों का एक दल है जिसने काफी पहले सच्चाई और उत्साह के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया और इसी कारण, जैसा कि श्री कार्तिक उरांव ने कहा है, ब्रिटिश सरकार ने उनकी समस्त भूमि जब्त कर ली । तब से इन टाणा भगत लोगों की सहायता नहीं की गई है । इस समय राज्य सरकार की कुछ कठिनाईयाँ हैं । इस बीच वह भूमि दूसरे लोगों को आबंटित कर दी गई है अथवा बेच दी गई है—मुझे ठीक नहीं मालूम है

—क्योंकि यह स्वतन्त्रता से बहुत पहले हुआ है। समस्या यही है तो भी मुझे अवश्य कहना चाहिये कि टाणा भगतों के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है और मैं स्वयं अनुभव करती हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाईयां हों, हमें उनको प्राथमिकता देनी चाहिये। (**अन्तर्बाधा**)

डा० जी० एस० मेलकोटे : कुछ लोगों का विचार है कि स्वतंत्रता सेनानी केवल वही हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के लिये लड़े। राज्यों में भी लोग लड़े हैं और जहां तक मैं समझता हूं, राज्यों के लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में मान्यता देने से छोड़ दिया गया है। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस विषय को स्पष्ट करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह मामला भी सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० जदेजा—अनुपस्थित। श्री एन० ई० होरो—अनुपस्थित। श्री भोगेन्द्र झा—अनुपस्थित। श्री एन० के० सांधी—अनुपस्थित। श्री चन्द्रप्पन—अनुपस्थित। कुमारी कमला कुमारी।

सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की फैक्टरियों में चार पारियों वाली पद्धति

*575. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र की फैक्टरियों में चार पारियों वाली पद्धति आरम्भ करने का है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Kumari Kamla Kumari : If the four shifts are started, then the industrialists can take under advantage of it. But I would like to know the opinion of the Government on it and whether the Government is prepared to allow four shifts ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : किसी गैर सरकारी क्षेत्र में चार पारियों के होने के बारे में मुझे नहीं मालूम है। हमने केवल तीन पारियों की ही अनुमति दी है। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम चार पारियों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं।

Kumari Kamla Kumari : Is the Government considering it for the future or not ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी, नहीं, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक पारी में आठ घंटे होते हैं और तीन पारियों के 24 घंटे बनते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The production is very important keeping in view the increasing unemployment and the requirement of the country. Keeping all these points in view and to solve unemployment problem in the country, will the Government allow four shifts ? Three shifts are already running in private industries. Will you order the private industries to run four shifts so that unemployment problem can be solved to some extent ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : चार पारियों की अनुमति देने का अर्थ है आठ घंटे काम के बजाए, काम के घंटों में कमी करना। उस सीमा तक परियोजना के व्यय पर विचार करना

पड़ेगा । अतः इस पर वचन नहीं दिया जा सकता हैं कि चार पारियों की अनुमति दी जा सकती है ।

Kumari Kamla Kumari : The hon. Minister has not replied to my point. I would like to know as to why not these industrialists are asked to open more industries so that unemployment problem can be solved ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है, प्रश्न नहीं है ।

श्री के० नारायण राव : रोजगार के कतिपय वर्गों के लिये एक दिन के आठ घन्टे भी सहायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य का स्वरूप अलग ही है । अतः, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक विशिष्ट रवैया अपनाने पर विचार करेगी कि उन लोगों के लिये, जो कठोर प्रकार के कार्य में लगे हुए काम का समय 6 घन्टे निर्धारित किया जाये ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है । यदि माननीय सदस्य मुझे उन उद्योगों के नाम दे दें जहां पर उनके विचार से काम के घंटे कम किये जा सकते हैं, तो हम निश्चित ही उस पर विचार करेंगे ।

श्री के० नारायण राव : कतिपय कार्य अत्यन्त कठिन हैं । कम से कम उन मामलों पर विशिष्ट रवैया अपनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे सुझाव के रूप में लिया जा सकता है ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : इस समय हम उस पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : The unemployment problem in the country is such that uneducated people are unemployed much more than the educated people. Democracy means to earn, distribute and eat. Does the Government desire to have four shifts instead of three so that unemployment problem and people's problems can be solved. The Prime Minister is sitting here-nothing is being done in this regard to solve the problem of unemployment. ...**(Interruption)**...

Mr. Speaker : Please sit down.

Shri Bibhuti Mishra : How the unemployment problem will be solved ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

Shri Ishwar Chaudhary : Is the Government feeling any difficulty in having four shifts and six hours working ? May I know whether any scheme is being formulated in the near future to solve the problem of unemployment ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है ।

Films for "Adults" screened on T. V.

*576. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether certain films which are meant for adults only were or are being screened on television; and

(b) if so, the basis or criteria adopted for displaying those films on television which are prohibited for minors ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) (क) जी, नहीं। कभी-कभी ऐसी फिल्मों के अंश पत्रिका के ढंग के कार्यक्रमों में दिखाये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Laxminarain Pandey : Mr. Speaker, Sir, a few days back such films were shown on the television which were objectionable for children and they were likely to create an adverse effect on the minds of children. Therefore, I would like to know the basis or criteria for displaying films on television so that those films can be of common use for all and without any adverse effect on children ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : केवल व्यस्कों के लिए वर्गीकृत फिल्मों का प्रदर्शन टेलीविजन पर नहीं किया जाता। इस प्रकार की कोई फिल्म टेलीविजन पर नहीं दिखाई गई। केवल जब कभी किसी निदेशक या निर्माता के साक्षात्कार का प्रदर्शन हम टेलीविजन पर करते हैं, तभी कुछ ऐसी फिल्मों के अंश दिखाये जाते हैं, जोकि केवल व्यस्कों के लिए वर्गीकृत होती हैं। परन्तु आजकल इस प्रकार की फिल्में बहुत ही कम दिखाई जाती हैं। एक अन्य कार्यक्रम में भी इस प्रकार की फिल्मों के कुछ अंश दिखाये गये थे। यह कार्यक्रम चित्रहार का था, जिसमें फिल्म के संगीत की दृष्टि से यह अंश दिखाये गये थे। टेलीविजन के लिये फिल्मों का सेंसर करने की हमारी अपनी ही विधि होती है और एक उत्तरदायित्व पूर्ण अधिकारी इस कार्य का प्रभारी होता है। वह इस मामले में काफी सतर्क रहता है। फिल्म के प्रत्येक भाग को पुनरीक्षण करने के बाद ही उसे टेलीविजन पर दिखाया जाता है।

Dr. Laxminarain Pandey : Most of the imported films which are displayed on the television are objectionable for children but still those are displayed. May I know as to what action is being taken in this regard ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : कोई भी फिल्म, चाहे वह बाहर से ही क्यों न मंगवाई गई हो, सेंसर बोर्ड के सेंसर किये बिना टेलीविजन पर प्रदर्शित नहीं की जाती। अतः इस प्रकार की फिल्में टेलीविजन पर दिखाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार टेलीविजन पर अच्छी फिल्में दिखाना कब तक आरम्भ कर देगी ?

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : अब जब कि टेलीविजन प्रसारण का विस्तार किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं क्या टेलीविजन पर प्रसारित की जाने वाली फिल्मों के बारे में कोई नीति बनाई जा रही है। ताकि टेलीविजन के माध्यम से खुली छूट वाले विदेशी समाज का रंग ढंग भारत में न पनप सके ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : इस बात के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है कि जो फिल्में लोगों के लिए वास्तव में ही बुरी हैं, उन्हें टेलीविजन पर न दिखाया जाये। मैं पहले ही यह बात कह बात कह चुकी हूं कि टेलीविजन केन्द्र में ही फिल्मों का पुनरीक्षण करने का प्रचार एक अधिकारी पर होता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी बुरा प्रभाव डालने वाली फिल्म टेलीविजन पर न दिखाई जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्योंकि मूल प्रश्न का सम्बन्ध उन फिल्मों से है। जोकि बच्चों के लिए वर्जित हैं, अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बच्चों के लिए कुछ ऐसी कार्टून फिल्में

भी, जो विशेषतया बच्चों के लिए ही बनाई गई हों, चाहे वह भारत में निर्मित हों या विदेशों में, टेलीविजन पर दिखाई जायेंगी ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : केवल बच्चों के लिए ही बनाई गई फिल्में अनेक बार टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं । कई बार विदेशों से मंगवाई गई बच्चों की फिल्में भी टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं कार्टून फिल्मों के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : मैं निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ कार्टून फिल्में दिखाई जाती हैं या नहीं, परन्तु मैं इसका पता लगाऊंगी ।

Shri R. V. Bade : It has been stated by the hon. Minister that there is an officer of the Censor Board to censor the films before they are telecast. May I know, whether the hon. Minister is aware of the fact that some parts of "Dastaan" Feature Film, which was Telecast yesterday, were very odd and obscene ?

Mr. Speaker : I have also seen that film. It is not so bad.

Hon. Member : But he riduor like it.

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं । प्रश्न संख्या 577 । माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है । अगला प्रश्न 578 । यह माननीय सदस्य भी उपस्थित नहीं है । क्या वह वास्तव में ही अनुपस्थित है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 577 माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न संख्या 578 यह माननीय सदस्य भी अनुपस्थित हैं । क्या वे वास्तव में अनुपस्थित हैं ।

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : वे उत्तर से संतुष्ट होंगे । इसलिए यहाँ नहीं आये हैं ।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों की स्थापना

*579. **श्री भान सिंह भोरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योगों की स्थापना का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और

(ख) इस योजना अवधि में अब तक स्थापित किये गये उपभोक्ता सामग्री का निर्माण करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । सरकारी क्षेत्र में पहले से ही कुछ एकक हैं जो विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं (उदाहरण के लिए कलाई घड़ियां, डबलरोटी, साधारण नमक, अखबारी कागज, सीमेंट, औषध तथा रसायन, चमड़े के जते, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक केवल, फोटोफिल्म आदि) बना रहे हैं । सरकार ने आगे यह भी निश्चय किया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की भूमिका का और विस्तार किया जाना चाहिए तथा उपभोक्ता उद्योग समेत उन नये क्षेत्रों में जिस से आने वाले वर्षों में उत्पादन में काफी अन्तर आने की सम्भावना है प्रवेश करना चाहिए । इस

तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, और उनमें से कुछ वस्तुओं की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार हो गई है। उन रिपोर्टों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो रहा है।

Shri B. S. Bhaura : In the annual report of the Ministry it has been stated that we are not self-sufficient in rubber. Is the hon. Minister aware of the fact that rikshaw and other tyre-tubes are being sold in black market ? May I know if Government will set up new factories to overcome the scarcity of tyres and tubes and its blackmarketing ?

Shri Siddheshwar Prasad : The scarcity conditions of tyres and tubes towards which the hon. Member has drawn the attention, was due to non-movement of railway wagons. Now firstly, the Wagon movement has been set right and secondly, a good number of tyres and tubes are being produced by small scale industries. So there should not be any shortage of tyres and tubes now.

Shri B. S. Bhaura : It has been stated by hon. Minister that the scarcity of tyres and tubes was due to non-availability of railway wagons for a few months Therefore, I would like to know from him, whether he is aware of the fact that tubes and specially rickshaw tubes are being sold in black market, if so, whether there is any control on their sale ?

Shri Siddheshwar Prasad : We shall look into it.

Shri B. P. Maurya : While manufacturing consumer goods in public sector, whether it is borne in mind that the goods which are manufactured in those small scale industries in which our lakhs and crores of poor people are employed, are not manufactured in the public sector to ensure that those poor people are not thrown out of employment ? For instance the Government should not bring under public sector the small industries like leather work, suitcase manufacture, shoe making or soap and oil manufacturing etc. The Government should bring only those industries under public sector in which large scale production is done.

Shri Siddheshwar Prasad : Due attention will be paid to the suggestion given by the hon. Member.

श्री के० गोपाल : आज बहुत सारे उपभोक्ता उद्योग विदेशी एकाधिकारियों के हाथ में हैं मैं साबुन, तेल और तम्बाकू के उदाहरण दूंगा। इन कारखानों में प्रवेश करने के लिये प्राथमिकतायें निश्चित करते समय क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और ध्यान रखेगी कि विदेशी एकाधिकार समाप्त हो जायें और ये एकक हाथ में लिये जायें ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं लेकिन हमने कुछ भारतीय उद्योगों को इन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रवेश करने के लिये लाईसेन्स दिये हैं। इस प्रकार विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व काफी मात्रा में कम हो जायेगा।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that there is acute shortage of tyres and tubes in Patna city and is it also a fact that these goods are sold there at Rs. 200.00 or Rs. 300.00 over and above the prevailing prices ?

Is it also a fact that the local truck dealers association has drawan the attention of the Government towards this and sent a memorandum to you, if so, what action has been taken by the Government in this regard ?

Shri Siddheshwar Prasad : I had talks with the Bihar Government regarding difficulties of truck tyres. The Government of Bihar has made necessary arrangements to solve that difficulty and the situation is stated to have improved considerably.

श्री नरसिंह नारायण पांडे : सरकार मूल्य स्तर को किस प्रकार बनाये रखने पर विचार कर रही हैं क्योंकि उपभोक्ता मूल्य-सूची 181 से बढ़कर 188 हो गयी है ? क्या सरकार कुछ अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने पर विचार कर रही है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह एक पृथक प्रश्न है ।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । यदि सरकार मूल्य स्तर बनाये रखने पर विचार नहीं कर रही है, तो इसे कैसे रोका जा सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने इस सुझाव को नोट कर लिया है । अब श्री बनर्जी बोलें ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरे विचार में प्रश्नकर्ता ने एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है । इसे सरकारी क्षेत्र के अधीन लाया जाना चाहिये क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में बनने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं । अत: मेरे माननीय मित्र श्री पांडे द्वारा पूछा गया मूल्य स्तर सम्बन्धी प्रश्न महत्व-पूर्ण है । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या ऐसी सभी वस्तुओं, जिनका उत्पादन गैर सरकारी क्षेत्र में होता है और जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में नहीं होता, का मूल्य स्तर बनाये रखने के बारे में भारत सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने भी वही प्रश्न पूछा है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने के लिये कहें । मैं इस के बारे में कुछ जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री बनर्जी वही प्रश्न पूछें तो क्या उत्तर भिन्न हो सकता है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जब किसी वस्तु की कमी पड़ जाये और जब मूल्यों में वृद्धि हो जाये तो हम अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन आदेश जारी करते हैं और राज्य सरकारों को उस पर कार्यवाही करनी पड़ती है और मूल्यों को नियंत्रित करना पड़ता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : दिल्ली में भी मूल्य बढ़ रहे हैं, इसके बारे में वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

Shri Hukam Chand Kachwai : In reply to the original question, the Hon. Minister agreed that setting up of some industries is under consideration. How much time will it take for him to decide about setting up of new industries ? Will the Planning Minister keep in view the areas which have been declared backward while sanctioning setting up of new industries ? Is there any scheme under consideration to set up industries in the decoit infested areas of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh ?

Mr. Speaker : You should not mention the term decoits whenever you refer to Madhya Pradesh ?

Shri Siddheshwar Prasad : We will keep this in view.

Mr. Speaker : You talk about decoits whenever you refer to Madhya Pradesh and talk about wine when you refer to Punjab. This is not proper.

Shri Hukam Chand Kachwai : I could not understand the reply of the Hon. Minister.

Shri Siddeshwar Prasad : The hon. member has drawan our attention towards the economic development of backward areas. We will keep the matter in view.

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : उपभोक्ता क्षेत्र में रोजगार की बहुत सी सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र का विकेन्द्रीकरण करने पर विचार कर रही है ताकि छोटे स्तर के उद्योग बड़े स्तर के उद्योगों के स्थान पर अधिक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कर सकें ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:—हमने कुछ वस्तुओं का उत्पादन छोटे उद्योगों में ही करने के लिये सुरक्षित कर रखा हैं, सामान्यतः वहां बड़े उद्योगों को लाईसेन्स नहीं दिये जाते हैं और जहाँ तक सम्भव हो, हम यह देखने के लिये पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि केवल इन्हीं वस्तुओं का उत्पादन हो सके और छोटे उद्योगों के उत्पादन द्वारा ही मांगे पूरी हो सकें।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : मंत्री महोदय ने सीमेंट के उत्पादन की चर्चा की है। क्या मैं जान सकता हूं कि सीमेंट की कितनी कमी है और क्या वे देहरादून जैसे पिछड़े क्षेत्र में एक सीमेंट कारखाना खोलने के लिये तैयार हैं ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक संयत्र का खोला जाना विचाराधीन था।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सीमेंट की मामूली कमी है और देहरादून में कारखाना खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री चिंतामणी पाणिग्रही : मैं इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि उपभोक्ता उद्योगों के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने हाथ में लेना चाहती है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हमने कुछ वस्तुऐं चुनी हैं जिनके सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं, जिनमें बच्चों का दूध, बिजली के लैम्प, लैम्प बनाने की मशीनें, टार्च सैल, स्टोर संबंधी बैटरियां, ग्रेफाईट और कार्बन उत्पाद और टायर तथा ट्यूब शामिल हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : डालडा और साबुन के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री भगवत झा आजाद : सरकार कहती है कि यह सैद्धान्तिक रूप में उपभोक्ता क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहती है और कुछ वस्तुओं की सूची भी दी गयी है जो प्रभावित करने वाली नहीं है। देश के कुल उत्पादन में से सरकारी क्षेत्र में पैदा की जा रही उपभोक्ता वस्तुओं का प्रतिशत क्या है ? सरकार उन वस्तुओं का उत्पादन क्यों नहीं करती, जिनमें अधिकतम लाभ है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मेरे पास अभी पूरे आंकड़े नहीं हैं।

राजस्थान में ट्रेक्टर फैक्टरी की स्थापना।

*580. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में ट्रेक्टर फैक्टरी स्थापित करने के लिए जारी किये गये आशय पत्र पर कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है,

(ख) क्या यह फैक्टरी विदेशी सहायता से स्थापित की जायेगी, और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : **(क) से (ग)** : राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम जयपुर को फ्रांस के मे० रेगी नेशनल रेनाल्ट के सहयोग से प्रतिवर्ष 5000 की क्षमता में 'रेनाल्ट' (46 अ० श०) कृषि के ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए 9 नवम्बर, 1970 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात् निगम ने सरकार को यह सूचित किया कि मे० रेनाल्ट के साथ सहयोग परस्पर सन्तुष्टि के अनुरूप नहीं था और अब वे अन्य पार्टियों के साथ बात-चीत कर रहे हैं। निगम से अब संशोधित सहयोग प्रस्ताव किया गया है और उस पर विचार किया जा रहा है।

Shri Shrikishan Modi : Has the Corporation given any rea on for which there could be no agreement ? By what time will the proposal of the corporation be finalised ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : हमें यह प्रस्ताव अभी हाल में ही मिला है जो विचाराधीन है, इस पर निर्णय कब तक होगा, यह कहना कठिन है क्योंकि यह उन शर्तों पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार वे समझौता करना चाहते हैं।

Shri Shrikishan Modi : District Sikor is the most backward area in Rajasthan. Is there be any scheme to set up this factory in this District ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसे कब स्थापित किया जाये, यह निर्णय करना राजस्थान औद्योगिक निगम और राजस्थान सरकार का काम है।

Shri R. V. Bade : The Ministry accorded permission to the Rajasthan Agro-Industries corporation in 1970 for setting of a tractor factory, but no reply has been received from them till 1972. Is the delay in receiving reply not depriving the people from this factory ? Have you prescribed sometime limit for receiving the reply ? Have you entered into some agreement with Rajasthan in this regard ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि उनके बीच करार हुआ है 9 नवम्बर, 1970 को आशय पत्र दिया गया और उनका करार फ्रांस की रेनाल्ट फर्म के साथ हुआ। बातचीत के कुछ समय बाद उन्होंने हमें सूचित किया कि यह सहयोग नहीं चल रहा उसके बाद उन्होंने अन्य पक्षों के सहयोग से संशोधित प्रस्ताव हमारे सामने रखे। अतः रद्द किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Paripoornanand Painuli : The Government on the one hand is thinking of prescribing ceiling on land and on the other hand to set up a tractor factory. Are not these two steps contradictory ?

Mr. Speaker : This is your point of view. What will be the reply of Hon Minister ? **(Interruption)**

श्री मोइनुल हक चौधरी : इसके बारे में कोई असंगति नहीं है। थोड़ी जमीन के लिये छोटे ट्रैक्टर का उपयोग हो सकता है। अनेक किसान मिलकर सहकारी अथवा सांझी खेती द्वारा बड़े ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। मेरे विचार में इसमें कोई असंगति नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

नये औद्योगिक एककों पर पुनर्विचार-विस्तार पर बल

*561. **श्री बक्शी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1972 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "रिथिंकिंग आने न्यू यूनिट्स-एक्सेन्ट आन एक्सपेन्शन" की शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी : (क) जी, हां ।

(ख) यद्यपि सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि देश की विद्यमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने की अनुमति दी जाये फिर भी, सरकार का पर्याप्त विस्तार करने अथवा विभिन्न उद्योगों में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने सम्बन्धी निर्णय देश में उद्योग के विकास की अवस्था सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन के क्षेत्रवार की व्यवस्था करने जिससे उनका सुविधाजनक वितरण हो सके प्रतियोगिता लागू करने की आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन में गिने-चुने लोगों का एकाधिकार न होने देने पर निर्भर करता है ।

कर्मचारी पुनर्गठन पर मसानी समिति की सिफारिश

563. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी पुनर्गठन से सम्बन्धित मसानी समिति ने जिन पुनरीक्षित वेतनमानों की सिफारिश की थी वे कुछ मामलों में समिति द्वारा घोषित वेतनमानों से भिन्न हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

***सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी)** : (क) : जी, हां ।

(ख) एक तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी०-1855/72]

Statement Allegedly Made By President of Awami Action Committee in Kashmir Regarding Right of Self-Determination

*564. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Maulana Farooq President of the Awami Action Committee in Kashmir had recently said that Kashmiris were prepared to make any sacrifice to secure their right of self determination; and

(b) if so, whether any action has been taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broad casting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the speech made by Maulvi Farooq at

Jama Masjid, Srinagar, on 31 March, 1972. According to the "Patriot" dated 2nd April, 1972, the Maulvi stated, among other things, that "the Kashmiri nation is prepared to sacrifice everything for achieving its natural right of self-determination".

(b) Government consider such statements to be unrealistic, irresponsible and totally objectionable. Government have taken, and will take, appropriate action under the law, as and when necessary, to defeat any activity aimed at under-mining the integrity and sovereignty of India.

असमान वितरण के कारण आर्थिक असंतुलन

***565 श्री के० बालदंडायुतम् :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक योजनाएं बनाने में या तो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के सृजन पर बल दिया जाता रहा है या विविधिकरण द्वारा अथवा उत्पादन में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया जाता रहा है, किन्तु आयोजन के लाभों के वितरण की समस्याओं पर या तो ध्यान बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं दिया गया है ;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप आयोजन से आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो गए हैं और साथ ही जनता के विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों में इन लाभों का वितरण समान प्रकार से नहीं हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आयोजन के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय वितरण नीति बनाने पर विचार करेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) क्रमागत योजनाओं में जहां उत्पादन क्षमता को बढ़ाने उत्पादन के विविधीकरण तथा अधिक उत्पादन पर बल दिया गया है वहां रोजगारों के अवसरों का सृजन करके आय तथा सम्पत्ति की असमानता को कम करके तथा आर्थिक क्षमता के और अधिक समान वितरण के माध्यम से प्रतिफलों के वितरण की समस्या को हल करने की बात को भी महत्व दिया गया है।

(ख) यह आशा कि राष्ट्रीय उत्पादन में होने वाली वृद्धि में वर्तमान असमानताओं पर भी ध्यान दिया जायेगा, पूरी नहीं हुई और न ही आशा के अनुकूल क्षेत्रों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान असमानताएं दूर हुई हैं।

(ग) सरकार आयोजन के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के प्रयोजन से एक समुचित नीति विकसित करने के विषय में विचार कर रही है।

डाक-तार बोर्ड के कार्य अध्ययन एकक द्वारा आरम्भ किया गया अध्ययन-कार्य

*566. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में डाक-तार बोर्ड के कार्य अध्ययन एकक ने प्रतिवर्ष कितने अध्ययन कार्य पूरे किये; और

(ख) इनमें से कितनों को अब तक कार्य रूप दिया जा चुका है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) **और** (ख) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जा रहा है, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है ।

विवरण

	डाक-तार निदेशालय के अनुभागों/अधिकारियों के सम्बन्ध में	फील्ड यूनिटों के सम्बन्ध में	कुल
(i) 1969–70	30	15	45
(ii) 1970–71	59	14	73
(iii) 1971–72	6	12	18
कुल	95	41	136
(i) पूर्णत: कार्यान्वित	90	12	102
(ii) अंशत: कार्यान्वित	—	3	3
कुल	90	15	105

अमरीकी नागरिकों द्वारा कोचीन का दौरा

*567. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ (अमरीकी) नागरिकों ने, जिनमें दो महिलाए और एक जादूगर भी शामिल था, हाल ही में बिना वीजा के कोचीन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो बिना वीजा के वे देश में किस प्रकार आए तथा उनकी यात्रा का प्रयोजन क्या था; और

(ग) उन्होंने कोचीन में किन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया था और इन व्यक्तियों के साथ उनके किस प्रकार के सम्बन्ध थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) **और** (ख) : एक अमरीकी जादूगर तथा कुछ अन्य विदेशियों के अक्तूबर, 1971 में कोचीन जाने की खबर है । मालूम हुआ है कि उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज थे और उन्होंने जादू के कुछ करतब दिखाये थे ।

(ग) मालूम हुआ है कि अपने तमाशों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ स्थानीय व्यक्तियों से और बम्बई में एक संस्था के प्रबन्धक ट्रस्टी से भी मुख्यत: व्यापार की बातचीत के लिए सम्पर्क किया था ।

डाक-जीवन बीमा के नये प्रस्तावों को क्रियान्विति

*568. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के 1970–71 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 29 पर उल्लिखित डाक जीवन बीमा के नये प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ।

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार विभाग की 1970–71 की रिपोर्ट (कार्य-कलाप) के पृष्ठ 9 पर डाक जीवन बीमा सम्बन्धी निम्नलिखित नये प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है :

(क) गैर-चिकित्सा कारबार चालू करना

(ख) परिवर्तनीय सम्पूर्ण जीवन पालिसियां चालू करना

(ग) रजिस्टर्ड प्राइवेट चिकित्सक नियुक्ति करना

(घ) ऐसी इन्डाउमेंट एशुरेंस पालिसियां जारी करना जो 35 वर्ष की आयु पर परिपक्व होती हों।

(ङ) प्रीमियम की बकाया राशि किस्तों में प्राप्त होने पर लेप्स हुई पालिसियां फिर से चालू करना।

(च) मार्च 1965 तक जो एक मुश्त रकमें प्रीमियम के तौर में मिली हैं और उनका कहीं एडजस्टमेंट (समायोजन) नहीं हुआ है उन रकमों को प्रीमियम की गैर-क्रेडिटों के मुकाबले एडजस्ट करना।

(छ) सर्किल कार्यालयों में कार्य की प्रक्रिया का पुनर्गठन करना।

(ख) (घ) और (ङ) के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर लागू कर दिया गया है। (क) का प्रस्ताव मान लिया गया है और यह 1-6-72 से लागू कर दिया जाएगा। प्रस्ताव (ग) स्वीकार नहीं किया गया है। प्रस्ताव (च) और (छ) पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) (i) प्रस्ताव (क) में एक अलग नियमपुस्तक, अलग फार्मों की छपाई और इस नये तरह के कारबार को चलाने के लिये इन्स्पेक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। यह योजना 1-6-72 से लागू कर दी जायगी।

(ii) प्रस्ताव (ग) के व्यवहारिक न होने के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

(iii) प्रस्ताव (च) पर महालेखापाल, डाक-तार के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है। इसकी लेखा सम्बन्धी उलझनों की जांच की जा रही है।

(iv) सर्किल कार्यालयो में कार्य की प्रक्रिया के पुनर्गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव (छ) से सर्किल कार्यालयों के डाक जीवन बीमा अनुभागों के कार्य की प्रक्रिया की निमय पुस्तक में संशोधन करना जरूरी है। यह कार्य हाथ में लिया हुआ है।

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में कमी

*571. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत पाक युद्ध के दौरान गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में बाधा पड़ी थी, और

(ख) यदि हाँ, तो इस कारण औद्योगिक उत्पादन में कितनी कमी हुई और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले वापस लेने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

***572. श्री एन० ई० होरो** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक अनिर्णीत पड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों तथा न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क) तथा (ख)** : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से, सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनिर्णीत पड़े अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों तथा न्यायालयों में चल रहे मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में, समग समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं ।

चूंकि सरकार की सदा यह नीति रही है कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही कार्रवाई की जाय, सभी राज्य सरकारों तथा सघं-शासितक्षेत्र प्रशासनों को समय समय पर सलाह दी गई है कि वे ऐसे मामलों में जिनमें पर्याप्त साक्ष्य न हो, कानून के अनुसार वैधिक कार्यवाहियां समाप्त करने की दृष्टि से अनिर्णीत पड़े न्यायालय के मामलों की छानबीन करें तथा साथ ही साथ अनिर्णीत मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए भी कदम उठायें । इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप अब न्यायालय में चल रहें अधिकाँश मामले निपटा लिए गए हैं । सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों । विभागों द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामले, जहां कहीं वे अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं, उन्हें भी शीघ्र निपटाने के लिये कार्रवाई कर ली गई है । इन परिस्थितियों में न्यायालय से मुकदमे वापस लेने या अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कोई सामान्य आदेश जारी करने का प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थर वटलर कम्पनी लि०, मुजफ्फरपुर को अपने नियन्त्रण में लेना

***573. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप श्रमिक आयुक्त बिहार तथा उप-निदेशक उद्योग, तिरहुत डिवीजन द्वारा

संयुक्त रूप से 27 फरवरी, 1972 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के बारे में सरकार को पता है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से आर्थर वटलर कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फपुर को अपने नियंत्रण में ले ले, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : इस मामले पर राज्य सरकार की एक रिपोर्ट इस महीने के शुरू में मिली है और उस पर उनके परामर्श से विचार किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में डाकुओं की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में बैठक

*574. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकुओं की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में अप्रैल, 1972 के प्रथम सप्ताह में गृह सचिव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था;

(ख) क्या इस मामले को सुलझाने के लिये राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता मांगी गई है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। 27-3-72 को गृह सचिव ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

(ख) और (ग) : तीनों राज्य सरकारों से डाकू-ग्रस्त क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था की मशीनरी को सुदृढ़ करने हेतु वायरलैस उपकरण, वाहन, हथियार तथा गोला बारूद इत्यादि उन्हें प्रदान करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। काफी हद तक इन अनुरोधों को पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य सड़कों से आन्तरिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सम्भव (फीडर) सड़कों के निर्माण के लिये आर्थिक सहायता भी दे दी गई है।

इस समस्या की जांच करने तथा इस बुराई को दूर करने के लिये एक योजना तैयार करने हेतु विभिन्न मन्त्रालयों तथा योजना आयोग से लिये गये प्रतिनिधियों का एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस अध्ययन दल ने हाल में वहां समस्या की सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।

धीमी गति के हिन्दी समाचार बुलेटिन

*577. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र से धीमी गति के हिन्दी समाचार बुलेटिन आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या समाचारों में हिन्दी की साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग न कर स्थानीय शब्दावली का प्रयोग करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी को अपने समाचार बुलेटिनों में यथासंभव बोलचाल के हिन्दी शब्दों का प्रयोग करने की नीति है।

इंजीनियरिंग उद्योगों में क्षमता के उपयोग के लिए सर्वेक्षण

*578. **श्री राज राज सिंह देव :**
श्री वी० मायावन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इंजीनियरिंग क्षेत्र की अनेक कम्पनियों का सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या अध्ययन से इस तथ्य का पता लगा है कि उनकी क्षमता का प्रयोग कम होता जा रहा है, और यदि हां, तो यह 1971 में कितना कम हुआ है, और

(ग) क्या देश में इन्जीनियरिंग कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है, और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1856/72**]

3969. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा स्थित राकेट निर्माण एकक का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री मति इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) राकेट उत्पादन-सुविधा के विस्तार के लिए विभाग द्वारा एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विस्तार कार्य शुरू किया जा चुका है।

फिल्म उद्योग में पूंजी निवेश

3970. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में वर्ष 1970-71 में फिल्म उद्योग में कुल कितनी धन राशि खर्च की गई;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला; और

(ग) उक्त उद्योग से कुल कितनी (सकल) आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1970-71 की राज्य-वार ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि एक प्राक्कलन के अनुसार फिल्म उद्योग में लगी कुल पूंजी की राशि लगभग 150 करोड़ रुपये है ।

(ख) तथा (ग) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन कोयम्बतूर द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य

3972. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इण्डिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन, कोम्बतूर ने सूती कपड़े को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : दक्षिण भारत टैक्सटाइल अनुसंधान संस्था (एस० आई० टी० आर० ए०) ने सूती कपड़ों को टिकाऊ बनाने के लिये कोई कार्य नहीं किया हैं । लेकिन सूती रेशों की मजबूती को बढ़ाने के सम्बन्ध में मूलभूत कार्य इस समय, इस संस्था द्वारा किया जा रहा है ।

Unsatisfactory Operation of Khandwa Indore Telephone Line

3973. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether due to lack of housing facilities for Line-men, the Khandwa-Indore telephone line does not operate satisfactorily; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No deterioration in Telephone service between Khandwa—Indore is attributable to lack of Housing Facility for linemen.

(b) Question does not arise.

Existing Telephone Connections in East Nimar District, Madhya Pradesh

3974. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of Telephone connections existing in east Nimar District of Madhya Pradesh; and

(a) the number of applications still under consideration for providing connections in the said District ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 927

(b) 28

Addltional Assistance to Madhya Pradesh for Equipping State Police with Transport and Communications

3975. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government of Madhya Pradesh have sought additional assistance from Central Government for equipping the State Police with better transport and communication equipments and for providing more facilities to the police personnel; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) In the past few years considerable financial assistance has been given for the procurement of wireless sets, motor vehicles, arms and ammunition and other equipment to improve the capability of the police with particular reference to the decoity—affected parts of the State, In addition, ad hoc financial assistance has also been given for the construction of link and feeder roads for opening up inaccessible ravine areas to improve the mobility of the police. Further, loan assistance from the Central funds under the scheme for modernisation of the police forces in the States, has been availed of by the State Government for making the police force in this region better equipped, more mobile and generally more effective.

Further demands from the State Governments are under examination.

देश में अनुसंधान और विकास पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय

3976. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 19 5 में अनुसंधान और विकास पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय केवल 2·40 रुपया था जबकि अमरीका में 83·2 रुपया और ब्रिटेन में 300 रुपया था;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1965 में अनुसंधान और विकास पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय भारत अमरीका और ब्रिटेन में क्रमशः रु० 2·25, 832·50 और रु० 298·50 था ।

(ख) भारत में अनुसंधान और विकास पर प्रति व्यक्ति वार्षिक व्यय का होने के कतिपय कारण हैं; (1) अमरीका और ब्रिटेन की तुलना में जनसंख्या का बहुत अधिक होना और जी. एन. पी. का छोटा होना और (2) विकासशील अर्थव्यवस्था में कोश का आबंटन करते समय विभिन्न स्पर्धायुक्त मांगें जिन पर विचार करना आवश्यक है ।

(ग) सरकार इस स्थिति से भली-भांति परिचित है और उसने अनुसंधान और विकास के लिये अधिकाधिक धनराशि आबंटित की है । इस तरह 1965 में अनुसंधान और विकास पर आबंटित किये गये 85 करोड़ रुपये की राशि 1970-71 में बढ़कर 173·37 करोड़ रुपये हो गयी है । 1971-72 में आँकलित व्यय 214 करोड़ रुपये है ।

जापान और संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में भारत में बनी फिल्मों की संख्या

3977. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में भाषा-वार कितनी-कितनी फिल्में बनीं; और

(ख) जापान और अमरीका में बनी फिल्मों की तुलना में यह आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने 1971 में अमरीका और जापान की अपेक्षा अधिक फिल्में बनाई । तथापि, ठीक-ठीक तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

वर्ष 197। के दौरान तैयार की गई (अर्थात् केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत की गई) भारतीय फीचर फिल्मों की भाषा-वार संख्या

हिन्दी	117	हिन्दुस्तानी भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी सहित
तेलुगु	85	
तमिल	73	
मलयालम	52	
कन्नड़	36	तुलु तथा कोंकणी सहित
बंगला	30	
मराठी	23	
असमिया	5	
उर्दू	4	
गुजराती	3	
पंजाबी	2	
अंग्रेजी	1	
उड़िया	1	
सिन्धी	1	
	433	

फिल्म निर्माण में भारतीय चलचित्र निगम द्वारा लगाई गई धनराशि

3978. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चलचित्र निगम द्वारा फिल्म-उत्पादन में कुल कितनी धनराशि लगाई गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : फिल्म वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1972 तक फिल्मों के निर्माण के लिये 2 करोड़ 2 लाख 7 हजार रुपये के ऋण दिये हैं।

Setting up of Industries in Madhya Pradesh

3979. **Shri Martand Singh** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of Industries set up in Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan; and

(b) the District-wise break-up thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : **(a) & (b)** : In the Central Sector, Korba Aluminium Project of the Bharat Aluminium Company Limited (in Bilaspur District), the Mandhar Project of the Cement Corporation of India Limited (in Raipur District) and the Bailadila No. 5 Project of the National Mineral and Development Corporation (in Bastar District) have been set up so far in the State of Madhya Pradesh during the course of Fourth Five Year Plan.

In the private sector, the number of industrial licensing applications received, licences and Letters of Intent issued, during the last three years in respect of the State of Madhya Pradesh are as given below:—

Year	No. of applications received under I(D & R) Act, 1951	No. of licences issued	No. of letters of intent issued
1969	23 (16)	3 (2)	2
1970	85 (36)	2	9 (7)
1971	105 (72)	20 (5)	31 (21)

Note : Figures in brackets refer to new industrial undertakings.

In addition to above, the number of small scale industries which sought registration with the State Director of Industries, Madhya Pradesh, during the last three years, is as follows :—

Year	Number
1969	2637
1970	225
1971	1344

The District-wise details of these Small Units are not available.

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिये आवंटित धनराशि

3980. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश सरकार को लघु उद्योग स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की;

(ख) अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है; और

(ग) क्षेत्रवार उन नए उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिन्हें स्थापित किया जा रहा है तथा जिन्होंने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय सरकार

द्वारा मध्य प्रदेश को चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने समेत लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिए 344·00 लाख रुपये आबंटित किया गया था।

(ख) मार्च, 1972 के अन्त तक 109.24 लाख रुपये खर्च हुए थे।

(ग आवश्यक जानकारी भेजने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लियेअप्रयुक्त निधि

3981. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में आवंटित निधि में से आधी से अधिक धनराशि का उपयोग नहीं किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। वर्ष-वार आवंटनों का लगभग दो तिहाई भाग प्रयोग कर लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में विज्ञापन सेवायें आरम्भ करना

3982. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में विज्ञापन सेवाएं आरम्भ करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : जी, हां। चौथी योजना के दौरान वाणिज्यिक सेवा का विविध भारती के 10 और केन्द्रों अर्थात जयपुर-जोधपुर, पटना रांची, त्रिवेन्द्रम-कालीकट, भोपाल-इन्दौर, कटक तथा श्रीनगर में विस्तार किया जाएगा।

एक वर्ष में टेलीविजन पर दिखाई गई फिल्मों की संख्या

3983. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में टेलीविजन पर दिखाई गई हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त संख्या का भाषावार ब्यौरा क्या है तथा क्यां विभिन्न भाषाओं की फिल्म की संख्या में विषमता है और यदि हां, तो इस अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 1971 में हिन्दी की 64 फिल्में तथा प्रादेशिक भाषाओं की तथा 21 फिल्में टेलीकास्ट की गई।

(ख) उपरोक्त 21 फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा इस प्रकार हैं:—

असमिया	1
बंगला	4
भोजपुरी	1
गुजराती	1
कन्नड़	2
मलयालम	2
मराठी	2
उड़िया	1
पंजाबी	4
तमिल	2
तेलुगु	1

विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की फिल्मों के चयन में कोई भेदभाव नहीं है। इनके चयन की मुख्य बात इनका स्तर तथा इनकी उपलब्धता है।

पटना में स्कूटर कारखाने की स्थापना

3985. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में पटना के निकट स्कूटर बनाने वाले कारखाने की स्थापना के लिये किसी फर्म को लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है; और

(ग) क्या कारखाने की स्थापना विदेशी सहयोग से की जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) महारानी दुर्गेश्वरी साही, बी० ए० पटना को 25 अगस्त, 1971 को बिहार राज्य में पटना में 24000 नग प्रतिवर्ष की क्षमता से स्कूटरों का निर्माण करने के लिये एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना का आशय पत्र जारी किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

कुड्डप्पा और विशाखापत्तनम केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र बनाना

3986. **श्री के० कोड्डा रामी रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुड्डप्पा और विशाखापतनम केन्द्रों को पूर्ण केन्द्र बनाने का है; और

(ख) क्या विदेशों में रह रहे तेलुगु भाषी लोगों के लाभ के लिए सरकार का विचार एक्सटर्नल बुलेटिन आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) विशाखा-

पतनम को चालू योजना के दौरान पूर्ण केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है। स्टूडियो स्थापित कर कडुप्पा का दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर अगली पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय विचार किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

आंध्र प्रदेश में सहायक प्रादेशिक अधिकारी

3987. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और तामिलनाडु के जहां फील्ड पब्लिसिटी यूनिट कम संख्या में हैं, सहायक प्रादेशिक अधिकारी के पद की व्यवस्था है जबकि आंध्र प्रदेश में ऐसा कोई पद नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) क्या बहुत से राज्यों में रेडियो स्टेशनों की इमारतें पक्की हैं जबकि आंध्र प्रदेश में उनकी इमारतें किराये पर हैं और टूटी-फूटी हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सहायक प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति प्रादेशिक अधिकारियों की सहायता करने या संबंधित प्रदेशों या यूनिटों में कार्य की मात्रा के आधार पर क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों का कार्यभार संभालने तथा कुछ प्रदेशों की अपने सीमावर्ती या आदिवासी क्षेत्रों में अभियानों के लिए विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है फिलहाल आन्ध्र प्रदेश में कोई सहायक प्रादेशिक अधिकारी नहीं है, जबकि विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए के लिए एक सहायक प्रादेशिक अधिकारी उड़ीसा में है और एक तमिलनाडु में है जो एक क्षेत्रीय प्रचार यूनिट का इंचार्ज है। तथापि, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों के कर्मचारियों के कार्य-भार का अध्ययन हाथ में लिया गया है और अध्ययन की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रदेशों में सहायक प्रादेशिक अधिकारियों को तैनात करने के बारे में पुनर्विलोकन इन सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(ख) कई राज्यों में आकाशवाणी के केन्द्र किराए के भवनों में स्थित हैं। जहां केन्द्रों के लिए आकाशवाणी के स्थाई भवन नहीं हैं, वहां ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी है। चालू योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और हैदराबाद में स्थाई स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं।

Infiltration of Pakistanis and Their Anti-National Activities During Indo-Pak War

3988. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the complaints regarding infiltration of large number of Pakistanis into our country and their anti-national activities during the last Indo-Pak war;

(b) whether such anti-national elements were found giving signals to attacking enemy planes in Agra Cantt. and other places; and

(c) if so, the number of persons found guilty and the action taken against them and whether search for such elements is still in progress ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (c) : During the war no such infiltrators came to notice in Assam, Meghalaya, Tripura, Punjab or Gujarat. In West Bengal three Pakistani nationals were arrested on suspicion of

being saboteurs or spies and action is being taken against them according to law. In Jammu and Kashmir, some armed commandoes infiltrated into the Poonch and Rajouri sectors. Some were killed and some captured by the Indian security forces.

(b) No such instances came to notice in any of the border States or at Agra in Uttar Pradesh. One such complaint in Jammu and Kashmir was inquired into but was not substantiated.

टेलो के स्थान पर किसी अन्य वस्तु की खोज करने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य

3989. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलो के स्थान पर जो इस समय आयात की जाती है, किसी अन्य वस्तु की खोज करने के लिये सरकारी प्रयोगशालाओं में कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) चर्बी के स्थान पर प्रयोग के लिए किसी वस्तु का पता लगाने के लिए (1) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (आर० आर० एल०). हैदराबाद और (2) भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आई० आई० पी०) देहरादून में खोजबीन जारी है ।

रबर उद्योग द्वारा कास्टर के हाइड्रोजनीकरण और बिनौले के तेल को चर्बी के स्थान पर प्रयोग करने के लिये प्रायोगिक संयंत्र स्तर का कार्य क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद कर रही है ।

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान ने पैराफीन अथवा मोम के उच्च आक्सीकरण द्वारा वसा अम्ल के संश्लेषण पर प्रयोगशाला स्तर पर कार्य समाप्त कर लिया है । अग्रिम विकास कार्य उद्योगों के सहयोग से जारी है ।

चुनावों के दौरान विदेशी धन का आना

3990. **श्री एस० एम० बनर्जी** . क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के चुनावों में कुछ स्थानों पर सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवारों को पराजित कराने के लिए सी० आई० ए० ने कुछ उम्मीदवारों पर भारी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या इन्दौर तथा अन्य स्थानों पर सी० आई० ए० की गति-विधियों के बारे में कुछ समाचार पत्रों में छपे समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर सरकार निरन्तर नजर रखती है । किन्तु सदस्य महोदय अनुभव करेंगे कि सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों का

प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है, इसका ब्यौरों प्रकट करने से कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होगा।

Commentary on Congress C.P.I. Election Alliance Over All India Radio Delhi

3991. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether a Commentator of the Delhi Station of All India Radio, while broadcasting a review on the last Elections had stated that had there been no Election alliance between Congress and the C.P.I., the latter would not have secured as many seats in Bihar and other States as it has secured now;

(b) if so, the propriety of using the All India Radio for making one-sided propaganda and that too for the Congress party only; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) to (c) : The statement referred to was part of the comment made by Journalist in a commentary broadcast from A.I.R. Delhi, giving his assessment of election results.

The aim of these commentaries is not propaganda for any party, but to provide a forum for the benefit of the listeners for specialists in various subjects to discuss, interpret and assess current affairs.

जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों का विलय

3992. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1972 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के विलय की बात कहीं थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रायल में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 16 मार्च, 1972 को मुख्य मंत्री ने इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। किन्तु 17 मार्च 1972 को संवाददाता सम्मेलन के दौरान बताया जाता है कि मुख्य मंत्री ने केवल यह कहा था कि समस्त पहाड़ी क्षेत्रों का स्वागत है परन्तु मूल रूप से इसका निर्णय उन्हीं को करना है कि वे हमारे साथ मिलना चाहते हैं।

(ख) भारत सरकार का इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

विधान सभाओं के चुनावों में आकाशवाणी द्वारा तथाकथित पक्षपातपूर्ण प्रसारण

3993. **श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत विधान सभा चुनावों में आकाशवाणी द्वारा किये गये प्रसारणों के बारे में

विरोधी दलों ने शिकायत की है और आरोप लगाया है कि उसने कांग्रेस (सत्तारूढ़) के चुनाव अभियान के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया था;

(ख) क्या आकाशवाणी ने प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रियों द्वारा दिये गये भाषणों और वक्तव्यों को अपने प्रसारणों में अधिक समय दिया जबकि अन्य दलों के नेताओं को उतना समय नहीं दिया गया; और

(ग) क्या सरकार विधान सभा के गत चुनावों के सम्बन्ध में आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समाचार प्रसारणों विवरणों के रूप में किये गये प्रसारणों के पाठ को सभा पटल पर रखेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) **तथा** (ख) : जबकि इस प्रकार के विचार समाचार पत्रों में तथा अन्य मंचों पर व्यक्त किए गए हैं, आकाशवाणी को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मुख्य समाचार बुलेटिनों कीं अंग्रेजी तथा हिन्दी में प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं और वे वहां उपलब्ध हैं ।

मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री विरोधी प्रचार में विदेशी शक्तियों का तथाकथित हाथ

3994. **श्री वयालार रवि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1972 के 'पेट्रियट में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है कि हाल के चुनावों में मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री विरोधी प्रचार में विदेशी शक्तियों का हाथ होने की शंका पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चिंता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर सरकार निरन्तर नज़र रखती है । किन्तु सदस्य महोदय अनुभव करेंगे कि सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है इसका ब्यौरा प्रकट करने से कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होगा ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच

3995. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **प्रधान मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-1971 तक वित्त के गबन, लेखा बाह्य धन तथा अवैध सम्पत्ति के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों की जांच पूरी कर ली है, और

(ख) उनमें से कितने मामलों में दंड देने के निदेश किए गए हैं अथवा शिफारिश की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1967 से 1971 तक की अवधि में रिश्वत, अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति,

अवैध आर्थिक लाभ प्राप्ति तथा गबन इत्यादि के बारे में सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित 8258 मामलों में जांच पूरी कर ली है ।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मामलों में से 1789 मामलों में अभियोजन की सिफारिश की गई थी, जबकि वर्ष 1967 से 1971 की अवधि के दौरान 4860 मामलों में विभागीय कार्रवाई के निदेश दिये गए थे ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध की जा रही जांच के मामले

3996. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पश्चिम बंगाल में किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अथवा भारतीय पुलिस सेवा के अथवा भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पश्चिम बंगाल के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के सम्बन्ध में एक मामला जाँचाधीन है ।

(ख) जांच कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये उदार छात्रवृत्ति योजना

3997. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्रों से चुने जाने वाले सैनिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा 1968 में बनाई गई उदार छात्रवृत्ति योजना में 1968 से पहले वाले विद्यार्थियों के लिए किसी लाभ की व्यवस्था नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अभिभावक एसोसिएशन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) तथा (ख)** : सैनिक स्कूलों में अध्ययन करने वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना के मामले में छात्रवृत्ति की दरों और जीविका-साधन जांच में अगस्त 1967 में किये गये मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर किंचित परिवर्तन कर दिया गया था और इसे उसके बाद जनवरी, 1968 से शुरू होने वाले प्रथम नये सत्र से इन स्कूलों के दाखिल हुए छात्रों पर लागू किया गया । पुराने लाभान्वित छात्र पुरानी योजना से लाभ उठाते रहेंगे ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

रूस से औद्योगिक वस्तुओं का आयात

3998. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लिये वाणिज्यिक शर्तों पर औद्योगिक वस्तुएं सप्लाई करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो रूस द्वारा की गई पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश पर विचार किया है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : हाल ही में उद्योगों की एक सूची, जिनके सम्बन्ध में भारत के दोनों ही क्षेत्रों अर्थात् निजी तथा सरकारी के इच्छुक पक्षकारों को सोवियत संगठन वाणिज्यिक शर्तें प्रदान कर सकता है, प्राप्त हुई हैं। इस सूची में 58 विषयों की मुख्य रूप रेखाएं दी गई हैं जिनके विषय में यु० एस० एस० आर० सहयोग कर सकता है।

भारत सोवियत सहयोग की संभावनाओं पर उद्योग तथा व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का ध्यान उन विषयों पर आकृष्ट किया गया है।

विदेशों में टेलीविजन का प्रशिक्षण

3999. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीविजन का प्रशिक्षण लेने के लिये टेलीविजन केन्द्र के कर्मचारियों को विदेशों में भेजा जा रहा है जब कि दिल्ली में एक टेलीविजन प्रशिक्षण संस्था खुल गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : दिल्ली का टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान टेलीविजन प्रोडक्शन तथा टेलीविजन तकनीकी परिचालन का मूल प्रशिक्षण देता है। जब जरूरी होता है टेलीविजन सम्बन्धी व्यक्तियों को टेलीविजन प्रविधि में उच्च प्रशिक्षण, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अन्य देशों में नवीनतम प्रगति से परिचय प्राप्त करने के लिये विदेशों में भेजा जाता है।

टेलीविजन स्टाफ आर्टिस्टों के लिये पुनरीक्षित वेतन-मान

4000. **श्री लालजी भाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार टेलीविजन केन्द्र के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये पुनरीक्षित वेतन-मानों की घोषणा करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

Newspapers' Reactions on Recent Indo-Pak War

4001. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether some of the newspapers had criticised India and tried to justify the stand of Pakistan before and during the recent Indo-Pak conflict;

(b) whether Government propose to enquire into it; and

(c) the action taken by Government against such anti-national newspapers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) A very small number of newspapers criticised India's policy and tried to justify Pakistan's stand before the recent conflict.

(b) The news reports and editorial comments of such newspapers were continuously under scrutiny.

(c) Newspapers have freedom to express their views provided they do not offend against provisions of law, or prejudice the security of the country, In such cases, action is taken according to the law.

Statement by Leader of Jamait-E-Islami Party in J. &. K. Assembly Regarding Kashmir

4002. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Piloo Modi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by the leader or Jamait-e-Islami Party in the Jammu and Kashmir Vidhan Sabha that Kashmir was a disputed issue as reported in the 'Hindustan' dated the 23rd March, 1972; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information & Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Govern ment have seen the report referred to.

(b) The statement, as reported, is untenable, misconceived and opposed to facts of history.

आकाशवाणी टेलीविजन केन्द्र के लिये केजुअल नाटक कलाकारों का चयन

4003. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** —क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आकाशवाणी टेलीविजन केन्द्र के लिये 1970 में कुछ व्यक्तियों का केजुअल नाटक कलाकारों के रूप में चयन किया गया था तथा गत दो वर्षों में उनमें से किसी को एक बार भी किसी नाटक में भाग लेने के लिये नहीं बुलाया गया ;

(ख) क्या नये कलाकारों के चयन सम्बन्धी रिकार्ड खो गये थे तथा केन्द्र ने पुराने कलाकारों से कार्य चलाने का निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नन्दिनी सत्पथी) :

(क) टेलीविजन नाटक में भाग लेने के लिए 1970 में जिन व्यक्तियों का चयन किया गया था, उनमें से दो को छोड़कर सभी को टेलीविजन नाटकों में भाग लेने के लिए बुलाया जा

चका है । शेष दो व्यक्तियों में से एक से सम्पर्क नहीं किया जा सका । दूसरे को एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार के रोल के लिए चुना गया था और उसको वह रोल देना अभी तक संभव नहीं हुआ है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Development of Border Districts of U.P. by Central Government

4004. **Shri Narendra Singh Bisht** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether after declaration of 3 out of 8 Districts of Uttarkhand, i e. Pithoragarh, Chamoli and Uttarkashi, as border Districts, the entire fund for running the administration of these Districts is provided by the Central Government with a view to ensure proper development of these Districts and the entire responsibility of their administration and development rests with the Centre; and

(b) if so, the progress made in different fields in these districts after they were declared as border districts ?

The Minister of State in the Ministery of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir. The administration of these districts including the implementation of the development Plans continues to be the function of the Government of U. P. The Government of India provides financial assistance as detailed below for the better discharge of these functions by the State Government.

(i) **Pattern of Central Assistance for development schemes of Uttarkhand region included in the State Fourth Plan.**

In the proportionate Central assistance for the Plan outlays of Uttarkhand region, 50% of the amount is grant and 50% loan, as against the normal pattern of 30% grant and 70% loan for the State Plan as a whole.

(ii) **Pattern of assistance for non-development items.**

(a) Expenditure on pay and allowances of key officers and their personal staff including cost of construction and procurement of office and residential accommodation immediately necessary for such officers, is re-imbursed fully by the Government of India.

(b) 50% of the expenditure on other additional staff posted in these districts, is re-imbursed by the Government of India.

(e) 50% of expenditure on non-developmental schemes of Revenue, Police and Food and Civil Supplies Departments, is re-imbursed by the Government of India.

(d) 75% of the cost of development schemes and cost of construction and maintenance of roads of economic importance, is re-imbursed by the Government of India.

(b) On the basis of the information furnished by the State Government, two state-

ments—Statement I, indicating the progress of expenditure on developmental programmes undertaken in these districts from 1960-61 to 1972-73 and Statement II, showing the progress in the achievement of physical targets, are attached herewith. **[Placed in the Library. Please see No. L.T.—1857/72]**

Review of Publicity Work at the Conference of Information Ministers

4005. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(b) whether at the Conference of Information Ministers of various States held at Srinagar in October 1969, a review was made of the existing institutional structure in regard to co-ordination and publicity work; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) and (b) : The Information Ministers at their Conference in October, 1969 took note of the coordination that existed between the Centre and the States in the matter of undertaking information and publicity operations, and appreciating the need for identifying area of likely duplication of effort, decided to set up a sub-Committee consisting of three representatives from the State Governments and three from the Central Government to go into this problem in greater depth. The Sub-Committee so constituted, at its first meeting, decided that data about the publicity structure in various States should be collected and analysed, to enable it to consider the matter further. This innformation is being collect d at present.

आकाशवाणी के महानिदेशक के पद का भरा जाना

4006. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के महानिदेशक के निम्न पद के भरे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) उस रिक्त स्थान को किस तरीके से भरा गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनीसत्पथी) : (क) निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार अधिकारी का चयन करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक पद्धतियों पर विचार समय पर पूरा नहीं हो सका ।

(ख) यह पद आई. ए. एस. के एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति द्वारा 10 मार्च, 1972 से भरा जा चुका है ।

नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवारों के आचरण पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया का समाप्त किया जाना

4007. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियुक्ति से पूर्व किसी उम्मीदवार के आचरण तथा पूर्ववृत या जाँच की व्यवस्था है;

(ख) क्या केरल सरकार ने नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवारों के आचरण तथा पूर्ववृत्त जांच की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पद्धति को समाप्त न करने के क्या कारण हैं।

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्। भारत सरकार के अधीन किसी सेवा या पद में उनकी नियुक्ति से पूर्व उम्मीदवारों के आचरण तथा पूर्ववृत्त की जांच कर ली जाती है।

(ख) तथा (ग) : केरल सरकार से उस सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के आचरण तथा पूर्ववृत जांच प्रक्रिया को समाप्त करने के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। किसी अवस्था में भी, इस मामले में उस राज्य सरकार को उनके अधीन नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय करना है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति का सम्बन्ध है, उम्मीदवारों के आचरण तथा पूर्ववृत्त की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाती है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्त किए गए व्यक्ति ईमानदार, सच्चे तथा निष्पक्ष हों और उन पर जो विश्वास रखा जाता है उसके दुरुपयोग होने की सम्भावना न हो।

बिहार में डिस्पेन्सरियों द्वारा डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को औषधियों का सप्लाई न किया जाना

4008. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना तथा राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर डाक व तार डिस्पेन्सरियों द्वारा रोगियों को उसी दिन औषधियां सप्लाई नहीं की जाती हैं और दूसरे शनिवार तथा छुट्टियों के मामले में उनका दो दिन के पश्चात भी औषधियां लेने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या टैकनीशनों की कमी के कारण रोग विज्ञान संबधी परीक्षण के लिये कई दिनों तक कर्मचारियों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या डाक व तार औषधियों के कर्मचारी समयोपरीय के अधिकारी नहीं है; और

(घ) यदि भाग (क) से (ग) तक के उत्तर हां में हों, तो डाक तार औषधालयों की स्थिति सुधारने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कुछ ऐसी दवाइयों को छोड़कर जिन्हे स्थानीय बाजार से इंडेंट कर खरीदना पड़ता है, बाकी सभी दवाइयां डाक-तार डिस्पेंसरियों से रोगियों को उसी दिन दे दी जाती है। विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी यथासंभव उसी दिन दे दी जाती हैं परन्तु यदि नुस्खा शाम को मिले तो फिर दवाई अगले कार्य दिवस को दी जाती है।

(ख) रोग विज्ञान संबंधी जांच नमूना मिल जाने पर आमतौर पर उसी दिन कर दी जाती है। केवल कुछ मामलों में ही एक या दो दिन की देरी होती है।

(ग) जी नहीं। डिस्पेंसरी के कर्मचारी समयोपरि भत्ते के हकदार नहीं हैं।

(घ) पटना में एक अतिरिक्त डाक-तार डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके मंजूर हो जाने पर मौजूदा डिस्पेंसरी के साथ-साथ रोग विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला में भी भीड़ कम हो जाएगी।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियां

4009. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि विद्रोही नागाओं ने उस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और उन्होंने तामेगलोंग में बफादार नागाओं से जबरन 8000/- रुपये वसूल किये हैं;

(ख) क्या 'फेडरल नागा आर्मी' ने उस क्षेत्र में हाल में अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं और उन्होंने स्वयंसेवकों की भर्ती तथा 'फेडेरल टेक्स' के रूप में धन वसूल करने के लिए आतंक फैला रखा है; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच. मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार मणीपुर के तमेंगलोंग क्षेत्र में छुपे नागाओं की गतिविधियों की सतत्ता से अवगत है; किन्तु यह सच नहीं है कि गत कुछ हफतों में ऐसी गतिविधियों में कोई अचानक वृद्धि हुई है।

(ग) ऐसी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं तथा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात भारत के कब्जे में आए पवित्र धार्मिक स्थान एवं 'गुरुद्वारे'

4011. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात हमारे कब्जे में कौन-कौन से पवित्र धार्मिक स्थान एवं गुरुद्वारे आए हैं;

(ख) क्या इनके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

जनगणना कर्मचारी संघ, केरल द्वारा ज्ञापन

4012. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल के जनगणना कर्मचारी संघ से उनकी शिकायतों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हाँ।

(ख) जनगणना कर्मचारी संघ, केरल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की मुख्य बातें तथा सरकार द्वारा किये गये उपायों का एक विवरण संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गए। देखिये संख्या एल० टी० 1858/72**]

Strikes by Government Employees

4013. **Shri B. C. Chowhan** : Will the **Prime Minister** be pleased to state ;

(a) the number of times the Central Government employees went on strike during the last three years;

(b) the number of employees removed from service on account of these strikes and the number of employees, among them, reinstated; and

(c) the reasons for not reinstating the remaining ones ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) : There has been no general strike of Central Government employees during the last three years. However, there have been some cases of stray strikes during this period in a few organisations or establishments, information regarding which is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Madhya Pradesh Scheme for Unemployed Graduates

4014. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have forwarded any scheme to the Central Government for providing employment to unemployed graduates in the State; and

(b) if so, the main features thereof and the estimated number of persons who would be provided employment thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : **(a) & (b)** : No such proposal has so far been received from the Government of Madhya Pradesh. The Planning Commission has, however recently addressed the Government of Madhya Pradesh to formulate employment programmes involving an outlay upto Rs. 4.08 crores in 1972-73 on the understanding that the State Government could be given additional Central Assistance upto a ceiling of Rs. 2.04 crores, the balance to be mobilised by the State Government and to forward the scheme by 1st May 1972 for consideration in the Planning Commission.

इण्डियन एसेम्बली आफ यूथ की गतिविधियाँ

4015. **श्री पी० के० देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1972 के 'पेट्रियट' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सी० आई० ए० द्वारा वित्तपोषित 'इण्डियन एसेम्बली आफ यूथ' तथा इसकी गतिविधियों के बारे में ब्यौरा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए कमर्शियल इस्टेट्स

4016. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए देश के विभिन्न भागों में कमर्शियल इस्टेट्स की स्थापना करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा, उन पर कितना व्यय होगा और क्षेत्रों को चयन करने की कसौटी क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम बनाया गया है उसमें कामर्शियिल इस्टेट सहित पांच योजनाएं सम्मिलित हैं । इन योजनाओं के लिये 6 5 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया था । प्रत्येक योजना की राशि को बताते हुए यह राशि दिसम्बर. 1971 में राज्य सरकारों को आबंटित की गई थी । राज्य सरकारें, फिर भी इस राशि को एक अथवा अनेकों योजनाओं में इस राशि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र थी । इन योजनाओं का कार्यान्वित करना पूर्णरूप से राज्य सरकारों के ऊपर था ।

सी० आई० ए० के ऐजेंटों की भारत में गतिविधियां

4017. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1972 के साप्ताहिक 'ब्लिट्ज' में पृष्ठ 3 पर प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि सी० आई० ए० के ऐजेंट प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सत्तारूढ़ दल तथा विभिन्न राज्य सरकारों में घुसने के प्रयत्न कर रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) संबंधित समाचार पत्र की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

(ख) सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर सरकार नजर रखती है । सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे देश के साथ अच्छे सम्बन्ध बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियां सहायक नहीं है । किन्तु सदस्य महोदय अनुभव करेंगे कि सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है, इसका ब्यौरा प्रकट करने से कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होगा ।

रोजगार सम्बन्धी योजनाओं के लिए राज्यों को धन का आवंटन

4018. **श्री वयालार रवि** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के अवसर बनाने के लिये वर्ष 1972-73 के बजट में आवंटित धन का विभिन्न राज्यों में वितरण करने के लिये क्या सामान्य सिद्धान्त अपनाये गये हैं अथवा अपनाने का विचार है ;

(ख) इस धन की जनसंख्या के आधार पर वितरित करने के लिए क्या आवश्यक उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि वह धन जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जायेगा तो इसमें केरल का क्या हिस्सा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

राज्यों में नौकरी चाहने वाले लोगों को लाभान्वित करने के लिए वार्षिक योजनाओं में जो स्कीमें शामिल की गई हैं उनके अलावा 1972-73 में नई विशेष रोजगार स्कीमें तैयार करने के लिये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 26.5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव किया है । यह इस बात को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि राज्य सरकारें भी रोजगार कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कम से कम इसके बराबर संसाधन जुटायेंगे । इस धनराशि को जनसंख्या के आधार पर वितरित करने का विचार है ।

योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर 1 मई, 19 2 तक योजना आयोग के विचारार्थ भेज दें । इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर उनकी संवीक्षा कर, योजना आयोग वित्त मंत्रालय से परामर्श कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगा । तदनुसार, केरल सरकार 1.04 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की हकदार होगी । इसका मतलब हुआ कि केरल सरकार 1972-73 के दौरान 2 08 करोड़ के परिव्यय के विशेष रोजगार कार्यक्रम तैयार करने में समर्थ होगी ।

विमान यात्रियों की तलाशी लेने का प्रशिक्षण देने हेतु एक सस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव

4019. **श्री पम्पन गोडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान यात्रियों की अच्छी तरह तलाशी लेने के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है : और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ. एच. मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृहों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

4020. **श्री के० बालदन्डायुतम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने हेतु बड़े औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कितने मामले शुरू किये गये हैं ;

(ख) इन औद्योगिक गृहों ने ठीक-ठीक क्या अपराध किये हैं, और

(ग) उनका अन्तिम परिणाम क्या निकला है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) : देश में बहुत बड़े औद्योगिक गृह हैं, उनमें से प्रत्येक में बहुत सी संस्थायें समाविष्ट हैं। इस लिये, यदि आदरणीय सदस्य उन संस्थाओं/कम्पनियों/औद्योगिक गृहों के व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करें तो वांछित सूचना एकत्रित करके दे दी जायेगी।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें

4021. **श्री के० बालदण्डायुतम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र राज्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे में प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने 'केन्द्र-राज्य सम्बन्धों' पर अपनी रिपोर्ट में केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक प्रबन्धों से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें की हैं। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

नरेला पुलिस स्टेशन, दिल्ली के विरुद्ध शिकायत

4022. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरेला पुलिस स्टेशन दिल्ली के अधिकारियों ने 28 मार्च 1972 को राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दराईपुर कला (कंजावला) दिल्ली में हुई चोरी के बारे में विद्यालय द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान देने से इन्कार कर दिया था;

(ख) क्या शिकायत उस समय दर्ज की गई थी जब कि विद्यालय के प्रिंसिपल ने मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी दी थी; और

(ग) यदि हां, तो पुलिस स्टेशन के सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सही नहीं है कि प्रिंसिपल द्वारा मामले की उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की धमकी देने के पश्चात् ही रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 24-3-1972 को नरेला पुलिस चौकी में स्कूल के चौकीदार श्री भूप सिंह द्वारा स्कूल के बिजली के पंखे के चुराये जाने के बारे में एक रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457/380 के अन्तर्गत दिनांक 24-3-1972 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58 के अनुसार दर्ज की गई थी।

(ग) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Language of News Communicated to Hindi Newspapers

4023. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news regarding Hindi Information Department appearing on the last page of the daily 'Hindustan' (morning edition) published from New Delhi dated the 30th March and if so, the action proposed to be taken in this regard;

(b) whether the news communicated to the newspapers in Hindi are originally prepared in English or in Hindi; and

(c) whether the speeches, etc. made in Hindi are first translated into English and then this English version is translated into Hindi and if so, the extent thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Yes, Sir. Government's attention has been drawn to the news item. The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance have carried out a study of the workload of the staff in the Press Information Bureau at its headquarters. Their recommendations involve reduction of some posts including a few posts sanctioned for undertaking Hindi publicity. The matter is, however, under discussion with the Staff Inspection Unit and no final decision has been taken.

(b) A majority of the Press releases sent to the newspapers are translated from English into Hindi but a number of releases, including feature articles, are prepared originally in Hindi also.

(c) No, Sir.

Anti-India Propaganda by Various Institutions in India

4024. **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the map of India appearing on page 71 of the book entitled "Adventure in Services" published by Rotary International, Zurich;

(b) if so, the reaction of Government in the light of a news item in this regard published on page 3 of the morning edition of daily 'Aaj' of Varanasi dated the 26th March, 19 2;

(c) whether many international clubs and institutions, having their Branches in this country, are engaged in anti-India propaganda; and

(d) whether institutions like the American Academy, Ram Nagar, Varanasi are serving the interest of India and if so, their functions and the reasons for resentment in the Indian public against these institutions ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have also seen the press report. The matter is under examination

(c) Government have no such information.

(d) The American Academy at Varanasi was established with the object of undertaking a study and research of South Asian art and culture. According to information available with the Government, there had been on some occassions demonstrations before the Academy to protest against the policies of the Government of United States.

तेल्लीचेरी में डाक टिकटों के अमूल्य संग्रह की क्षति

4025. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में तेल्लीचेरी में साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप लोगों की पीढ़ियों द्वारा संरक्षित डाक टिकटों का अमूल्य संग्रह जल कर राख हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके प्रतिस्थापन के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : केरल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1971 में तेल्लीचेरी के दंगों में केरल फिलाटेलिक ब्यूरो के सेक्रेटरी के मकान को आग लगा दी गई थी। बताया जाता है कि संरक्षित डाक टिकटों का एक बड़ा संग्रह जल कर राख हो गया। अब तक राज्य सरकार क्षति के मूल्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकी है।

(ग) श्री सी० के० चन्द्रप्पन से प्राप्त ज्ञापन में क्षतिग्रस्त डाक टिकटों के संग्रह क यथासम्भव पुन: प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) आगजनी की घटना के सम्बन्ध में एक मामला दर्ज किया गया है और कानून के अनुसार जांच की जा रही है। तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गये हैं। मालूम हुआ है कि राज्य सरक र क्षति का मूल्यांकन करने के लिए आगे जांच करा रही है।

उर्वरक कारखानों में प्रयुक्त होने वाले बड़े उपकरणों के मानकीकरण के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञ समिति

4026 **श्री एस. आर. दामाणी** : क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उर्वरक कारखानों में प्रयुक्त होने वाले बड़े उपकरणों के मानकीकरण के लिए सुझाव देने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की वांछनीयता की जांच की है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): सरकार द्वारा रसायन उद्योगों के विकास के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की गई है। समिति के संदर्भ विचारार्थ विषयों की एक शर्त विभिन्न रसायन संयंत्रों, जहां भी संभव हो, की मानकीकृत क्षमता का निश्चय करना और सुझाव देना है। इस समिति ने उर्वरक उद्योग के लिये आवश्यक संयंत्र और उपकरणों पर एक कार्यकारी दल की भी स्थापना की है। इस कार्यकारी दल का कार्य प्रगति पर है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् छोटी कार परियोजना

4027. **श्री एस. सी. सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जब तक चौथी पंचवर्षीय योजना का पुर्नमूल्यांकन सम्बन्धी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक छोटी कार परियोजना के लिए सरकारी क्षेत्र में संयंत्र लगाने के बारे में आगे कोई कार्यवाही न की जाए, और

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि किस समय तक प्रस्तावित छोटी कार परियोजना पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

भारतीय इंजीनियरिंग सेवा का निर्माण

4028. **श्री कार्तिक उराँव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियरिंग सेवा की केन्द्रीय सेवा का निर्माण करने सम्बन्धी मामला सक्रिय रूप से भारत सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : **(क) तथा (ख)**: अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951, जिसे वर्ष 1963 में संशोधित किया गया, में अन्य बातों के साथ साथ इंजीनियरी के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए व्यवस्था है । जब सेवा का औपचारिक रूप से गठन होगा तो यह केन्द्रीय सेवा न होकर एक अखिल भारतीय सेवा होगी । भारतीय इंजीनियरी सेवा के औपचारिक रूप से गठन के आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों जिन्होंने इस सेवा में पहले शामिल होने की सहमति प्रकट की थी, उन्होंने बाद में अपनी स्वीकृति वापस ले ली या इस सेवा के गठन के बारे में अपनी शर्तें व्यक्त कीं । सरकार इस मामले में सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से पुनः विचार कर रही है, ताकि उन्हें प्रस्तावित सेवा में शामिल करने की दृष्टि से राजी किया जा सके । अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

Kota Atomic Power Station

4030. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) the time by which the Atomic Power Station being set up at Kota, Rajasthan would go into production;

(b) the power generating capacity thereof;

(c) the rate at which power would be made available to farmers mill-owners and to cities; and

(d) the name of the States likely to be supplied power from the said station ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : **(a) & (b)** : The Rajasthan Atomic Power Station consists of two units with a capacity of 200

MWe each. The first unit of the Station is expected to station criticality in June 1972 and the second unit in 1974. Full commissioning can be expected a few months thereafter.

(c) The power generated at the Station will be supplied to the State Electricity Board who will sell it to consumers at rates to be fixed by them.

(d) The matter is under consideration.

Effect of Shortage of Electricity on Production of Industries in A.P.

4031. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether electricity supply has recently registered a steep fall in Andhra Pradesh; and

(b) if so, the number of industries whose working has been impeded and also the loss in production as a result thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b) : It is understood that as against a normal requirement of 10.5 million units per day, Andhra Pradesh was generating about 9.2 million units a day and importing about one million units a day from Mysore. Since the middle of March 1972, due to non-availability of adequate water in Machkund reservoir, energy availability from the State's own resources has fallen to about 8.5 million units per day. Mysore Government has also reduced energy supply from about one million units per day to about 0.4 million units per day. There is, therefore, at present a shortage of about 1·6 million units a day in Andhra Pradesh. The Government of Andhra Pradesh has notified the imposition of a cut of 5% on all high voltage industries and restrictions in hours of supply to other consumers. There were about 995 H. V. industrial consumers in the State on 31.3.1971. The loss of production in these industries is not known The Ministry of Irrigation and Power is endeavouring to arrange relief power to the State from Kerala through the Tamil Nadu grid.

सिगरेट निर्माताओं से अभ्यावेदन

4032. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को हाल ही में सिगरेट निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : फिलहाल सरकार के पास सिगरेट निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष 1969, 1970 तथा 1971 में सिगरेट निर्माताओं के एसोसियेशन व अन्य लोगों से जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं, अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इस अभ्यावेदनों में मुख्य बातें ये थीं कि चूंकि मेजारिटी शेयर धारी विदेशी कंपनियों का सिगरेट उद्योग में एकाधिकार है, उन्हें विस्तार करने की अनुमत्ति नहीं दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में सरकार की नीति की घोषणा दिनांक 13 मई 1969 के लोक सभा में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में की गई थी जो इस प्रकार है :—

"सरकार की नीति भारतीय स्वामित्व वाले सिगरेट उद्योग में हुए उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा बढ़ती मांग पर ध्यान देने की है । सरकार उन कम्पनियों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करती है जो शत प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली है ।

इस नीति के अनुसरण में सिगरिट बनाने की भारतीय कम्पनियों को 18 आशय पत्र दिये गये हैं।

राष्ट्रीय रोजगार निधि

4033. **श्री अम्बेश** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में बंगलौर में हुई रोजगार सम्बन्धी गोष्ठी में दिए गए सुझाव के अनुसार 1,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय रोजगार निधि बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यह धन श्रमिकों के किन वर्गों पर खर्च किया जायेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार का इस प्रकार की गोष्ठी के बारे में कोई सिफारिश या अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीयों को विदेशी कम्पनियों में रोजगार

4034. **श्री बक्शी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी कम्पनियों में कुल कितने भारतीयों को रोजगार मिला हुआ हैं;

(ख) क्या विदेशी कम्पनियों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व में अविरत रूप से कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विदेशी फर्मों में 2001 रुपयों और उससे अधिक के वेतन क्रम में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों की संख्या 9209 है।

(ख) **और (ग)** : 2001 रुपयों और उससे ऊपर के वेतन क्रम में भारतीय कर्मचारियों का प्रतिशत 1961 में 40·8 प्रतिशत था अब 1971 में बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया है।

कम्पनियों का अर्जन करने के लिए मुआवजा

4035. **श्री बक्सी नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम्पनी (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई कम्पनियों के अर्जन के लिए कुल कितना मुआवजा दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

चमड़ा उद्योग को वित्तीय और तकनीकी सहायता

4036. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विचार हमारे देश के चमड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण करने तथा उसे निर्यात प्रधान बनाने के लिए इसे वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यह धन किन योजनाओं पर व्यय किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा प्रायोजित चमड़े की वस्तुओं के विकास-सह प्रदर्शन केन्द्र के सहायतार्थ, केन्द्रीय लेदर इंस्टीटयूट, मद्रास स्थिति एक परियोजना का जनवरी 1972 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की (यू० एन० डी० पी०) गर्बनिंग काउन्सिल ने अनुमोदन कर दिया है। इसमें यू० एन० डी० पी० द्वारा चार वर्षों की अवधि में दी जाने वाली 351,400 डालर की सहायता मिलने का प्रावधान है।

तार-रज्जू एककों में कच्चे माल की कमी

4037. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तार-रज्जू एकक कच्चे माल की सप्लाई की कमी का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : ऊंचे कार्बन वायर रोड का देश में उत्पादन तार रज्ज उद्योग की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1972-73 की आयात नीति में 40 प्रतिशत आयात करने का प्रावधान है यदि शेष आवश्यकताओं के लिये फर्म के क्रयादेश देशीय संसाधनों पर आधारित हों।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मद्रास स्थित रचनामूलक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र को सहायता देना

4038. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का विचार मद्रास स्थित केन्द्रीय रचनामूलक इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र को सहायता देने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की और कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है : और

(ग) परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हाँ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं, भारतीय वैज्ञानिकों को विदेशों में प्रशिक्षण सुविधाओं और भारत में निर्मित न होने वाले उपकरणों के संभरण के रूप में सहायता प्रदान करेगा। आशा है कि यू. एन. डी. पी. इस प्रायोजना के लिए 7,00,015 यू. एस. डालर तक का अंशदान करेगा।

(ग) यह प्रायोजना केन्द्र में व्यवहारोन्मुखी अनुसंधान और विकास कार्य के लिये

सुविधाओं को प्रभावकारी बनायेगी। इसका उद्देश्य भारत की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार विशिष्ट प्रगत्त तकनीकों को विकसित करने और उद्योगों द्वारा रखी गई व्यावहारिक समस्याओं को समाधान करके भवन और संरचना करना होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर, प्रायोजना निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी :—

(1) पूर्व सांचा निर्माण, पूर्व संरचना और भवन निर्माण के तरीके

(2) संचार लाईन मीनारों का अभिकल्प और परीक्षण

(3) इस्पात संरचनाओं के लिए सस्ते अभिकल्पों का विकास

(4) मशीन की बुनियादों का अभिकल्प और परीक्षण

(5) औद्योगिक भवनों के अभिकल्प और विशिष्टयां तैयार करना

(6) परमाणु दाब पत्रों के अभिकल्प और विश्लेषण।

स्कूटरों का निर्माण

4039. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग ने सरकार को और अधिक स्कूटर बनाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : एकाधिकार आयोग की रिपोर्ट दो विद्यमान स्कूटर निर्माताओं मेसर्स बजाज आटो और मैसर्स आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इंडिया की योजनाओं के विस्तार के बारे में प्राप्त हुई है, और इस समय उसकी जाँच की जा रही है।

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का पूरा होना

4040. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भवन अनुमान के अनुसार मार्च, 1971 तक बन कर पूरे हो गये हैं और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) 25 स्वचालित टेलीफोन भवनों में से कितने भवन वर्ष 1971-72 में पूरे हो गये हैं; और

(ग) डाकघरों और रेलवे मेल सेवा के कार्यालयों के लिए 201 भवनों में से कितने भवन वर्ष 1971-72 में बन कर पूरे हो गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : अनुमान है कि माननीय सदस्य भारतीय डाक-तार विभाग की 1970-71 की रिपोर्ट (कार्य-कलाप) के पृष्ठ 25 के पैरा 14 के उप-पैरा 6 और 7 में उल्लिखित भवन-निर्माण कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं।

(क) जी नहीं। मार्च 1971 तक 14 आटो-टेलीफोन एक्सचेंज भवनों में से 8 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 6 आटो-टेलीफोन एक्सचेंज भवनों का निर्माण कार्य मार्च 1971 तक पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका इसमें देरी होने का कारण कुछ तो ठेकेदारों की असफलता और कुछ कलकत्ता में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होना है।

(ख) 1971-72 के दौरान 25 आटो-टेलीफोन एक्सचेंज भवनों में से 6 भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) 1971-72 के दौरान 70 डाकघर और रेल-डाक सेवा कार्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अलबत्ता, इसमें मैसूर और मध्य प्रदेश सर्किलों की सूचना शामिल नहीं है। यह सूचना यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Broadcasting Station at Motihari (Bihar)

4041. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start a broadcasting station at Motihari n District Champaran in Bihar;

(b) if so, whether this would adequately serve the Bhojpuri speaking people especially in Bihar; Uttar Pradesh ard Nepal; and

(c) the time by which the aforesaid scheme is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) There is no proposal in the fourth Plan for setting up a Radio station at Motihari in the district of Champaran.

(b) & (c) : Do not arise.

भारत स्थित विदेशी कम्पनियों के अधिकारियों के वेतन

4042. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी कम्पनियां अपने उच्च अधिकारेयों को अत्याधिक वेतन देती है;

(ख) क्या सरकार ने इन औद्योगिक कम्पनियों के उच्च अधिकारियों के वेतन ढांचों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी;

(ग) यदि हां तो उन समिति के निष्कर्ष क्या है; और

(घ) इन कम्पनियों के वेतन ढांचों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप युक्तियुक्त बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास मत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अन्य औद्योगिक फर्मो की तुलना में विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों के वेतन कुछ अधिक हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कूच बिहार शरणार्थी सेवा के कृत्यों तथा उद्देश्यों की जांच

4043. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कूच बिहार शरणार्थी सेवा के कृत्यों तथा उद्देश्यों के मामले की जांच की है;

(ख) क्या उक्त संस्था के माध्यम से विदेशी धनराशियाँ कूचबिहार जिले के सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों सहित विभिन्न व्यक्तियों को दी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस धनराशि के स्त्रोत क्या हैं और कूच बिहार शरणार्थी सेवा को गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा विभिन्न व्यक्तियों और एजेन्सियों के माध्यम से कितनी धनराशि वितरित की गयी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) कूच बिहार शरणार्थी सेवा के, बंगला देश से शरणार्थियों के भारी संख्या में आने के दौरान राहत कार्य करने की खबर हैं। प्राकृतिक विपत्तियों जैसे बाढ़ से पीड़ित लोगों को भी यह राहत देती है। यह एक कृषि कालेज तथा अनेक स्कूल चलाती है।

(ख) और (ग) मालूम हुआ है कि यह संगठन विदेशों से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है। अलग अलग सँगठनों द्वारा विदेशों से भेजी गई धन राशि की प्राप्ति के पृथक से आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। ऐसा भी कोई नियम नहीं है जिसके अनुसार व्यक्तियों द्वारा किए गये व्यय के लेखे को रखना तथा छान बीन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्यहो। अतः पूछी गई सूचना उपलब्ध नहीं है।

एयर इलेक्ट्रनिक्स परियोजना

4044. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एयर इलैक्ट्रानिक्स परियोजना आरम्भ करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो यह कब आरम्भ की जाएगी, और

(ग) यह किस स्थान पर स्थापित की जायेगी और इस परियोजना पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : शब्द "एयर इलैक्ट्रोनिक्स" प्रोजेक्ट स्पष्ट नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य का संकेत उस भारत इलैक्ट्रानिक्स को दूसरी फैक्ट्री की ओर है जो माइक्रोवेव तथा रडार उपस्कर के निर्माण हेतु गाजियाबाद में स्थापित की जा रही है। आशा की जाती है कि इस यूनिट में उत्पदन सन 1973–74 के मध्य तक आरम्भ हो जायेगा नगर क्षेत्र के अतिरिक्त इस नई फैक्ट्री की अनुमानित लागत 11·5 करोड़ रुपये है।

राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि की दर

4045. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या है;

(ख) क्या वृद्धि की यह दर सभी राज्यों में समान थी, और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जनसंख्या में वृद्धि की दर में असमानता के कारण राजनीतिक और सामाजिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सन् 1971 की जनगणना से

अन्त: जनगणना के उपलब्ध आंकड़ों द्वारा प्रकट दर को छोड़कर इस समय राज्यों की जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दरों के सिलसिलेवार प्रत्यक्ष आंकडे उपलब्ध नहीं हैं। सन् 1971 की जनगणना के अस्थाई जनसंख्या के योग के अनुसार 1961—71 के दशक के लिए औसत ज्यामितिक वृद्धि की दरें संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1859/72]**

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) यह संभावना नही है कि एक या दो वर्षों के थोड़े से समय में राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दरों में असमानता के कारण राजनैतिक अथवा सामाजिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का दिवालिया होना

4046. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आर्थर बटलर कम्पनी मुजफ्फरपुर, जिस पर रेलवे का 12 लाख रु० बकाया पड़ा है, प्रतिमास 40 बैगनों का उत्पादन करने की क्षमता रखते हुए भी दिवाला निकालने की स्थिति में है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिवाले की स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मै० आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी, लिमिटेड मुजफ्फरपुर के कार्यों पर इस महीने भेजी गई रिपोर्ट में बिहार सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ इस मंत्रालय को बताया है कि भागीदारों के एक ग्रुप की याचिका के कारणों से कम्पनी अधिनियम की धारा 397 में अधीन इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाहियां इस उच्च न्यायालय कलकत्ता में आरम्भ कर दी गई हैं। रेलवे पर कम्पनी के 12.00 लाख रुपये के दावे के बारे में रेलवे बोर्ड ने बताया है कि दावे पर उनके द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है और दावे का कुछ भाग दोनों पार्टियों की राय से कलकत्ता में पंचाट के लिए भेज दिया है। कम्पनी की पूर्ण उत्पादन क्षमता 55 बैगन प्रतिमास बताई जाती है।

(ख) इस मामले पर बिहार सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय जांच समिति, की रिपोर्ट, राज्य सरकार के परामर्श सहित इस समय विचाराधीन है।

फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित कलाकार

4047. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त किसी कलाकार का निर्माता के कार्य के लिए चयन नहीं किया गया है, न ही विदेशी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और न ही उनकी पदोन्नति के कोई अवसर हैं, और

(ख) क्या फिल्मज़ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों को फिल्म प्रभाग में बहुधा अपने साथियों से कहीं अधिक कार्य करना पड़ता है और उन्हें वेतनमान भी कम मिलता है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मती नंदिनी सतपथी) : (क) अन्य उम्मीदवारों के साथ फिल्म संस्थान के प्रशिक्षित व्यक्तियों के बारे में टेलीविजन केन्द्रों में प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्ति के लिये विचार किया जाता रहा है। फिल्म संस्थान में प्रशिक्षित एक प्रोड्यूसर

दिल्ली टेलीविजन केन्द्र में पहले ही काम कर रहे हैं । फिल्म संस्थान व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है । संस्थान में प्रवेश पाकर कोई व्यक्ति तब तक सरकारी नौकरी में प्रविष्ट नहीं होता जब तक उसका सरकारी पद के लिये अलग से चयन न हो जाए । अतःएव, इस प्रकार के मामलों में पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता और न ही सरकार द्वारा उनको विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भेजने का ।

(ख) फिल्म प्रभाग और टेलीविजन में कुछ श्रेणी के पदों के वेतनमानों में कुछ अन्तर है ।

टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान

4048. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान, फिल्म इंस्टीट्यूट के बजाय आकाशवाणी के अधीन कार्य करता है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती नंदिनी सत्पथी) : टेलीविजन प्रशिक्षण केन्द्र भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान पूना का ही भाग है । यह आकाशवाणी का अधीनस्थ कार्यालय नहीं है ।

केन्द्रीय सचिवालयों में उप-सचिवों और इनसे उच्च पदों की संख्या

4049. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **प्रधान** शत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिवों तथा इससे उच्च रैंक के पदों की वर्गवार कितनी संख्या है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक वर्ग में विभिन्न सेवाओं के कितने कितने व्यक्ति पदासीन हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय में उप-सचिव तथा इनसे उच्च रेंक के अस्थायी तथा स्थायी वर्गवार पदों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 1 मार्च, 1972 को वास्तव में ऐसे पदों में पदासीन व्यक्तियों की संख्या को विवरण में देते हुए सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1 मार्च, 1972 को केन्द्रीय सचिवालय में उप-सचिव तथा इनसे उच्च रैंक के पदों में पदासीन विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	भारतीय सिविल सेवा । भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा	भारतीय प्रतिरक्षा लेखा-सेवा	भारतीय राजस्व सेवा	भारतीय डाक सेवा	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	भारतीय रेलवे लेखा-सेवा	अन्य	योग
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
उप-सचिव	104	22	11	32	6	97	9	20	301

निदेशक	34	7	1	10	—	10	—	10	72
संयुक्त सचिव	89	6	6	16	1	22	1	28	169
अतिरिक्त सचिव	20	—	3	2	—	1	1	4	31
सचिव	28	1	1	—	—	—	—	14	44

1 - उपर्युक्त आंकड़ों में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी तथा केन्द्रीय विधायी सेवा के अधिकारी शामिल नहीं हैं, जो कि विदेश मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय में उप-सचिव / निदेशक के पदों में पदासीन हैं।

2—ऐसे पद जिनका एक ही वेतनमान हैं जैसा कि उप-सचीव तथा उससे ऊपर के पद, किन्तु उनका पदनाम इस प्रकार न हो, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

कछार जिले में पाकिस्तान समर्थक और रजाकार

4050. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत हैं कि कछार जिले में पाकिस्तान समर्थकों और रजाकारों ने आतंक फैलाया हुआ है जहां गत एक माह से पाकिस्तान में निर्मित हथियारों से लैस होकर डाकुओं ने कई अवसरों पर गांवों पर हमला किया है ;

(ख) क्या इन डाकुओं के पास अच्छे हथियार हैं और वे स्थानीय पुलिस पर आसानी से काबू पा लेते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार से कहा गया है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सीमा सुरक्षा दल की सेवाएं उपलब्ध कराई जायें; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मांगी हुई सहायता दी गई है और इस प्रकार की घटनाओं के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Fresh Appointments in P & T Board

4051. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether fresh appointments have not been made in the Posts and Telegraphs Department for the last two years;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of vacancies at present ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Fresh appointments have been made in the P & T Department, in all major cadres in each of the last two financial years.

(b) Does not arise.

(c) Recruitment is made regularly and vacant posts are filled up. As the recruitment

is done by the respective field units, information in regard to the exact number of vacancies at present is not readily available.

Request from Madhya Pradesh for setting up of Scooter Plant

4052. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have made a request to the Union Government for setting up a scooter manufacturing plant in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the decision taken by the Union Government thereon ?

The Deputy Minister in the Miuistry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : In September, 1971, a request had been received from the Madhya Pradesh State Government for location of the proposed Central Public Sector Project for the manufacture of scooters in that State. The State Government had been informed at that time that their request would receive due consideration along with similar requests received from other State Governments at the appropriate time. It has since been decided to locate the Joint Sector Project for manufacture of scooters at Lucknow in the State of Uttar Pradesh.

Connection of Delhi with State Capitals by Direct Dialling System

4053. **Dr. Laxminarain Pandey ;**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the Delhi has been connected by direct dialling system with the capitals of all the States; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative, the names of the State capitals which have been linked by direct dialling system and the scheme in regard to the remaining ones ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir. Not yet.

(b) The following State capitals have direct dialling facility with Delhi :

1. Ahmedabad
2. Bombay
3. Chandigarh
4. Jaipur
5. Lucknow
6. Patna
7. Simla and
8. Srinagar

Coaxial and microwave schemes are being extended progressively to all State Capitals. Trunk Automatic exchanges have also been planned to cover all State Capitals. It is expected that all State Capitals will be linked with Delhi before the end of the V Plan period.

बंगला देश को भेजी जाने वाली तारों और टेलीफोन कालों के लिए शुल्क

4054. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न भागों से बंगला देश के लिए टेलीफोन कालों की दरें क्या हैं;

(ख) क्या बंगला देश को भेजी जाने वाली तारों के शुल्क वही होंगे जो इस देश में हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के विभिन्न भागों से बंगला देश को भेजी जाने वाली तारों और टेलीफोन कालों के शुल्कों में क्या अन्तर है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनदन बहुगुणा) : (क) बंगला देश के लिए टेलीफोन कालों की दरें इस प्रकार हैं :

	प्रारम्भिक तीन मिनट या इससे कम समय के लिए रु० पै०	प्रत्येक अतिरिक्त मिनट या उसके अंश के लिए रु० पै०
क्षेत्र-I—इसमें असम, मनीपुर, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और त्रिपुरा शामिल हैं ।	6.00	2.00
क्षेत्र-II—इसमें शेष भारत शामिल है ।	15.00	5.00

(ख) जी नहीं ।

(ग) **तारों की दरें**

	भारत में अंतर्देशीय दरें		भारत के किसी भाग से बंगला देश के लिए दरें	
	साधारण	एक्सप्रैस	साधारण	एक्सप्रैस
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
प्रेस से इतर तार				
पहले 8 या इनसे कम शब्दों के लिए	1.20	2.40	2.40	4.80
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	0·15	0.30	0.20	0.40

(ख) **टेलीफोन कालों के लिए चार्ज**

	भारत में अन्तर्देशीय दरें	**बंगला देश के लिए दरें**
किन्हीं दो एक्सचेंजों के बीच अरीय दूरी	3 मिनट के समय के एक यूनिट के लिए चार्ज रु० पै०	
20 किलोमीटर तक के लिए	0·50	जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के सामने दिया गया है ।
20 किलोमीटर से अधिक किन्तु 50 किलोमीटर तक के लिए	1.00	
50 किलोमीटर से अधिक किन्तु 100 किलोमीटर तक के लिए	2.00	
100 किलोमीटर से अधिक किन्तु 200 किलोमीटर तक के लिए	3.00	
200 किलोमीटर से अधिक किन्तु 500		

	किलोमीटर तक के लिए	5.00	:
500	किलोमीटर से अधिक किन्तु 900		:
	किलोमीटर तक के लिए	8.00	:
900	किलोमीटर से अधिक किन्तु 1300		:
	किलोमीटर तक के लिए	12 00	:
1300	किलोमीटर से		:
	ऊपर के लिए	16.00	:

विद्यालय पूर्व पोषण कार्यक्रम संबंधी अन्तर विभागीय समिति

4055. **श्री सी जनार्दनन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालय-पूर्व पोषण कार्यक्रम का पुनर्विलोकन करने के लिए योजना आयोग द्वारा बनाई गई अन्तर-विभागीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं, और

(ग) इन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29 मार्च, 1972 को योजना आयोग को प्रस्तुत की।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें नीचे दी जा रही हैं —

(1) समिति ने अपनी रिपोर्ट में समाज कल्याण विभाग के आहार कार्यक्रमों तथा शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में तालमेल लाने की सिफारिश की है। यदि किसी गांव या कस्बे में, प्राथमिक स्कूल और समाज कल्याण विभाग के आहार कार्यक्रम का केन्द्र दोनों हों, तो सभी विद्यालय पूर्व के बच्चों को इस केन्द्र से आहार मिलना चाहिए।

(2) यदि किसी स्थान पर 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे स्कूल लंच कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं तो वहां केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला विशेष पोषण पोषाहार कार्यक्रम केवल पांच वर्ष की आयु तक के बच्चों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

(3) समिति ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में महिला समितियों को सुदृढ़ किया जाय ताकि उनके द्वारा कम से कम आंशिक रूप से 5 से 10 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल लंच कार्यक्रम कार्यान्वित करना संभव हो सके।

(4) समिति ने देखा कि आहार कार्यक्रमों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के, हितग्राहियों तथा काम करने वाले दोनों के मन में पोषाहार के सिद्धान्तों को बिठाना चाहिए। तदनुसार, समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक राज्य के विद्यालयों में प्रदर्शनात्मक आहार केन्द्र खोले जाने चाहिए और ये आधुनिक रसोईघरों, बर्तनों और पर्याप्त पेय जल की उपलब्धि से पूरी तरह सुसज्जित हों। केन्द्रीय खाद्य विभाग के चलते फिरते खाद्य

और विस्तार एकक तथा सामुदायिक विकास विभाग के व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम तथा मिश्रित पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध पोषाहार शिक्षा की विद्यमान सुविधाओं को भी इस काम के लिए उपयोग में लिया जाय ।

(5) विशेष पोषण कार्यक्रम को अच्छे ढंग से कार्यान्वित करने के लिए समिति ने विस्तृत सुझाव दिये हैं ।

(6) भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विद्यालय पूर्व पोषण कार्यक्रमों के लिए एक प्रशासनिक तंत्र गठित किया जाए, समिति इस सुझाव के पक्ष में नहीं है । फिर भी, इस प्रयोजन के लिए विभिन्न आहार कार्यक्रमों के मध्य समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए समिति ने सुझाव दिया है कि राज्य स्तरीय, समितियाँ गठित की जानी चाहिए ।

(7) यह अनुभव करते हुए कि आहार कार्यक्रमों में अनुसंधान और विकास का काम सुदृढ़ आधार पर किया जाना चाहिए, समिति ने भावी अनुसंधान के लिए कई क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान करने का सुझाव दिया है ।

(8) समिति ने सुझाव दिया है कि आहार कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए समुचित मानदण्ड तैयार किए जाने चाहिए । ये विश्वसनीय और प्रामाणिक होने के साथ-साथ सरल तथा क्षेत्रीय दशाओं पर आसानी से लागू किए जाने वाले होने चाहिए ।

(9) समिति ने 29, मार्च, 1972 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार के सम्बद्ध विभागों राज्य सरकारों तथा अनुसंधान संस्थानों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा चुकी हैं । योजना आयोग द्वारा इस समिति की सिफारिशों पर शीघ्र ही विचार किए जाने की संभावना है ।

फर्मों और कम्पनियों पर टेलीफोन शुल्क की बकाया राशि

4056. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी फर्मों और कम्पनियों की संख्या क्या है जिन पर पिछले तीन वर्ष से एक हजार रुपये से अधिक टेलीफोन शुल्क की राशि बकाया है,

(ख) बिलों का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : सूचना उपलब्ध नहीं है । ऐसी फर्में और कम्पनियां देश भर में फैली हुई हैं । खाते अलग-अलग टेलीफोनों के लिए रखे जाते है, न कि फर्म या कम्पनी के अनुसार । यह सूचना इकट्ठी करने में काफी श्रम और समय लगेगा । फिर भी इसके सही होने की गारन्टी न होगी क्योंकि एक ही फार्म के पास अलग अलग जगहों पर टेलीफोन हो सकते हैं और बिल बनाने वाले दफ्तर को इस बात का पता नहीं होगा कि उस कम्पनी के पास उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कितने टेलीफोन किन जगहों पर हैं । इसलिए विभाग यह महसूस करता है कि यह सूचना इकट्ठी करने में जितना धन, श्रम और समय लगेगा, उससे उतना लाभ नहीं होगा ।

उद्योगों में स्थापित क्षमता का उपयोग

4057. **श्री मानसिंह भोर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय उद्योगों में कितनी स्थापित क्षमता अप्रयुक्त है, और

(ख) उद्योगों में स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कुछ इंजीनियरिंग व गैर इंजीनियरिंग उद्योगों में क्षमता के प्रयोग का अनुमानित प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1866/72**] अधिष्ठापित क्षमता की परिभाषा सम्बन्धी कुछ समस्याओं के कारण जो बढ़ा चढ़ा कर बतायी गयी हो सकती है, यह अनुमान मात्र निकटतम व कच्चे ही हैं।

(ख) संगठित क्षेत्र के उद्योगों में क्षमता के प्रयोग व उत्पादन की सतत संवीक्षा की जाती है। विभिन्न उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमता के पूरे उपयोग को सुन्दर बनाने हेतु हर संभव कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा अपनाए गये कुछ कदम ये हैं–

(1) 54 चुने हुए उद्योगों में क्षमता द्विगुनित करना/कई पारियों में काम करने की अनुमति देना। विशिष्ट उद्योगों में उन उपक्रमों को जिन्हें एक अथवा दो पारियों में काम करने हेतु लाइसेंस दिया गया है, क्षमता के अधिकतम उपयोग करने की अनुमति देना। अन्य मामलों में कुछ शर्तों के अधीन, लाइसेन्सीकृत क्षमता के सौ प्रतिशत तक उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। यह सुविधा, कुछ बड़े औद्योगिक गृहों व विदेशी फर्मों को छोड़कर जिन्हें इस प्रकार की सुविधा हेतु उनके मामले पर गुणावगुणों आधार पर विचार करने के लिये औद्योगिक विकास मंत्रालय में विशेष रूप से गठित सक्रिय दल (टास्क फोर्स) को सवेदन पत्र देना होता है, सभी को मुक्त रूप से दी गई है।

(2) औद्योगिक उपक्रमों को. कुछ शर्तों के अधीन, बिना औद्योगिक लाइसेंसे प्राप्त करने की औपचारिकता निमाये, अपनी लाइसेंस क्षमता के 25 प्रतिशत तक नई वस्तुओं का निर्माण करने हेतु अपने उत्पादन का विविधीकरण करने की अनुमति दे दी गई है।

(3) उद्योगों द्वारा क्षमता के प्रयोग को बढ़ाने हेतु आयातित इस्पात तथा अन्य कच्चे पदार्थों की व्यवस्था करना।

(4) प्लान परियोजनाओं पर अधिक निवेश परिव्यय।

Assistance for inudstrial projects in backward areas in Madhya Pradesh

4058. **Shri Phool Chand Verma** :

Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the outlines of industrial projects in Madhya Pradesh for which assistance is being provided by the Central Government and the names of the Districts in which these industries are being set up; and

(b) the employment potential of the projects ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar

Prasad) : (a) & (b) : According to the procedure for Central assistance evolved for the Fourth Plan' the earlier schemewise pattern and sectorwise allocation has been discontinued and assistance is now given in the form of block grants and loans. The Central Industrial & Mineral Projects for Madhya Pradesh included in the Fourth Five Year Plan are : (i) Expansion of Bhilai Steel Plant (1st and nd stage), (ii) Heavy Electricals Ltd , Bhopal, (iii) Expansion of Nepa Mills, (iv) Korba Aluminium Project, (v) Expansion of Bhilai Steel Plant (3rd Stage), (vi) Security Paper Mill. Hoshangabad, (vii) New Alkaloid Factory, Neemuch and (viii) Cement Factory, Mandhar. In addition to these, a coal based fertilizer project at Korba and a paper and pulp plant in the Dandakaranya region are also likely to be taken up during the Fourth Plan. Information about employment potential in the Central industrial projects is not readily available.

Cigarette Manufacturing Campanies

4059. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleassd to state :

(a) the number and names of Companies which are engaged in the manufacture of cigarettes in the country; and

(b) the amount of foreign capital invested in each of them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) : There are at present ten companies which are engaged in the manufacture of cigarettes in the country. Out of these, five companies associate foreign capital. Requisite details are given in the attached statement. **[Placed in the Library. Please See No. L. T.—1861/72]**

Rising Expenditure on Photo Division, Ministry of Information & Broadcasting

4060. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether the expenditure on the Photo Division in the Ministry of Information and Broadcasting has been increasing every year;

(b) if so, the percentage of increase during 1969 to 1971 and the total expenditure incurred on this Division during 19 1; and

(c) whether Government would state the names of persons whose photographs need be taken by the Public Relations Department as also the occassions when their photographs need be taken ?

The **Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) & (b) : The expenditure on Photo Division from 1969 to 1971 with percentage of increase is as under :—

	69-70 Rs.	70-71 Rs.	71-72 Rs.
Plan	—	5,000	3,86,000
Non-Plan	14,46,400	14,07,000	14,03.500
Total :	14,46,4 0	14,12,000	17,89,500
% age increase	—	—	27% approx. (in relation to 1970-71

(c) Photo Division does not take photographs of individual persons, as such. The Division makes photographic coverage of events and activities of different Ministries and Departments of Government of India for News publicity and various other campaigns.

पटना स्थित आकाशवाणी के चौकीदारों के कार्य के घण्टे

4061. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना स्थित आकाशवाणी के चौकीदारों को दिन में 12 घंटे कार्य करना पड़ता है;

(ख) क्या चौकीदारों ने 24 मार्च, 1971 को आकाशवाणी के महानिदेशक को इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेजा था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां।

(ग) काम करने के घण्टों में एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से सरकार ने आकाशवाणी में चौकीदारों के काम करने के घण्टों पर पुनर्विलोकन करना स्वीकार कर लिया है।

आकाशवाणी में कार्य करने वाले चौकीदारों के लिए एक समान काम के घण्टे

4062. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में कार्य करने वाले चौकीदारों के लिए एक समान काम के घण्टे निर्धारित नहीं किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : **(क) तथा (ख)** : आकाशवाणी में कार्य करने वाले चौकीदारों के काम करने के घण्टे निर्धारित नहीं हैं। ये अलग-अलग केन्द्रों में अलग-अलग हैं और केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं। तथापि, सरकार ने सभी चौकीदारों के काम करने के घण्टों में एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से, इस मामले पर पुनर्विलोकन करने का निर्णय किया है।

भारत में इन्टेग्रेटेड सर्किट का निर्माण

4063. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इलैक्ट्रनिक उद्योग में देख-रेख में होने वाली लागत को कम करने के लिये इन्टेग्रेटेड सर्किट का बहुतायत से प्रयोग होता है; और

(ख) क्या भारत में सरकारी क्षेत्र में किसी उद्योग ने इन्टेग्रेटेड सर्किट का निर्माण कार्य आरम्भ किया है और यदि हां, तो क्या इन सर्किटों का प्रयोग टेलीविजन सेट्स में किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, इंटेग्रेटिड सर्किट के प्रयोग से अनुरक्षण की लागत में कमी के साथ कुछ तकनीकी तथा अन्य लाभ हैं।

(ख) मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक को दो मिलियन इंटेग्रेटिड सर्किट प्रतिवर्ष बनाने का आशय-पत्र जारी किया गया है। एक दूसरी यूनिट जिसको व्यवस्था इंजीनियर टैकनोक्रेट करते हैं, को भी एक सो मद बनाने का आशय-पत्र जारी किया गया है, जब निर्माण आरम्भ होगा तो निर्यात इंटेग्रेटिड सर्किट न केवल टी० बी० सैटों में प्रयोग किये जायेंगे बल्कि उनका प्रयोग कैप्यूटर, इलैक्ट्रानिक डेस्क कलक्यूलेटर्स तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपस्कर एवं साधनों में भी किया जायेगा।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का खराब होना

4064 **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दोषपूर्ण डिजाइन के कारण बार-बार हुई खराबी की भांति अन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को इस प्रकार की खराबी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री परमाणु ऊर्जामन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : बिजली घरों, जिनमें परमाणु बिजली घर भी शामिल हैं, में खराबी कई कारणों से उत्पन्न होती है, जिनमें दोषपूर्ण डिजाइन भी शामिल हैं। अधिक अनुभव का संचय करके, प्रशिक्षण में अधिक तीव्रता लाकर तथा परमाणु बिजली घरों के डिजाइन के लिए वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरों का अधिक योगदान प्राप्त कर ऐसी आशा की जाती है कि खराबी की आवृत्ति को भविष्य में कम कर दिया जायेगा।

नैनी में टेलीफोन यंत्र बनाने की फैक्टरी

4065. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नैनी स्थित नई टेलीफोन यंत्र फैक्टरी कब उत्पादन शुरू कर देगी; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1973-74 के दौरान।

(ख) नये कारखाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है। कारखाने के लिए इमारतें तैयार करने के लिए ठेका दे दिया गया है और निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

दिल्ली मानिटिंग स्टेशन

4066. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मानिटिंग स्टेशन द्वारा अन्य सभी मानिटिंग स्टेशनों को विशेष इलैक्ट्रानिक उपकरण और विशेष प्रकार के रिसीविंग एरियल दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो देश में बने रेडियो मानिटिंग उपकरणों से कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) : (क) जी हाँ । संचार मन्त्रालय के अधीनस्थ अनुश्रवण संघटन के दिल्ली स्थित अनुश्रवण केन्द्र ने रेडियो अनुश्रवण के लिए कुछ विशेष प्रकार के इलैक्ट्रानिक उपस्कर और गाह्य एरियलों का विकास तथा संविरचना की है । इन यूनिटों को अन्य बहुत से अनुश्रवण केन्द्रों को सप्लाई किया गया है ।

(ख) इन यूनिटों की संविरचना से अभी तक लगभग 1.91 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

Manufacture of Tyre by Dunlop

4067. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Dunlop Limited has manufactured a new tyre which can work for two hours after having a puncture; and

(b) if so, the time by which it is likely to be available for sale in market and the price thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : **(a) & (b)** : Dunlop (India) Ltd. does not manufacture this type of Tyre. It has however, been ascertained that Dunlop Ltd. (U K.) are planning for introduction in U. K. of this new type of Tyres in early 1974.

सेवा निवृत्ति की आयु को कम करना

4068. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्ति की आयु कम करके 55 वर्ष की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो सेवानिवृत्ति की वर्तमान आयु और नियमों को न बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग का विस्तार

4069. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय सर्वेक्षण विभाग का विस्तार किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जी हां। आयोजना व्यवस्था की मुख्य-मुख्य विशेषतायें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

तीन चालू योजनाओं, अर्थात मण्डल कार्यालय, कुछ ड्राइंग सम्बन्धी कार्यालयों एवं हाईडल योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रीय दलों की स्थापना, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से हैदराबाद में सर्वेक्षण, प्रशिक्षण एवं मानचित्र उत्पादन केन्द्र की स्थापना तथा नीदरलैण्ड सरकार की सहायता से देहरादून में इण्डियन फोटो-इंटरप्रीटेशन इंस्टीच्यूट की स्थापना, जिनका कि चतुर्थ योजना काल के दौरान विस्तार तथा आकार-वर्धन किया जायेगा, के अतिरिक्त यह निश्चय किया गया है कि विकास परियोजनाओं के लिए पूर्व-विनियोजित सर्वेक्षण की अत्यधिक बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये चतुर्थ योजना काल के दौरान विभाग द्वारा अनुसरण किये गये सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने की विधियों व तकनीकों के आधुनिकरण के लिए विभाग की सर्वेक्षण और मुद्रण सामर्थ्य को सुदृढ़ किया जाये। इस उद्देश्य के लिये निम्नलिखित आयोजना व्यवस्थायें स्वीकृत की गई हैं :—

(i) मानचित्र पुनरुत्पादन एवं मानचित्र कला—मुद्रण सुविधाओं में वृद्धि आंकलित व्यय—रु० 37.37 लाख

इस योजना के अन्तर्गत, मुद्रणालय को व्यवस्थित करने के लिये सेंटर फार सर्वे ट्रेनिंग एण्ड मैप रिप्रोडक्शन में नई मुद्रण मशीनें स्थापित करके और उनको चलाने के लिये नये व्यक्ति नियुक्त करके अतिरिक्त पुनरुत्पादन सामर्थ्य उत्पन्न की जायेगी। इससे विभाग मुद्रण का बचा हुआ कार्य तथा उसकी बढ़ती हुई मुद्रण आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेगा।

(ii) मानचित्र पुनरुत्पादन एवं मानचित्र कला – मानचित्र उत्पादन विधि का आधुनिकीकरण––आरेखन के काम का आरम्भ—आंकलित व्यय 5 34 लाख रुपये

इस व्यवस्था के अन्तर्गत ड्राइंग की वर्तमान परम्परागत विधि के स्थान पर आरेखन की नई विधि परीक्षण के तौर पर आरंभ की जायेगी। इस कार्य के लिए अतिरिक्त आरेखन उपकरण एवं सामग्री खरीदी जायेगी।

(iii) सिंचाई, विद्युत प्रायोजनायें एवं खनिजों की खोज के लिये सर्वेक्षण—आँकलित व्यय रु०—94 72 लाख

इस योजना का उद्देश्य विकास कार्यों के लिये प्रायोजित सर्वेक्षण की मांगों पर ध्यान देना है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त कार्यालय एवं दल स्थापित किये जायेंगे—

(अ) शिलांग में एक क्षेत्रीय कार्यालय

(आ) तीन अतिरिक्त फोटोग्रेमेट्रिक दल

(इ) दफ्तर से बाहर कार्य करने के लिए एक अतिरिक्त दल

(iv) अतिरिक्त भूगणितकीय एकक—आंकलित व्यय—रुपये 49.06 लाख

इस व्यवस्था के अन्तर्गत दो अतिरिक्त भूगणितकीय एकक (ए) त्रिभुजन (ट्रायेंगुलेशन) की थोड़ी-थोड़ी दूरी पर अतिरिक्त शृंखलायें स्थापित करने और (बी) अतिरिक्त समतलन रेखायें प्राप्त करने, के लिये स्थापित किये जायेंगे।

(v) **भारतीय सर्वेक्षण के प्रधान कार्यालय को प्रभावशाली बनाना—अंकलित व्यय रु० 5.46 लाख**

भारतीय सर्वेक्षण के मुख्य कार्यालय को प्रभावशाली बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि यह विस्तार योजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त प्रशासनिक एवं तकनीकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके।

पश्चिम बंगाल में बन्द हुए इंजीनियरी एककों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना

4070. **श्री एस० एम० बनर्जी** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बन्द हुए कुछ इंजीनियरी एककों को राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुरूप सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या क्या है; और

(ग) उन्हें कब तक हाथ में लिये जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग), प० बंगाल सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य के कुछ बन्द इंजीनियरी उद्योगों के प्रबन्ध को अधिकार में ले लेने का सुझाव दिया। उनके साथ परामर्श करने के फलस्वरूप उपरलिखित उपबन्धों के अधीन कुछ जांच पड़ताल करने के आदेश दिये गये। कुछ रिपोर्ट अंतिम रूप से तैयार हो गई है तथा कुछ मंत्रालय में तैयार होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, कुछ अन्य अभी जाँच समिति द्वारा अंतिम रूप से तय की जानी है। प्रत्येक अलग-2 मामले में गुणावगुणों के आधार पर अधिकार में लेने के बारे में विचार किया जाएगा।

ट्रंक केन्द्रों में सुधार

4071. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क सरकार ने देश में ट्रंक केन्द्रों में सुधार लाने तथा उसमें होने वाले विलम्ब की शिकायतों को कम करने की जांच करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) **और** (ख)—ट्रंक सेवाओं में सुधार लाने और ट्रंक कालों में होने वाली देरी को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में जो कदम उठाए जा चुके हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

(i) राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सेवा लागू करने के लिए बम्बई, नई दिल्ली, मद्रास और कानपुर में ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज स्थापित करना।

(ii) 46 मार्गों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा लागू करना ।

(iii) 66 मार्गों पर 'मांग-पर' सेवा प्रणाली लागू करना ।

(iv) मैनुअल स्विचिंग में होने वाली देरी को दूर करने के लिए ट्रांजिट कालों के आटोमेटिक स्विचिंग के लिए महत्वपूर्ण स्विचिंग केन्द्रों में मल्टी-लिंक आपरेटर डायलिंग सेवा चालू करना ।

निम्नलिखित कार्यों के लिए योजनायें हाथ में ले ली गई हैं—

(i) देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों और कस्बों को जोड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में कोएक्सल / माइक्रोवेव / यू० एच० एफ० चैनलों को चालू करना ।

(ii) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की और अधिक मार्गों पर सुविधा देना ।

(iii) जिन मार्गों पर आवश्यक ट्रंक-सर्किट और पोजिशन उपलब्ध हैं, उन पर 'माँग-पर' सेवा-प्रणाली की सुविधा देना ।

(iv) ट्रांजिट कालों को लगाने में होने वाली देरी को कम करने के लिए और अधिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों और मल्टी-लिंक आपरेटर डायलिंग केन्द्रों को चालू करना ।

(v) कई लाइनों को जोड़ कर लगाए जाने वाले लम्बी दूरी के कालों की आवाज में सुधार करने के लिए चार तारों वाला स्विचिंग उपस्कर चालू करना ।

दिल्ली में नगर निगम के पार्षदों को विवेकाधीन धनराशि आबंटित करना

4072. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नगर निगम के पार्षदों को अपने क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए उन्हें विवेकाधीन धनराशि आवंटित करने की प्रथा का पुनरीक्षण किया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) और (ख)** : दिल्ली नगर निगम की वित्त व्यवस्था पर मोरारका आयोग ने अपनी रिपोर्ट (खण्ड-vi) में यह व्यक्त किया है कि:-

"चुनाव क्षेत्र धनराशि" की परम्परा को समाप्त किया जाना चाहिए । इसके बजाय, नगर पार्षदों को उनके अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में सुधार और नये कार्यों के लिए निर्धारित आर्थिक सीमा के अन्तर्गत अग्रिम प्रस्ताव करने चाहिएं । सम्बन्धित विभागों की सिफारिशों के साथ क्षेत्रीय समितियों द्वारा इनकी जांच की जानी चाहिए और अलग-अलग शीर्षों के अन्तर्गत' जिनसे ये कार्य संबंधित हों, बजट अनुमानों में सम्मिलित करने के लिए सुनिश्चित किए जाने चाहिए ।"

इस सिफारिश पर कार्यवाही दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के विचाराधीन है ।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति की योजना

4073. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों की नियुक्ति के लिए कोई नई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आकाशवाणी के 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव'

4074 **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कुल कितने 'प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव' हैं और उनमें से कितने स्थायी अथवा नियमित है; और

(ख) उनमें से कितने पद अस्थायी हैं, वे कब से अस्थायी हैं और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 337. इनमें से 166 स्थायी, 20 अस्थायी (नियमित) तथा 151 तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं ।

(ख) 78-नीचे की तालिका के अनुसार:-

1963 से 2
1964 से 1
1965 से 8
1966 से 11
1967 से 6
1968 से 9
1969 से 7
1970 से 20
1971 से 10
1972 से 4

जो अस्थायी पद 3 वर्ष से अधिक समय से बने हुए हैं और लम्बी अवधि के लिए आवश्यक है, उनमें से 80 प्रतिशत पद सामान्यत: स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाते हैं । इस प्रकार के पद परिवर्तन की मंजूरी पहले 10.7.70 को जारी की गई थी । 80 प्रतिशत पद परिवर्तन के लिए अगला पुनर्विलोकन, स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों की संशोधित संख्या निश्चित हो जाने के पश्चात किया जाएगा।

बिहार के किशनगंज, ठाकुरगंज और पूर्णिया में बुक की गई टेलीफोन कालें

4075. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशनगंज, ठाकुरगज और पूर्णिया (बिहार) से देश के विभिन्न भागों के लिए 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1971 तक कुल कितनी टेलीफोन कालें बुक की गई और प्रत्येक काल कितने दिनों के बाद मिलीं, और

(ख) यदि कालें मिलने में विलम्ब हुआ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सूचना का विवरण नीचे दिया गया है:—

एक्सचेंज का नाम	कुल बुक की गई कालों की की संख्या	प्रभावी काल (उसी दिन लग गए	अप्रभावी काल	
			ग्राहकों के अनुरोध पर	विभागीय कारणों से
1	2	3	4	5
1. पूर्णिया	46666	30991	5592	10083
2. किशनगंज	24529	13772	2956	7801
3. ठाकुरगंज	4462	2154	256	2052

(ख) तांबे के तारों की चोरी के कारण ट्रंक सर्किटों में अक्सर गड़बड़ी होती रहती है। इससे अप्रभावी कालों का प्रतिशत बढ़ जाता है। तारों की चोरी और उसके परिणामस्वरूप कालें मिलने में विलम्ब को रोकने के लिए तांबे के तार की जगह तांबे से झला तार लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

आकाशवाणी में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव

4076. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में तीन वर्ष से अधिक समय से तदर्थ आधार पर कितने प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनको नियमित बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के संवर्ग में कब से भर्ती नहीं की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी): (क) 69.

(ख) कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के पद के भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से संशोधित किये जा रहे हैं। जैसे ही इन नियमों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा इन व्यक्तियों को कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के रूप में नियमित रूप से नियुक्त करने के प्रश्न पर निर्णय इन नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) 1964 से।

स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति में संघ लोक सेवा आयोग की सहायता

4077. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 350 रुपये से अधिक मूल पारिश्रमिक लेने वाले स्टाफ आर्टिस्टों की नियुक्ति में सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग की सहायता लेने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूप रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Surrender by Dacoits in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan

40 8. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have collected information from the State Governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh as to how many dacoits surrendered during the last three years and how many dacoits were killed in these States during the said period;

(b) if so, the number thereof; and

(c) the estimated number of dacoits operating in these States at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is attached; and

(c) About 305.

Statement

	Number of the Dacoits who		
	Surrendered	**Were Killed**	**Still Operating**
Madhya Pradesh	290	154	About 300
Rajasthan	2	60	About 5
Uttar Pradesh	9	29	No information received.
Total :	301	243	305

Note : 189 dacoits have surrendered from January to April 23, 1972 in Madhya Pradesh.

Investigations by C. B. I. Against Gazetted and Non-Gazetted Officers

4079. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the total number of cases investigated by the Central Bureau of Investigation during the last three years;

(b) the number of Gazetted and non-Gazetted Government employees involved in them separately and

(c) the number of emplayees against whom departmental enquiry has been instituted and the number of those against whom cases have been filed as a result of these investigations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c) : The Central Bureau of investigation completed investigation in 6,226 cases during the years 1969, 1970 and 1971, involving 1.970 Gazetted and 4,827 non-Gazetted employees.

Cases against 1,165 employees were filed in courts and in respect of 6,967 employees the Central Bureau of Investigation recommended institution of departmental enquiry.

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को स्कूटरों, एम० एस० बिलेट्स और रेजर प्लेटों के लिए आशय पत्र जारी किया जाना

4081. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को राज्य में स्कूटरों, एम० एस० बिलेटों और रेजर प्लेटों की परियोजनाओं के लिये आशय पत्र जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कहां कहां स्थापित की जाएगी, और वहां उत्पादन के लिये समय सूची, प्रस्तावित परिव्यय, क्षमता और रोजगार के अवसरों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इनमें से कोई परियोजना राज्य के पिछड़े जिलों में भी स्थापित की जायेगी ताकि राज्य के अन्दर विषमताएं दुर की जा सकें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनुमान है कि माननीय सदस्य रेजर ब्लेड के विषय में जानकारी चाहते हैं न कि रेजर प्लेटों के सम्बन्ध में । यह ठीक है कि स्कूटर एम० एस० बिलैट तथा रेजर ब्लेड़ों के बनाने वाले नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को आशय पत्र दिये गये हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है ।

(ग) निगम का विचार ये तीनों परियोजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में स्थापित करने का है ।

विवरण

क्रमांक	निर्माण की जानेवाले वस्तु का नाम, आशय पत्र जारी होने की तारीख व तिथि जब तक आशय पत्र मान्य होगा	निगम द्वारा बताई हुई उत्पादन की समय सूची जो औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र में दी गई हैं ।	औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र में बताया हुआ औद्योगिक परिव्यय (रुपये लाख में)	क्षमता	रोजगार की संभावनाएं
1	स्कूटर—आशय पत्र दिनांक 22 मई, 1971 को जारी किया गया व दिनांक 21, नवम्बर, 1972 तक मान्य	नहीं बताया गया	254.60	24,000	1266

2	एम० एस० बिलैट-आशय पत्र दिनांक 28 जून, 1971 को जारी हुआ व दिनांक 27 जून 1973 तक मान्य	आशय पत्र जारी होने की तिथि से 24 महीनों के भीतर	480.00	1,00,000 मी० टन	740
3	रेजर ब्लेडस्-आशय पत्र दिनांक 11 जून, 1971 को जारी हुआ व दिनाँक 10 जून 1972 तक मान्य	नहीं बताया गया	213.00	600 मिलियन	214

देहरादून में रेडियो स्टेशन

4082. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून नगरपालिका की ओर से राष्ट्रपति को प्रस्तुत एक ज्ञापन में देहरादून के लोगों ने देहरादून में एक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की मांग की हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन मिले हैं ।

(ख) देहरादून लखनऊ तथा दिल्ली के रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रम अच्छी तरह सुनाई देते हैं । कुमायूं । गढ़वाल क्षेत्र में नजीबाबाद में लगाये जाने वाले रेडियो स्टेशन से स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है । देहरादून में अलग रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड का बन्द होना

4083. **श्री मधु दण्डवते** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एलकाक एशडाउन कम्पनी लिमिटेड बन्द हो गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ख) क्या उक्त कम्पनी को बन्द होने से बचाने के उपाय ढूंढने के लिये सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बठक बुलाई थी, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यद्यपि मै० एलकाक एशडाउन कम्पनी लि० ने कम्पनी को औद्योगिक औपचारिक रूप से बन्द या कामबन्दी नहीं की तथापि इसमें जनवरी 1971 से उत्पादन कार्य नहीं हुआ है । उद्योग (विकास तथा विनियमन)

अधिनियम 1951 की धारा 15 के अधीन कम्पनी के कार्यों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने बताया है कि कम्पनी की विद्यमान दयनीय दशा के मुख्य कारण निम्नलिखित है।

1. बोर्ड के निदेशकों का प्रभावहीन नियंत्रण,
2. कम्पनी में वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा गम्भीर कुप्रबन्ध और कुछ मामलों में दुर्विनियोग की शंका,
3. कम्पनी में कार्य करने वाले कार्मिकों की पर्याप्त अधिकता,
4. अलाभप्रद वस्तुओं का उत्पादन जारी करना,
5. काफी अवधि तक कार्य संचालन के उचित मुख्या कार्यकर्ता की अनुपस्थिति,
6. कम्पनी के दैनिक कार्यकलापों में हाथ रखने वाले अनाधिकर्त मनुष्यों को अवसर देना और कम्पनी के वाणिज्यिक कार्यों का नियंत्रण करना।
7. औजारों के बदलने और आधुनीकरण की ओर कम ध्यान देना,

(ख) **और (ग)** : भारत सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबंधों के अधीन कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में न लेने के लिए समिति के निष्कर्षो और मुख्य सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार और गुजरात एवं महाराष्ट्र सरकार की त्रिदलीय बैठक में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 में उपबंधों के अधीन उपक्रम को अपने हाथ में न लेने का अंतिम रुप से निर्णय किया गया है।

कश्मीर में प्रशिक्षित पाक मुजाहिदों की घुसपैठ

4084. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि हाल के भारत-पाक युद्ध के बाद युद्धविराम रेखा पार करके प्रशिक्षित पाकिस्तानी मुजाहिदों ने बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर में घुसपैठ की है;

(ख) क्या सरकार इन समाचारों की जांच-पड़ताल की है और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) भविष्य में पाक-अधिकृत कश्मीर से किसी ऐसे घुसपैठ न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इन समाचारों का कोई आधार नहीं है।

(ग) किसी ऐसी घुसपैठ को रोकने के लिये पर्याप्त पूर्वापाय कर दिये गये हैं।

समाचार पत्रों के आर्थिक पहलू की जांच करने के लिए अध्ययन दल

4085. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों के आर्थिक पहलुओं और उनके श्रेणीकरण आदि का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस अध्ययन दल के निर्देश पद क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(1) दैनिक समाचार पत्रों की छपाई (पाठकों को वितरण सहित) की लागत के सभी पहलुओं तथा विभिन्न वर्गों के समाचार-पत्रों के बारे में इन पहलुओं से संबन्धित अन्य विषयों की जांच करना ।

(2) समाचार-पत्रों द्वारा अर्जित कुल राशि के विभिन्न पहलुओं तथा विभिन्न वर्गों के समाचार-पत्रों के बारे में इन पहलुओं से सबधित अन्य विषयों की जांच करना ।

(3 ऊपर की दोनों बातों के सन्दर्भ में पिछले कुछ वर्षों की स्थिति का अध्ययन करना और आगामी एक या दो वर्षों में उसमे संभावित परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना ।

(4) कार्य कुशलता एवं औचित्य की दृष्टि से खर्च के विभिन्न पहलुओं के मानदण्ड तैयार करना तथा इन मानदण्डों के सन्दर्भ में खर्च की वर्तमान पद्धति की जाँच करना; और

(5) उपरोक्त अध्ययन के आधार पर विभिन्न वर्गों के समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई नियंत्रित करने और विभिन्न वर्गों के समाचार पत्र उचित मूल्य पर बेचे जाने की दृष्टि से अपने निष्कर्ष बताना ।

Loss suffered by Industries in Maharashtra and Gujarat due to the closure of Tarapur Atomic Plant

4086. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) The estimated loss suffered by industries in Maharashtra and Gujarat on account of shortage of power due to the closure of Tarapur Atomic Power Plant and the unemployment created as a result of this closure of the Power Station; and

(b) the full facts and the preventive steps taken in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The shortage of power in Maharashtra and Gujarat has been caused by a number of factors. It is not possible to make an estimate of the loss suffered by industries, etc., in Gujarat and Maharashtra or of the unemployment which can be attributed to the closure of the Tarapur Atomic Power Station alone.

(b) (i) Of the two units of the Tarapur Atomic Power Station, Unit I was shut down for refuelling and maintenance on 17th August 1971. When the reactor of this Unit was opened, certain shortcomings were noticed in its guide tube holding-down arrangements. Improvements to the guide tube holding down arrangements are being carried out in consultation with the Bhabha Atomic Research Centre. On December 15, 1971 on energising, the transformer of this Unit developed an internal fault. Investigations into the causes of the accident revealed certain short comings in the transformer oil cooling system. The rectification of these shortcomings has prolonged the outage of Unit-1. In order to avoid a recurrence of this problem, the following steps are being taken—

(a) the procedure for the maintenance, commissioning and operation of the transformer is being revised;

(b) the cooling system of the transformer is being redesigned to work on fresh water instead of sea water as at present; and

(c) Suitable instrumentation is being introduced which will reduce the possibility of such incidents recurring.

The damage to the transformer is not expected to delay the resumption of power generation by Unit-I as the transformer of Unit II, which has been shut down for refuelling and maintenance can be shifted to Unit I. Unit I is expected to come into operation towards the end of April 1972.

(ii) Unit II was shut down for refuelling and maintenance on 23rd March 1972. The Unit is expected to be back on line by the first half of August 1972.

गुजरात के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4087. **श्री वेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गुजरात के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : अचल पूंजी विनियोजन के 50 लाख रुपये से अधिक न होने तक नये एककों या विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के सम्बन्ध में अचल पूंजी विनियोजन के 1/10 वें भाग के बराबर केन्द्रीय राज सहायता देने के लिए कुछ जिलों/क्षेत्रों को चुना गया है। योजना का ब्यौरा 26 अगस्त, 1971 के असाधारण राज पत्र में प्रकाशित किया गया है। गुजरात का पंचमहल जिला यह राज सहायता पाने के योग्य है। समझा जाता है कि राज्य सरकार को पंचमहल जिले में स्थित एककों से यह सहायता मंजूर करने के लिये कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रयोजन के लिए स्थापित राज्य स्तर की समिति द्वारा आवेदनों की जांच पड़ताल की जा रही है।

देश के विभिन्न भागों में पिछडे घोषित किये गये लगभग २१९ जिलों में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के लिये वित्तीय संस्थाओं से रियायती दरों पर वित्त मिल रहा है। गुजरात के निम्नलिखित जिले इस रियायत को पाने के योग्य हैं :—

पंचमहल, कच्छ, अमरेली, भड़ोच, साबर कंठा, बांस कंठा, भावनगर, मेहसाना, सुरेन्द्रनगर और जूनागढ़।

इनके अलावा केन्द्रीय सरकार भी पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिये ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम चला रही है और गुजरात के कच्छ और पंचमहल जिले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी उद्योगों के लिए कुछ आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन जैसे बिजली में सहायता, पानी में सहायता, बिक्री कर से छूट, चुंगी में छूट, स्टाम्प शुल्कों में छूट आदि दे रही है।

आशा है कि राज्य के अभिकरण और उद्यमी इन सुविधाओं/रियायतों का लाभ उठायें और गुजरात के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करेंगे।

गुजरात में उद्योगों की स्थापना/विस्तार के लिए लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्र

4088. **श्री वेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 के दौरान उद्योगों की स्थापना अथवा विस्तार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार को गुजरात राज्य के कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) किस प्रकार के उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नये एककों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिए 150 और उद्योगों के विस्तार के लिए 57 आवेदन पत्र 1971 की अवधि में गुजरात सरकार से प्राप्त हुए थे। वर्ष 1972 (31 मार्च 1972 तक) की अवधि में, इसी प्रकार के नये एककों की स्थापना हेतु लाइसंसों के लिए 26 और उद्योगों के विस्तार के लिए 12 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(ख) ये आवेदन पत्र मुख्यतया लौह एवं अलौह उद्योगों, औद्योगिक मशीनरी, रसायनों, वस्त्र, कागज, खाद्यप्रक्रिया उद्योगों, बनस्पति, तेल एवं घी, सीमेंट इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

(ग) 1971 और 1972 (31-3-72 तक) की अवधि में प्राप्त आवेदन पत्रों में से, नये एककों की स्थापना के लिये 30 आशय पत्र और पर्याप्त विस्तार के लिए 7 आशय पत्र जारी कर दिये हैं। अन्य 45 आवेदन पत्रों को रद्द करने और लौटाने आदि से निपटान कर दिया हैं। शेष आवेदन पत्रों पर सरकार विचार कर रही है।

टेलीविजन सैटों के आयात पर प्रतिबंध

4089. **श्री वेकारिया** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सैटों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) तथा (ख) विदेशों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा निजी सामान के रूप में टेलीविजन सैटों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है लेकिन उस नीति पर जो अभी लागू थी, हाल ही में कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिये गये हैं।

एक व्यक्ति अब अपने कुल सामान भत्ते के अन्तर्गत एक टेलीविजन सैट अपने साथ ला सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति बाहर किसी देश में 3 महीने से अधिक ठहरे हो इसके अतिरिक्त इसके या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने पिछले पांच वर्षों में न तो विदेशों में निर्मित किसी टेलीवीजन सैट को प्राप्त किया हो, और न ही उसका आयात किया हो। आगे, ऐसा व्यक्ति दिल्ली टेलीवीजन में आने वाली परिसर में सामान्यत: निवास करता हो अथवा अन्य किसी ऐसे टेलीवीजन केन्द्रों के अन्तर्गत निवास स्थान आता हो जैसे बम्बई, पूना और श्री नगर केन्द्र जो 1972 में अपना कार्य करना आरम्भ कर देंगे। ऐसे आयात किये गये टी० वी० सैटों को बेचने की अनुमति नहीं है, चाहे वे उपहार में दिये गए हों या आयात तिथि से पांच वर्ष तक अपने पास

न रखे हों। भारतीय जानकारी तथा कुशलता पर आधारित हाल में ही टी० बी० सैटों का देशीय निर्माण किया गया है। निर्मित सैट अच्छी कोटि के हैं जो आयात किये हुए सैटों के मुकाबले कम ही खराब होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए टी० बी० सैटों की बड़ी संख्या के आयात की अपेक्षित नहीं समझा गया है। इसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिये प्रतिबंध लगाये गये हैं।

सुन्दरवन क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

4090. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 परगना, पश्चिम बंगाल के अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र सुन्दरवन के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : जी, हां। पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन विकास के लिए पश्चिम बगाल सरकार ने सुन्दरवन डेल्टा परियोजना नामक स्कीम तैयार की। इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है, जिस पर 8 से 10 वर्ष तक का समय लग जायेगा। इसकी अभि कल्पना इस प्रकार की गई है जिससे विगत शताब्दी या उसके पहले निर्मित सीमान्त तटबन्धों की क्षारीय जल और बाढ़ के कारण की जाने वाली मरम्मत तथा रख-रखाव की लागत में किफायत सारी अपनाई जा सके। इसके अलावा, परियोजना में बन्द बांधों, निकासी नहरों के निर्माण तथा पीने, कृषि व अन्य कार्यों के लिए ताजा जल संग्रह जलाशयों के निर्माण की भी कल्पना की गई है। इस प्रकार की प्रक्रिया से कृषि के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होगी। मूल अनुमान के अनुसार, इस योजना पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Use of New Machinery in Industries permitted Expansion

4091. **Dr. Sankata Prasad** : Wil the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) Whether Government have not permitted the use of new machinery to those industries which have been given permission for expansion ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) Government have recently announced its policy about liberalisation in the matter of fuller utilisation of capacity already installed as on 1-1-72. According to this policy, the existing licensed or registered industrial undertakings engaged in 54 specified industries are allowed to increase their production beyond their licensed capacity upto a certain extent and subject to the fulfilment of certain conditions, one of which is that no additional machinery, except minor balancing equipment procured indigenously, shall be installed after 1-1-72 for achieving the increased production. If the parties propose to increase their production by addition of major plant and machinery, and if the proposal is not covered by any other exemption from industrial licensing allowed by Government from time to time, they will have to approach Government for a substantial expansion licence. Such applications would be considered on the merits of each case.

रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में स्टेटिस्टीकल सहायक के पदों का स्थायी बनाया जाना

4092. **श्री पी० के० घोष** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में काम कर रहे उन स्टेटिस्टिकल सहायकों को, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर थे इस पद पर पदोन्नति के लिए उनके मामलों पर विचार किए जाने से पूर्व अपने मूल कार्यालयों में पदों से त्यागपत्र देने को कहा गया है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या इन्हें अपने स्टेटिस्टीकल सहायक पदों पर स्थायी नहीं बनाया गया और उन्हें अस्थायी ही बने रहने दिया जा रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें अपने नए पदों पर स्थायी रूप से कब तक खपा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) **और** (ख) : सरकार के सामान्य अनुदेशों के अनुसार अन्य कर्मचारियों के साथ साथ इस समय स्टेटिस्टीकल सहायकों के के रूप में कार्य कर रहे 6 कर्मचारियों से अपने विकल्प का प्रयोग करने की माँग की गई कि क्या वे अपने स्थाई । अर्द्ध स्थाई पदों में अन्य कार्यालयों में वापस जाना चाहेंगे जहां वे ग्रहणाधिकार रखते हैं अथवा क्या वे नियमित आधार पर रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में रहना पसन्द करेंगे । सरकारी अनुदेशों के अन्तर्गत जब तक वे अपने मूल विभागों से त्याग पत्र नहीं देते, इस कार्यालय में वरिष्ठता, स्थाईकरण पदोन्नति के लिए दावेदार नहीं होंगे ।

(ग) और (घ) : उनकी सेवाएं अस्थाई तौर पर जारी रखी जा रही हैं क्योंकि वे अभी स्थायीकरण के क्षेत्र में नहीं हैं ।

बड़ौदा स्थित उद्योगों के लिए मलनिकास चैनल का निर्माण

4093. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बड़ौदा स्थित उद्योगों के लिये 2 करोड़ रुपये की लागत से बनायी जाने वाली 40 किलोमीटर लम्बी निकास चैनल सम्बन्धी गुजरात सरकार की योजना का व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय किया है ,

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का सीमा क्षेत्र क्या है, और

(ग) विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर ने बड़ौदा के निकट उद्योगों से निकलने वाले गन्दे पानी के निकास संबंधी कार्य को करने के लिए अपनी सेवायें गुजरात सरकार को परामर्शदाता के रूप में प्रदान की हैं । सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर इस मामले में गुजरात सरकार की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा कर रहा है ।

अध्ययन का सीमा क्षेत्र गन्दे पानी की भूमि की सिंचाई के लिए देने, महासागर नदी में मिलाने या कैम्बे की खाड़ी में मिलाने सम्बन्धी जांच करना है । सर्वेक्षण में कैम्बे की खाड़ी में गन्दे पानी के निष्कासन की सीमा का भी सर्वेक्षण सम्मिलित है ।

सेन्ट्रल पब्लिक हैल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, गुजरात सरकार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की मंजूरी की तिथि से 15 महीने की अवधि में अपनी रिपोर्ट दे सकेगा।

वरिष्ठ प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पात्रता

4094 **श्री कार्तिक उराँव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासकीय पदों पर नियुक्ति के लिये 17 अक्तूबर, 1957 को जारी किये गये भारत के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारी ऐसी नियुक्तियों के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों में केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासकीय पदों पर ऐसे कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गयी; और

(ग) यदि उक्त अवधि में ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गयी है तो इन पदों पर केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) 9 अधिकारी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के अधिकारियों के सेवा संबंधी भावी हितों के प्रबन्ध को समरूपी बनाने का प्रस्ताव

4095. **श्री कार्तिक उराँव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी भावी हितों की देख-रेख कर्मचारी विभाग करता है ;

(ख) क्या केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के सेवा सम्बन्धी भावी हितों की देख-रेख यह विभाग नहीं करता; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार, इन दोनों सेवाओं के सेवा सम्बन्धी भावी हितों की व्यवस्था को समरूप करने हेतु केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के इन हितों की देख-रेख करने का भी है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) कर्मचारी विभाग केन्द्र में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों से परामर्श करके सभी सेवाओं के हितों की देख-रेख कर रहा है।

इंजीनियरी सेवाओं में असंतोष

4096. **श्री कार्तिक उराँव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशासनिक सेवाओं के मुकाबले इंजीनियरी सेवाओं के दर्जे और प्रशासनिक सेवाओं के साथ इंजीनियरी सेवाओं के सम्बन्ध को लेकर केन्द्र में इंजीनियरी सेवाओं में व्याप्त भारी असन्तोष की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में इंजीनियरी के संघ से गत कुछ मास में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : संशोधित कार्मिक-नीति के सम्बन्ध में सरकार को इंजीनियरों के संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, यह जांचाधीन है।

केन्द्रीय सचिवालय मे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सेवा श्रेणी–I के अधिकारियों की पात्रता

4097 **श्री कार्तिक उराँव** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1957 में जारी किये गये भारत सरकार के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय के वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सेवा, श्रेणी । के अधिकारी पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1972 को प्रत्येक प्रथम श्रेणी सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य सेवाओं के उप-सचिवों, संयुक्त सचिवों अतिरिक्त सचिवों और सचिवों की अलग अलग संख्या क्या थी;

(ग) केन्द्र की उन प्रथम श्रेणी सेवाओं के नाम क्या हैं, जिनका कोई भी अधिकारी 1957 के आदेशों के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में नियुक्त नहीं किया गया है;

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में उल्लिखित प्रथम श्रेणी सेवाओं में से कोई भी अधिकारी न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) भाग (ग) में उल्लिखित केन्द्रीय सरकार की प्रथम श्रेणी सेवाओं के प्रति अन्याय को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) से (ङ) : उप-सचिव तथा इससे ऊपर के पदों को इस कार्य के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भरा जाता है तथा इन पदों को भरने के लिए पदधारी को आवश्यक योग्यताएं, अनुभव इत्यादि से पूर्ण होना चाहिए। किसी सेवा के लिए कोई आरक्षण

नहीं है तथा विभिन्न श्रेणी–1 सेवा के अधिकारियों को इन पदों में उनकी उपलब्धता तथा उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है।

विवरण

1-1-1972 की स्थिति

सेवा	उप-सचिव	संयुक्त सचिव	अतिरिक्त सचिव	सचिव
भारतीय सिविल सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा	22	6	—	1
भारतीय प्रतिरक्षा लेखा सेवा	11	7	3	1
भारतीय राजस्व सेवा	30	17	2	—
भारतीय रेलवे लेखा सेवा	7	1	1	—
भारतीय राजस्व सेवा	4	2	—	—
भारतीय डाक सेवा	7	1	—	—
भारतीय आर्थिक सेवा	2	—	—	—
भारतीय विदेश सेवा	—	13	2	4
केन्द्रीय विधायी सेवा	—	9	—	1
इंजीनियरी सेवाएं	5	2	1	1
भारतीय पुलिस/भारतीय पुलिस सेवा	1	—	—	1
केन्द्रीय सचिवालय सेवा	96	23	1	—
अन्य	7	2	2	5
योग	300	169	32	45

उपर्युक्त आँकड़ों में भारतीय विदेश सेवा के वे अधिकारी शामिल नहीं हैं जोकि विदेश मंत्रालय में उप-सचिव के रूप में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्रीय विधायी सेवा के वे अधिकारी जो कि विधि मंत्रालय में उप-सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी द्वारा विकसित चीनी मिट्टी के माइक्रोफोन

4098. **श्री राजदेव सिंह** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, पिलानी ने चीनी मिट्टी के माइक्रोफोनों का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति वर्ष आयात किये जाने वाले 50,000 'फोनोग्राफ पिक अप' यंत्र इन से प्रतिस्थापित किए जायेंगे और भविष्य में इस आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) **और** (ख) केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सी. ई. ई. आर. आई.), पिलानी ने मंडलक (डिस्क) के पुनरुत्पादन के लिये चीनी मिट्टी के समध्वनित एवं त्रिविमित पिक-अप के क्रमित विकास के रूप में सामान्य प्रयोग के लिये एक चीनी मिट्टी का माइक्रोफोन विकसित किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन. आर. डी. सी.) चीनी मिट्टी के माइक्रोफोन से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी उद्योगों को दे रहा है। देश में एक बार इनका निर्माण स्थापित हो जाने पर आयात उसी सीमा तक कम हो जायेगा।

स्कूटरों की चोरबाजारी

4099. **श्री पम्पन गौंडा :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्कूटर चोर-बाजार में बेचे जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस चोर-बाजारी को रोकने तथा वितरण पद्धति का पुनरीक्षण करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) :स्कूटरों की चोर बाजारी का कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। किसी भी इच्छुक खरीदार को स्कूटर के लिए सरकार द्वारा नियत मूल्य से अधिक कीमत नहीं देनी पड़ती है। वर्तमान वितरण प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

चौथी योजना में उत्तरी बंगाल का विकास

4101. **श्री ज्योतिमय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के पांच जिलों, अर्थात् दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, पश्चिमी दीनाजपुर और पुरुलिया के विकास के लिये चौथी पंच वर्षीय योजना में किन किन योजनाओं को शामिल किया गया है;

(ख) उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) व्यावहारिक और वित्तीय रूप से ये योजनायें कहाँ तक क्रियान्वित की गई हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से विस्तृत सूचना की इन्तजारी की जा रही है। और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसर

4102 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार कितने डिग्री प्राप्त और डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियरों को लाभप्रद रोजगार दिया गया; और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों के लिये कितने अवसर जुटाये गये ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस सम्बन्ध में कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । किन्तु महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (डी. जी , पी. टी.) के अनुसार गत तीन वर्षों में रोजगार कार्यालयों द्वारा पूर्ति किये गये इंजीनियरों के रिक्त स्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

1969	5947
1970	7673
1971	11287

इसके अतिरिक्त निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में भी इंजीनियरों की सीधी नियुक्ति हुई है ।

(ख) सरकार ने मई, 1968 में इंजीनियरों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के लिए 14 उपाय (परिशिष्ट 1) प्रारम्भ किये हैं ।

इन उपायों के अतिरिक्त वर्ष 1971-72 के बजट में बेरोजगार शिक्षितों, जिसमें इंजीनियर और तकनीकी कार्मिक भी शामिल हैं, के लिये उपयोगी विशेष योजनाओं के लिये रुपये 25 करोड़ की विशेष व्यवस्था की गयी थी ।

उनमें से कुछ योजनायें इस प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में इंजीनियरी सर्वेक्षण ;

(2) अपना वेतन स्वयं अर्जित करने के लिये इंजीनियरों का प्रशिक्षण;

(3) ताप विद्युत केन्द्रों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए इंजीनियरों का प्रशिक्षण;

(4) बेरोजगार इंजीनियरों को बिक्री के काम में लगाने के लिये भारतीय तेल निगम की योजना ;

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवा-केन्द्र ;

(6) लघु उद्योग स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता;

(7) ग्रामीण जल संभरण के लिये अभिकल्प केन्द्रों की स्थापना ।

ये योजनाऐं हाल ही में प्रारम्भ की गयी हैं इसलिये इंजीनियरों के रोजगार पर इनके सही प्रभाव का पता कुछ समय तक चलते रहने के बाद ही लगेगा ।

विवरण

1. केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें चौथी तथा आगामी योजनाओं में शामिल की जाने वाली परियोजनाओं की तैयारी का कार्य आरम्भ कर दें। यह प्राप्य अथवा प्राप्त किये जाने वाले साधनों तक सीमित रखा जाए। यह भी तय करके बताया जाए कि पूर्ण रूप से अनुसंधानित परियोजनायें ही चौथी योजना में शामिल की जायेंगी।

2. ऐसी चुनी हुई बड़ी परियोजनाओं के लिए, जो पूरी हो चुकी है, तकनीकी प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य वरिष्ठ इंजीनियरों के निरीक्षण में किया जाए।

3. शिक्षा मंत्रालय के, उद्योग-प्रशिक्षण-कार्य-क्रम का, जितनी जल्दी संभव हो, प्रति-वर्ष पांच हजार प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षित करने के लिए, विस्तार किया जाए। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के हर प्रस्ताव की कि एप्रेन्टिस एक्ट में इंजीनियर स्नातक तथा डिप्लोमाधारियों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जाए, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से आगे जांच की जाए।

4. विद्युत केन्द्रों को चलाने और व्यवस्थित रखने के लिए पंद्रहसों स्नातकों एवं डिप्लोमाधारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाये।

5. रिक्त स्थानों को बिना विलम्ब भरा जाए। जहां संभव हो, भर्ती के नियमों तथा निर्धारित योग्यताओं में संशोधन किया जाए। तन तकनीकी पदों को भी भरने के लिए जो आम रोक लगी हुई है, उसमें शिथिलता लाई जाए।

6. आर्मी टैक्नीकल कोर के लिए लघु तकनीकी सेवा आयोग को आरम्भ करने पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

7. भारतीय परामर्शदात्री संगठनों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। जहां तक सम्भव है और वांछनीय हो, वर्तमान परामर्शदात्री परियोजनाओं और उन परि-योजनाओं के लिए, जिनके वास्ते सरकार द्वारा स्थापित वित्तिय संगठनों से वित्तीय सहायता मांगी गयी है, आवश्यक विशेष योग्यता सम्पन्न भारतीय परामर्शदात्री संगठनों अथवा सरकारी संगठनों द्वारा तकनीकी दृढ़ता और सभ्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र दिए जाने पर जोर दिया जाए।

8. लघु स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए इंजीनिजरों को वित्तीय सहायतार्थ एक विशेष योजना तैयार की जाए। इस सम्बन्ध में रुचि दिखाई गई है, उसके संदर्भ में स्टेट बैंक की चालू योजनां का पु विलोकन किया जाए।

9. निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेकेदारी के नियमों में अधिकृत ठेकेदारों द्वारा योग्य इंजी-नियरों को रोजगार दिए जाने पर बल दिया गया है। इस नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।

10. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि यंत्रों (मशीनरी) की मरम्मत और सर्विस की सुविधाएं उपलब्ध करने और निर्माण कार्यों के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को प्रोत्साहित किया जाए।

11. सरकारी संगठनों में इंजीनियरों को क्रय विक्रय तथा व्यवस्था के पदों पर नौकरी प्रदान करने के मार्ग प्रशस्त किए जाएं ।

12, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए बहु प्रयोजनीय मार्ग अपनाया जाए ।

13. तकनीकी विशेषज्ञों, को विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के मार्फत विकासशील मित्र देशों में विकास कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने हेतु भेजने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं ।

14. ऐसी फैक्टरियों को जिनमें एक निश्चित संख्या से अधिक लोग काम करते हैं तथा जिनमें मशीनों को चलाने के लिए बिजली इस्तेमाल की जाती है, एक योग्य इन्जीनियर को काम पर रखने के लिए बाध्य करने सम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के प्रस्ताव को औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से पुनः जांचा जाये ।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस देना

4103. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969—70 से 1971—72 तक, नये उद्योग स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल में जिलेवार तथा वर्षवार कुल कितने लाइसेंस दिये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सांख्यिकीय आंकड़े कलेण्डर वर्ष के आधार पर तेयार किये जाते हैं वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं । पश्चिम बंगाल में नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिये 1969, 1970 तथा 1971 के कलेण्डर वर्षो में 15 औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे । पश्चिम बंगाल में नए उद्योगों की स्थापना के लिए दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों का वर्षवार तथा जिलेवार ब्यौरा निम्न प्रकार है—

वर्ष	कारखाने का स्थापना स्थल (जिला)	नए औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिए दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1969	बर्दवान	3
	वीर भूम	1
	कलकत्ता	1
		योग 5
1970	वर्दवान	3
	कलकत्ता	2
		योग 5
1971	वर्दवान	1
	24 परगना	2
	कलकत्ता	1
	मिदनापुर	1
		योग 5

विदेशी सहयोग संबंधी करार

4104. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष 1969—70 के दौरान, वर्षवार कुल कितने विदेशी सहयोग सम्बन्धी करार किये गये।

(ख) करारों में उक्त अवधि के दौरान, वर्षवार, तकनीकी, वित्तीय और तकनीकी तथा वित्तीय अंशभाग कितना-कितना है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार, किये गये सहयोग करो रों का देशवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1956 में तथा दिसम्बर, 1971 के अन्त तक किये गये कुल विदेशी सहयोग करारों का देशवार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 1969 और 1970 में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की कुल संख्या क्रमश: 135 तथा 183 थी। इनमें से क्रमश: 29 घंटे 32 मामलोंमें वित्तीय सहयोग भी सम्मिलित था। शेष मामलों में जैसे 1969 के 106 मामले में और 1970 के 151 मामलों में केवल तकनीकी सहयोग सम्मिलित था।

(ग) स्वीकृत सहयोगों का देशवार विवरण अनुबन्ध 1–में दिया गया है।

(घ) 1951 से 1956 की अवधि में तथा 1957 से 1971 की अवधि में स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों की कुल संख्या क्रम : 384 तथा 3545 थी। उनका देश वार ब्यौरा अनुबन्ध 2 में दिया जा रहा है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1862/72**]

लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा उत्पादों की बिक्री के लिए मण्डियों का पता लगाने में असफलता

4105. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास संगठन उद्यमियों को उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंडियां ढूंढने के लिए मार्गदर्शन करने में असमर्थ है;

(ख) यह स्थिति किन कठिनाईयों के कारण उत्पन्न हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं, संगठन इस सम्बन्ध में उद्यमियों की सहायता करने के लिए सतत प्रयत्न करता है। इस सेवा की किस्म और सीमा को सुधारने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल के उत्पादों का निर्यात

4106. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या है जिन्हें वर्ष 1971—72 में हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल के उत्पादों का निर्यात किया गया; और

(ख) निर्यात किये गये उत्पादों का मूल्य कितना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : 1971-72 में हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में बनी वस्तुएं कुवैत, ब्रिटेन अमेरिका, मध्यपूर्व तथा यूरोपीय देश, मालावी, मलयेशिया, घाना, युगेन्डा, तथा आस्ट्रेलिया को भेजी गई थी। ये वस्तुएं कुल 15,58,607 लाख रुपये की थी।

Manufucture of Board with Waste Leather

4107. **Shri R. V. Bade** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Leather Research Institute, Madras has evolved a new device to manufacture board with waste leather; and

(b) if so, the cost of the plant required to produce the board ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Parsad) : (a) Yes, Sir. The Central Leather Research Institute has evolved a process for the manufacture of Leather Board from Chrome and Vegetable Leather waste.

(b) The cost would be approximately Rs. four lakhs for a plant of capacity of half a ton a day and Rs. seven lakhs for plant of capacity of one ton a day.

श्री हरिकोटा रेंज से स्वदेशी राकेटों का पता रखना

4108. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी राकेटों का पता रखने के लिये श्रीहरिकोटा रेंज में कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, और

(ख) क्या पता रखने वाले उपकरण का डिजाइन देश में तैयार किया गया है तथा क्या इन उपकरणों को देश में बनाया गया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) गतिवान राकेट के बारे में आंकड़े इकट्ठे करने के लिए एक टेलीमीटरी ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन तथा राकेट के परिपथ का निर्धारण करने वाला टोन रेंजिंग सिस्टम नामक एक ट्रैकिंग सिस्टम श्री हरिकोट रेज में लगाया गया है,

(ख) जी, हाँ

कलकत्ता में एक एनर्जी साईक्लोट्रोन की स्थापना

4109. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कलकत्ता में स्थापित किये जाने वाले "वैरिऐबल एनर्जी साइक्लोट्रोन' के मैन मेगनेट फ्रेम का कार्य निश्चित समयानुसार पूरा हो गया है।

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री मती इन्दिरा गांधी) : कलकत्ता में स्थापित किये जाने वाले परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के मेन मैगनेट फ्रेम के निर्माण का कार्य हैवी इंजीनियरी कार्पोरेशन, रांची में चल रहा है। निश्चित समय के अनुसार, इस मैगनेट फ्रेम की सप्लाई किये जाने पर यह साइक्लोट्रान पूर्व योजनानुसार फरवरी, 1974 तक काम करने लगेगा।

अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र

4110. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र को कौन कौन सी परियोजनायें सौंपी गई हैं :

(ख) उनकी प्राथमिकताएं किस प्रकार हैं; और

(ग) परियोजनाओं को पूरा करने के लिये अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र को कौन सी सुविधायें दी गयी हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री, तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) अंतरिक्ष विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी केन्द्र के मुख्य दायित्व है

(i) अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के लिए आवश्यक प्रणालियों तथा उनके संघटकों के बारे में अनुसंधान एवम् विकास कार्य करना।

(ii) अनुसंधान एवम् विकास कार्यो के परिणामों के आधार पर उपकरणो के प्रारूपों का अभिकल्पन तथा प्रायोगिक स्तर पर उत्पादन करना।

केन्द्र को सौंपी गई परियोजनाओं का वितरण' परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष अनुसंधान 1970—80 के दशाद के कार्यक्रम की रूपरेखा नामक पुस्तिका तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्ष 1970—71 के वार्षिक प्रतिवेदन (प० 143—145) में दिया गया है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) क्योंकि ये सभी योजनायें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, तथा इन सभी का पूरा होना वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिये आवश्यक है, अतः तुलनात्मक प्राथमिकता बताना सम्भव नहीं है।

(ग) अंतरिक्ष विज्ञान एवम् प्रौद्योगिकी केन्द्र में अनेक विशेषज्ञता प्राप्त प्रभाग हैं। जो इंजीनियरी तथा भौतिक विज्ञान के सभी प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं। केन्द्र के दायित्वों को पूरा करने काम इसके 450 इंजीनियर तथा 1400 तकनीशियन एवम् दस कर्मचारी करते है इसके अतिरिक्त विभिन्न, क्षेत्रों से लिये गये विशेषज्ञा के विभिन्न परियोजना दल भी जटिल-विकास कार्यो में जुटे हुऐ है।

चौथी योजना में माइक्रोवेव लक्ष्य

4111. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में माइको-वेव दूर संचार व्यवस्था का लक्ष्य क्या है और उसकी अब तक उपलब्धि की प्रतिशतता क्या है,

(ख) लक्ष्य की उपलब्धि में यदि कोई कठिनाइयां सामने आयीं हैं तो वे मुख्तया क्या हैं, और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इसका लक्ष्य 12,050 किलोमीटर को

है । ,,400 किलोमीटर मार्गों पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है । अब तक 11 प्रतिशत मार्ग चालू किऐ जा चुके हैं ।

(ख) माइक्रोवेव साज-सामान, माइक्रोवेव टावर और इस्पात प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(ग) (i) हमारे दूर सँचार अनुसंधान केन्द्र ने अपने निजी तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुछ माइक्रोवेव प्रणालियां बनाई हैं, जिनके निर्माण का काम इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने अपने हाथ में लिया है । तथापि पर्याप्त सँख्या में उनका निर्माण करने में अवश्य ही कुछ समय लगेगा । इस बीच माइक्रोवेव और उसके सहायक साज-सामान का आयात करने के लिए कार्रवाई की गई है । आशा है कि इसमें से काफी साज सामान, 1972 में मिल जायेगा ।

(ii) अन्य स्रोतों से माइक्रोवेव का और अधिक साज-सामान प्राप्त करने के लिए बात-चीत चल रही है ।

(iii) माइक्रोवेव टावर की सप्लाई की पूर्ति के लिए देश में ही कुछ स्रोत निकाले गए हैं और इस दिशा में आगे और प्रयत्न किए जा रहे हैं । जबलपुर के डाक-तार कारखाने में भी इनके निर्माण की व्यवस्था की गई है ।

(iv) इस्पात की सप्लाई के लिए अधिकारियों पर जोर देने और मामलों की पैरवी करने में अब स्थिति में सुधार हुआ है ।

नए अनुसंधान रियेक्टरों का निर्माण

4112. **श्री वी० एन० पी० सिंह** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ट्राम्बे के अनुसंधान रियेक्टर बेकार होने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन रियेक्टरों को बदलने हेतु नये, अनुसंधान रियेक्टरों का निर्माण करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचन और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, अप्सरा तथा जरलीना रियेक्टरों के लिए निकट भविष्य में किसी बड़े अनुरक्षण कार्य की आशा नहीं है । जहां तक साइरस का सम्बन्ध है, मुख्य अनुरक्षण कार्य, जिसमें कैलेन्ड्रिया ट्यूबों को बन्द करने अथवा बदलने और यदि आवश्यक हुआ तो कैलेन्ड्रिया को बदलने के कार्य भी शामिल हैं, भविष्य में आरम्भ किया जा सकता है । इससे रिऐक्टर को लम्बे समय तक बन्द रखना पड़ सकता है ।

(ख) लगातार तथा सुधारी हुई अनुसंधान सम्बन्धी सुविधाओं एवम् आइसोटोपों के उत्पादन की व्यवस्था के लिये ट्राम्बे में 100 मेगावाट की क्षमता का एक तापीय अनुसंधान रिऐक्टर स्थापित किया जा रहा है ।

कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर

4113. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के शेष वर्षों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि की स्वीकृत दर को प्राप्त करने के लिए कृषि औद्योगिक उत्पादन की गति को बढ़ाने हेतु सरकार ने कौन से ठोस एवं विशेष कदम उठाये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कृषि और औद्योगिक उत्पादन की दर बढ़ाने और चौथी योजना के मध्यावधि मूल्याँकन के दौरान जिन त्रुटियों और कमियों का पता लगा उनका यथा सम्भव निराकरण करने के लिए जो विविध कार्यवाहियों की जा रही हैं उनका हवाला 4 अप्रैल, 1972 को सभा पटल पर प्रस्तुत वार्षिक योजना 1972-73 में दिया गया है।

(ख) इन कार्यवाहियों का क्या असर हुआ है, इतनी जल्दी यह बताना सम्भव नहीं।

चलते फिरते डाकघरों का खोला जाना

4115. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में कितने चलते फिरते डाकघर चालू किये गये तथा कहाँ-कहां पर

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रूप से डाकघर कितनी हानि होने तक रखे जाते हैं तथा इस समय देश में ऐसे कितने ग्रामीण डाकघर हैं, और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे डाकघरों पर होने वाली अतिरिक्त हानि को पचायतों द्वारा पूरा करने के लिए पंचायतों के नियमों में अब तक संशोधन नहीं किया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में क्रमश: जयपुर (राजस्थान) और मदुरे (तामिलनाडु) में दो चलते फिरते डाकघर खोले गए हैं।

(ख) देहाती डाकघर की प्रायोगिक अवधि ज्यादा से ज्यादा दस वर्षों की होती है। यदि इस अवधि में लगातार दो वर्षों की वार्षिक समीक्षा से उन्हें चलाने पर 240 रुपये प्रति वर्ष से अधिक घाटा न हो तो उस डाकघर को स्थायी बनाया जा सकता है। है। ऐसे प्रायोगिक देहाती डाकघर जिन्हें 10 वर्षों की अवधि में ऊपर स्थायी करने के लिए दी गई शर्त पर स्थायी नहीं बनाया जा सकता उनकी किसी एक वार्षिक समीक्षा से यदि यह पाया जाए कि उन्हें चलाने पर होने वाला घाटा प्रतिवर्ष 240 रुपये या 360 रुपये या 500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, तो उन्हें इस आधार पर भी स्थायी बनाया जा सकता है। घाटे की रकम अर्थात 240 रुपये, 360 रुपये या 500 रुपये का फैसला सब से नजदीक के डाक घर से उसकी दूरी के आधार पर किया जाता हैं। 1 अप्रैल, 1971 को देश भर में 78,239 स्थायी देहाती डाकघर थे।

(ग) अंडकाय और निकोबार दीपसमूह, आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लकादिव और मिनिकोय द्वीपसमूह, गुजरात, तमिलनाडु त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने अब तक पंचायत नियमों में ऐसा कोई सशोधन नहीं किया है जिससे कि देहाती डाकघर खोलने या

उन्हें बनाये रखने पर होने वाला सीमा से अधिक पंचायतें पूरा कर सकें। उपर्युक्त राज्य सरकारों में से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लकादिव और मिनिकोय द्वीपसमूह और त्रिपुरा की सरकारों ने सूचित किया है कि इन क्षेत्रों। राज्यों की पंचायतें ऐसा खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं हैं या इन राज्यों। क्षेत्रों मे पंचायतों की व्यवस्था ही नहीं है।

काउन्टर सेवाओं का यंत्रीकरण और डाक मशीनों का रख-रखाव

4116. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1970–71 के दौरान यू० पी० यू० फैलोशिप पर डाक-तार निदेशालय के दो अधिकारियों द्वारा औद्योगिक दृष्टि विकसित यूरोपीय और अमरीकी देशों का दौरा करने के परिणामस्वरूप काउन्टर सेवाओं का यंत्रीकरण करने; डाक मशीनों का निर्माण और उनके रख-रखाव के प्रति क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : 1970–71 में यू० पी० यू० फेलोशिप पर औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप और अमरीका के देशों का दौरा करने वाले डाक-तार महानिदेशालय के दो अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य तौर पर कहा है कि काउंटर सेवाएं स्वरूपत: ऐसी होती हैं कि उनका अधिक मात्रा में यंत्रीकरण नहीं किया जा सकता और ग्राहकों को शीघ्र सेवा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य रूप से काऊंटर सेवाओं के संगठन और कार्यविधि को बदलने की जरूरत है। उन्होंने काऊंटर के कामों के लिए कुछ मशीनों का प्रयोग करने की सिफारिश की है। लेकिन इनका प्रचलन तभी किया जा सकता है जब मौजूदा कार्य-विधियों में जोकि सिर्फ हाथ से काम करने की दृष्टि से काफी अर्सा पहले बनाई गई थी, कतिपय परिवर्तन कर दिए जाएं। इस समय इन कार्य विधियों में परिवर्तन करने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

अमूल, हारलिक्स और ग्लेक्सों कारखानों का विस्तार

4117. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अमूल, हारलिक्स और ग्लेक्सो कारखानों के विस्तार की स्वीकृति दी है ;

(ख) विस्तार से पहले तथा विस्तार के बाद उनकी उत्पादवार क्षमता क्या होगी;

(ग) देश में दूध उत्पादों के उत्पादन से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी और विस्तार के लिये आवश्यक मशीन और कल-पुर्जों के आयात के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई है; और

(घ) क्या वर्तमान दूध उत्पाद संयंत्र के विस्तार सम्बन्धी और आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) विस्तार के पहले तथा बाद में उत्पादवार क्षमता नीचे दिये अनुसार थी :–

फर्म का नाम	उत्पाद	वार्षिक क्षमता (मी० टन में) विस्तार के पहले)	(विस्तार के बाद
मेसर्स केरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स यूनियन, आनन्द (अमूल)	बच्चों के लिए दूध	10,000	11,750
ग्लेक्सो लेबारेटरीज इंडिया लि० बम्बई	–वही–	3,200	4,000
मैसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मेन्यूफैक्चर्स, नाभा (हारलिक्स)	हारलिक्स	6,000	12,000

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दर्शायी गई क्षमता का विस्तार बच्चों के दूध व हार्लिक्स से सम्बन्धित है। चूंकि गत कुछ वर्षों में इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है अतः देशी उत्पादन के कारण हुई विदेशी मुद्रा की बचत का प्रश्न नहीं उठता।

मशीनरी आयात करने हेतु ऊपर (ख) में बताये विस्तार के लिए विदेशी मुद्रा की अभी तक कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) दुग्ध उत्पादों के निर्माणार्थ वर्तमान संयंत्रों में विस्तार करने के कुछ आवेदन पत्र निलंबित हैं और वे विचाराधीन हैं।

दुग्ध उत्पादों का देश में उत्पादन

4118. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जहां कहीं तरल दूध अधिक उपलब्ध होता है वहां नये एककों की स्थापना करके या दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन में रत विद्यमान एककों का विस्तार करके दुग्ध उत्पादों के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

बाल आहार का उत्पादन और मांग

4119. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिष्ठापित और प्रयुक्त क्षमताओं की तुलना में गत तीन वर्षों में बाल आहार का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों में बाल आहार का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) चौथी योजना में बाल आहार की अनुमानित मांग क्या होगी और उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने, वर्तमान संयंत्रों के विस्तार करने, उत्पादन में विविधता लाने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों और नये आवेदन-कर्ताओं से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) शिशु दुग्ध आहार के उत्पादन की स्थापित क्षमता 20,983 मी० टन है। गत तीन वर्षों में इसका उत्पादन निम्न प्रकार है :–

1969	15,558 मी० टन
1970	15,677 मी० टन
1971	16,815 मी० टन

(ख) कुछ नहीं।

(ग) चौथी योजना के लिये 45,000 मी० टन की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 16,484 टन अतिरिक्त क्षमता की अनुमति दी जा चुकी है और विभिन्न प्रायोजनायें क्रियान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं।

(घ) शिशु दुग्ध आहार के उत्पादन के लिये विद्यमान एककों के विस्तार और नये एककों की स्थापना के लिये भी कुछ आवेदनों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

सपरेटा पाउडर का उत्पादन

4120. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में सपरेटा पाउडर का, जिसमें उपहार स्वरूप प्राप्त पाउडर भी शामिल है, आयात किया गया;

(ख) क्या देश में उत्पादित सपरेटा पाउडर कुल मांग की तुलना में कम है और इसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता ;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या विदेशी मुद्रा को बचाने और अन्ततः आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सपरेटा पाउडर का उत्पादन बढ़ाने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों में आयात किये गये सपरेटा दूध पाउडर की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :–

अवधि	मात्रा हजार मी० टन में	मूल्य लाख रु० में
1968–69	45	1220

1969–70	27	583
1970–71	30	682
1971–72	18	455

(सितम्बर, 1971 तक)

(ख) जी, हां। चूंकि सपरेटा दूध पाउडर की मांग तेजी से बढ़ रही है अतः देशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

(ग) इसके निम्न कारण हैं :–

(1) तरल दूध को अधिक मात्रा में उपलब्ध करने में जोकि सेपरेटा दूध पाउडर तथा अन्य दूध उत्पादों के उत्पादन करने के लिए एक कच्चा माल है, काफी समय लगता है किन्तु गहन पशु विकास कार्यक्रम तथा पशुपालन के अन्य सुधार करके तरल दूध की उपलब्धता में सुधार करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) क्षमता का उपयोग करने का सीधा सम्बन्ध तरल दूध के समस्त उपलब्धि से सम्बन्धित है। तथा

(3) केटा मेहसाना, विजयवाड़ा तथा नैसलज जैसी कुछ परियोजनाएं सुरक्षा सेवा की मांग को पूरा करने के लिये तेजी से सम्पूर्ण दूध पावडर बना रही है। उनके द्वारा विपणन के लिए तैयार किये गये सेपरेटा दूध पावडर की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि वे तैयार दूध, शिशु-आहार भी बनाते हैं जिसके लिए सेपरेटा दूध पावडर आवश्यक पदार्थ है।

(घ) दूध का उत्पादन बढ़ाने की बात को ध्यान में रखते हुए एक समेकित कार्यक्रम जिसमें गहन पशु विकास कार्यक्रम तथा पशुपालन में सुधार करना आवश्यक है कि एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है। सपरेटा दूध पावडर के देशी उत्पादन से प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देशी सप्लाई से आयातित सेपरेटा दूध पावडर के मूल्यों का सामान्यीकरण करने के लिए एक सेंट्रल पूल भी बनाया गया है। देश के विभिन्न भागों में दूध पावडर बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये 16,800 मी० टन की एक अतिरिक्त क्षमता की स्वीकृति दी गई है जब ये योजनाएं कार्यान्वित हो जायेंगी तो इससे दूध पावडर का उत्पादन बढ़ जायेगा इसके अलावा दुग्ध पावडर आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की बचत हो जायेगी।

दूध उत्पाद उद्योग का विस्तार और आधुनिकीकरण

4121. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सपरेटा पाउडर के उत्पादन के विस्तार और दूध उत्पाद संयंत्रों के आधुनीकीकरण के लिये आवश्यक मशीन और कल पुर्जों की आवश्यकताएं पूरी करती रही है;

(ख) यदि हां, तो संगठित क्षेत्र में दूध उत्पाद उद्योग के विस्तार के बारे में दी गई सामान्य छूट वापिस लेने के क्या कारण है; और

(ग) दूध तथा दूध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये दूध उद्योग को किस प्रकार का और कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सपरेटा पाउडर के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी प्रायः देश में ही बनती हैं।

(ख) दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए नये एककों के लाइसेंस प्रदान करने में सामान्य-छूट को वापिस लेने के कारण इस प्रकार हैं :

(1) देश में दुग्ध उत्पाद के उत्पादन करने वाले उद्योग की असंगठित वृद्धि और अविवेक-पूर्ण वृद्धि को रोकना;

(2) और, जनता को ताजे दूध के संभरण का उपाय।

(ग) जहां कहीं भी तरल दूध अधिक मात्रा में उपलब्ध है, वहां पर नये एकक स्थापित करके अथवा विद्यमान एककों का विकास करके दुग्ध उत्पादों के उत्पादन हेतु आवश्यक क्षमता पैदा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय योजनाओं में डेरी और पशु पालन प्रक्रिया के समन्वय से एक एकीकृत परियोजना चलाई गई है। हाल ही में अपनाये गये अभ्युपायो में से गहन पशु विकास परियोजना मुख्य अभ्युपाय है जिनको देश में विभिन्न डेरी संयत्रों के दूध वाले स्थानों पर स्थापित किया गया है। उसके अतिरिक्त, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार में राष्ट्रीय योजनाओं के अंतर्गत कई दूध योजनायें और पशु एवं डेरी विकास का योजनाये प्रारम्भ की हैं।

Blackmarketing of Vespa Scooters

412 . **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the number of persons on the waiting list for allotment of 'Bajaj' or 'Vespa' scooter, category-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The number of persons on the waiting list for allotment of Bajaj scooters from the Central Government quota, category-wise, is given below :

List No. I	(Persons drawing Basic pay Rs. 900/— & above)	1627
List No. II	(Executives drawing Basic Pay Rs. 500 to Rs. 899/—)	1943
List No. III	(Non-executives drawing Basic Pay Rs. 500/— to Rs. 899/—)	8845
List No. IV	(Executives drawing basic pay Rs. 300/— to Rs. 499/—)	8572
List No. V	(P. As to Joint Secretaries above)	169
List No. VI	(Medical Doctors)	413
List No. VII	(Non-executives drawing basic pay Rs. 350:— to 499/—)	33438
Total		55067

Information given above pertains to the applications received till the end of 1971. In addition, a large number of applications have been received during the current year (1972). These applications are still to be sifted and tabulated.

Registration for Allotment of Lambretta Scooter

4123. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of persons on the waiting list for allotment of Lambretta scooter, category-wise;

(b) whether people have to wait for 5-6 years to get a scooter; and

(c) if so, the steps taken by Government to reduce the period of waiting ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The number of persons on the waiting list for allotment of Lambretta scooters from the Central Government quota, category-wise, is given below :

List No. I	(Persons drawing basic Rs. 900/— and above)	177
List No. II	(Executives-drawing basic pay Rs. 500 to 899/—)	11
List No. III	(Non-executives-drawing basic Rs 500 to Rs. 899/-)	262
List No IV	(Executives-drawing basic pay Rs. 300 to Rs. 499/—)	847
List No. V	(P. As to Joint Secretaries and above)	4
List No. VI	(Medical Doctors)	4
List No. VII	(Non-executives-drawing basic pay Rs. 350 to Rs. 499/—)	5697
Total :		7002

Information given above pertains to the applications received till the end of 1971. In addition, a large number of applications have been received during the current year (1972). These applications are still to be shifted and tabulated.

(b The waiting period varies from category to category. The maximum waiting period for officers in the lowest category (List VII) is about four years.

(c In order to augment the supply of scooters in the country, Government have decided to set up a unit in the joint sector for the manufacture of Lambretta Scooters for an annual capacity of 1,00 000 nos. The expansion scheme of the existing manufactures of Lambretta Scooters in the country, is also under examination.

वर्षा और भूमि स्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुई क्षति का सर्वेक्षण

4124. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर और अक्तूबर में वर्षा और भूमि स्खलन के कारण हुई भारी क्षति का सर्वेक्षण करने के लिये योजना आयोग के एक दल ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था; यदि हाँ तो क्या दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसने क्या मुख्य सिफारिशें की है;

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) दल के सदस्यों के नाम क्या हैं और दल ने किन-किन स्थानों का दौरा किया और उससे किन-किन सार्वजनिक प्रतिनिधियों ने भेंट की ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : (1) हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर, योजना आयोग ने विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया था, जिसने भारी तथा निरन्तर वर्षा के कारण होने वाले स्खलन तथा धसन के बारे में 31-8-1971 से 2-9-1971 तक शिमले का दौरा किया। इस दल की रिपोर्ट सितम्बर, 1971 के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई थी।

(2) दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उससे शिमला की पहाड़ियों की आधारभूत चट्टान संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और फिलहाल यह हल चल शिमला रिज के प्रभावित भाग के उत्तरी ढाल में अधिक भार तक ही सीमित है। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में कतिपय अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों के बारे में सिफारिश की है ताकि समस्या का समुचित वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग समाधान ढूंढा जा सके। दल ने एक पहाड़ी क्षेत्र सुरक्षा समिति स्थापित करने की भी सिफारिश की है जो प्रस्तुत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर निरन्तर निगरानी रखे और शिमला शहरी क्षेत्र के विकास को विनियमित करे।

(3) दल में योजना आयोग में प्रभाग के प्रमुख श्री ओ० पी० चड्ढा और भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के निदेशक, श्री वी० एस० कृष्णा स्वामी थे। दल ने हिमाचल भवन, रूरके रूकनेस्ट, निर्माणधीन मैडिकल कालेज भवन सहित शिमले के प्रभावित क्षेत्र तथा रिज में केन्द्रीय विद्यालय भवन से लगभग 100 फुट नीचे सुभाष नगर तक उत्तरी ढलान के सारे प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया। दल ने इंजीनियरों, नगर आयोजकों, हिमाचल प्रदेश सरकार के भूगर्भशास्त्रियों तथा शिमला नगर निगम के प्रशासकों एवं इंजीनियरों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने शिमला के डिप्टी कमिश्नर से भी विकार विमर्श किया।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए योजना आयोग में एक 'सैल' की स्थापना

4125. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग में पहाड़ी क्षेत्रो के लिये एक सैल स्थापित करने के बारे में संसद सदस्यों से सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है और क्या उक्त क्षेत्रों के विकास के लिये विशेष धन राशि निर्धारित की गई है; यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या निर्णय है;

(ख) 'सैल' की स्थापना कब की जायेगी; और

(ग) उन क्षेत्रों के संसद सदस्यों का उक्त सेल से सम्बन्ध स्थापित करने की ज्ञापन में दी गई मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हाँ। श्री नारायण चन्द पाराशर तथा संसद के 14 अन्य सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री को सम्बोधित दिनांक 20-7-1971 का ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना आयोग में एक विशेष सैल गठित करने का निर्णय किया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए अभी किसी प्रकार की विशेष धनराशियां निर्दिष्ट करने का निर्णय नहीं किया गया है इसके अलावा इन राज्यों की क्रमिक योजनाओं के अंश के रूप में, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर जो खर्च होता है उस के लिए सम्बद्ध राज्यों को उदार प्रणाली के आधार पर सहायता दी जाती हैं।

(ख) आशा है कि सैल शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि बतानी सम्भव नहीं है।

(ग) पहाड़ी क्षेत्रों के संसद सदस्यों को इस सैल के साथ निकट से सहयोजित किया जाय, इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय सांख्यिकी सेवा में पदोन्नतियां

4126. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **प्रधान मंत्री** सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियों के बारे में 2 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1970 में अधिसूचित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी 'चार' के पदोन्नति कोटा में 17 व्यक्तियों की नियमित पदोन्नतियां, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से 1968 में संवर्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई पात्र व्यक्तियों की सूची में से, की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो 1970 में भी उस सूची में से पदोन्नति कोटे में बाकी रिक्त स्थानों में नियमित पदोन्नतियां न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क) तथा (ख)** : भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमों के अनुसार, सेवा की श्रेणी 'चार' में प्रवरण द्वारा सरकार के अधीन सांख्यिकीय पदों में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त पदों में भरी गई रिक्तियां 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होतीं, जो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसे पदों की एक सूची तैयार करेगा। नियंत्रण प्राधिकारी आयोग के परामर्श से समय पर सूची में में संयोजन या परिवर्तन कर सकता है। नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से प्रवरण उनमें से किया जायेगा, जिन्होंने इन पदों में योग्यता के आधार पर वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा पूरा कर ली हो।

नियंत्रण प्राधिकारी ने यथास्थिति दिनांक 31—12—1966 अर्थात जिन्होंने उस तिथि को, 1967 में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी, ऐसे पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई और इस सूची के आधार पर वर्ष 1966 तक 17 नियमित पदोन्नति रिक्तियों में प्रवरण को वर्ष 1970 में अन्तिम रूप दिया गया था। इसके बाद, मंत्रालयों। विभागों से ऐसे पात्र व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना देने को कहा गया था, जिन्हें दूसरी एकीकृत चयन सूची के तैयार करते समय विचारार्थ क्षेत्र में रखा जा सके। यथास्थिति 31-12-1970 को 'फीडर' पदों में जिन्होंने चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में ब्यौरे मांगे गये हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय सांख्यिकीय सेवा के श्रेणी 'चार' 'फीडर' पदों के रूप में पहले मान्यता प्राप्त पदों की पात्रता के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां भी उठाई थी और मामला संघ लोक सेवा आयोग तथा सम्बन्धित विभागों के ध्यान में लाया गया है। जब इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा और मंत्रालयों। विभागों से दूसरी स्वीकृत चयन सूची के तैयार करने के लिए विचारार्थ क्षेत्र में आने वाले पात्र उम्मीदवारों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त होगी, तब सूची को भारतीय सांख्यिकीय सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसार तैयार किया जाएगा। चूंकि पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त पदों में संयोजन। विलोपन हुए थे और 31—12—1966 के बाद बहुत से व्यक्तियों ने चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी, इसलिए वर्ष 1970 में ही, आगे पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की पहली सूची को प्रयोग में लाना सम्भव नहीं हो सका था।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां

4127. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **प्रधान मंत्री** भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियों

के बारे में 2 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय सेवा में चौथी श्रेणी के पदोन्नति कोटे में उपलब्ध 21 पदों पर नियमित नियुक्तियां करने के बारे में इस बीच कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चौथी श्रेणी के पदोन्नति कोटे में अब कितने पद उपलब्ध हैं और उनमें कब तक नियुक्तियां करने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : जी नहीं, श्रीमान् । मंत्रालयों तथा विभागों में जहां भारतीय सांख्यिकीय सेवा की चौथी श्रेणी में पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त पद विद्यमान हैं, उन्हें दिनांक 31—11—1970 को यथास्थिति पात्र पदधारियों के सम्बन्ध में सेवा की चौथी श्रेणी में पदोन्नति के लिए दूसरी स्वीकृत चयन सूची में बैठने के लिए पूरी सूचना देने के लिए कहा गया था । इसी बीच, संघलोक सेवा आयोग ने पदोन्नति के लिए मान्यता प्राप्त पदों की पात्रता के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई हैं और मामला आयोग तथा सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों के ध्यान में लाया गया है । ज्योंहि सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होगी, त्योंहि सेवा की चौथ श्रेणी में पदोन्नति के लिए चयन सूची बनाई जायेगी ।

(ग) अब भारतीय सांख्यिकीय सेवा की चौथी श्रेणी में पदोन्नति के लिए प्राप्त पदों की संख्या करीब 24 है ।

लाल डेंगा का अता-पता

4128. **श्री मती ज्योत्स्ना चन्दा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मिजो नेशनल फ्रन्ट का अध्यक्ष लाल डेंगा आजकल कहां हैं. और

(ख) यदि हां, तो उसे पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जैसा कि 15 मार्च, 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 259 के उत्तर में बताया गया था, सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि लाल डेंगा के नेतृत्व में कुछ मिजो विद्रोही बर्मा-क्षेत्र में प्रवेश कर गये हैं ।

(ख) हमारे सुरक्षा बल पूर्णतः सजग हैं । बर्मा सुरक्षा बल द्वारा भी उचित उपाय किये जाने के समाचार हैं ।

गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों का मंत्रालयों में अवर सचिवों के रूप में काम करना

4129. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-केन्द्रीय सेवा सचिवालय सेवा संवर्गों में अनेक अधिकारी मंत्रालयों में अवर सचिवों के पदों पर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और क्या इस प्रयोजन के लिये उन्हें कोई विशेष वेतन मिलता हैं, और

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय, सेवा के अधिकारी भी गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों के किन्हीं पदों पर कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । अवर सचिवों के पदों पर कार्य कर रहे गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संख्या 171 है । उन्हें उन पदों पर कार्य करते हुए, उनका ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन दिया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों के किसी पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं । तथापि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 के 47 अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं ।

Fire in Subji Mandi, Delhi due to Accumulation of Large Stock of Carbide

4130. **Shri Mohan Swarup** . Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that fire had broken out in Subji Mandi area last year due to keeping of large stocks of carbide there;

(b) if so, whether Government are also aware that even now fruit sellers are storing carbide in large quantity for ripening raw fruit;

(c) whether fruit ripened with the help of carbide have proved injurious for health; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) The Government have no reports of storage of large quantities of carbide by fruit sellers in Subzimandi.

(c) There is no scientific evidence available to show that the ripening of fruits with carbide gas affects any change in the composition of the fruit or makes it injurious to health.

(d) Does not arise.

अधिकारियों द्वारा डाक-तार विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग

4131. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य प्रमुख नगरों में स्थित डाक-तार विभाग के निरीक्षण क्वार्टरों को डाक-तार विभाग के दौरा करने वाले अधिकारियों अथवा उन स्थानों पर ठहरने वाले अन्य अधिकारियों द्वारा शादी अथवा अन्य सामाजिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है,

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा किसकी अनुमति से किया जाता है और उनका किराया किस प्रकार लिया जाता है, और

(ग) वहाँ लगे टेलीफोन तथा बिजली, पानी आदि जैसी सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं । विभागीय नियमों में उस

स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर रहने वाले डाक-तार अधिकारियों द्वारा शादी या अन्य सामाजिक प्रयोजनों के लिए निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग क ने की व्यवस्था नहीं है। तथापि बाहर रहने वाले अधिकारी छुट्टी पर होने पर नियमों के अनुसार चार्ज का भुगतान करके निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग कर सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिजली की खपत के लिए विभाग द्वारा नियत दरों पर चार्ज वसूल किया जाता है। जब निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग न किया जा रहा हो तो उन्हें ताला लगा दिया जाता है। जब निरीक्षण क्वार्टरों का उपयोग किया जा रहा हो तो ट्रंक टेलीफोन काले भी इस काम के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाती हैं।

डाक तथा तार विभाग के अधिकारियों की इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में प्रति नियुक्ति

4132. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या संचार मंत्री तार तथा टेलीफोन इंजीनियरिंग तथा अन्य गैर-तकनीकी अधिकारियों का इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०-में प्रतिनियुक्ति हेतु चयन के बारे में 26 मई, 1961 के अतारांकित प्रश्न संख्या 409 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस बीच इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के लिये तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाने की उपयुक्तता पर विचार किया है जिससे अखिल भारतीय स्तर पर विभाग से तथा बाहर से योग्यतम कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके तथा बाहर से योग्यतम कर्मचारियों को आकर्षित किया जा सके तथा इस कार्य को केवल इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज पर ही न छोड़ दिया जाये कि वह अपनी इच्छा के व्यक्तियों को रख लें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वह तकनीकी तथा गैर-तकनीकी अधिकारियों के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे जो इस समय आई० टी० आई० की इलाहाबाद यूनिट में प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई गई है अथवा बढ़ाई जा रही है; और

(घ) क्या ऐसे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है और यदि हां, तो वह क्या है तथा पेंशन, छुट्टी तथा अन्य सेवा-सुविधाओं के बारे में आई० टी० आई० को डाक तथा तार विभाग को कि ना प्रतिनियुक्ति शुल्क देना पड़ता है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनदन बहुगुणा) : **(क) तथा (ख)**—जैसा कि लोक-सभा के 26 मई, 1971 के लिखित प्रश्न-संख्या 409 के उत्तर में बताया गया था, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, संचार मंत्रालय के अधीनस्थ एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्योंकि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से डाक-तार की खपत के उपस्कर ही तैयार करता है इसलिए इन उपक्रम में विशेष विशेषताएं तथा अनुभव रखने वाले डाक-तार विभाग के

अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना पड़ता है। सरकार ने इस कार्यविधि का अनुमोदन सार्वजनिक हित में किया है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1863/72**]

(घ) प्रतिनियुक्ति की अवधि शुरू में तो एक वर्ष की होती है। जैसा कि विवरण-पत्र में बताया गया है इसे 2 से 3 वर्ष की कुल अवधि तक बढ़ाया जाता है।

फिलिप्स फैक्टरी, कलकत्ता का बन्द हो जाना

4133. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 अप्रैल, 1972 के कलकत्ते से प्रकाशित होने वाले हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड "कलकत्ता फैक्टरी फेसिस क्लोजर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सम्पूर्ण पूर्वी भारत में केवल (फिलिप्स के पास ही बिजली के उपकरण बनाने का संयंत्र है)

(ग) क्या उक्त संयंत्र आरम्भ से ही रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है लेकिन उसे और क्रयादेश नहीं दिये गये हैं, और

(घ) क्या सरकार का ऐसी कार्यवाही करने का विचार है जिससे उक्त फैक्टरी विभिन्न उपकरणों का उत्पादन कर सके और इस प्रकार उसके कुशल तकनीकी कर्मचारी बेरोजगार न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में तीन इकाइयां हैं, मैसर्स फिलिप्स, मैसर्स जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी, जो पूर्वी भारत में विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रानिक मदों के बनाने में लगी हैं।

आयात स्थानापन्नता के उपाय के रूप में रक्षा मन्त्रालय ने, फर्मों की क्षमता तथा सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर रक्षा इलैक्ट्रानिक तथा दूसरी मदों के लिये विभिन्न फर्मों को आदेश भेजे।

वर्तमान में मैसर्स फिलिप्स ऐसे दो आदेशों को अपने सयंत्र कलकते में लागू कर रहे हैं। ऐसी मदों के लिये मैसर्स फिलिप्स को आगे कोई आदेश भेजना विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है जैसे भावी आवश्यकतायें इत्यादि।

16 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में औद्योगिक कारखानों की स्थापना

4134. **श्री दशरथ देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत त्रिपुरा में लघु उद्योग क्षेत्र के कुछ कारखाने स्थापित करने की योजना है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : त्रिपुरा में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए किसी 16 सुत्री कार्यक्रम के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

1972–73 में लघु उद्योगों के लिए 9.00 लाख रुपये और औद्योगिक बस्तियों के लिए 5.36 लाख रुपये स्वीकृत परिव्यय है।

Direct Dialling System in Gaya-Bihar

4135. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether there is no direct dialing system in Gaya (Bihar);

(b) whether Government would formulate any scheme for introducing direct dialing system there; and

(c) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir. Gaya is served by a manual exchange.

(b) Gaya is already included in the list of exchanges which are due for automatisation. The Department has not been successful to acquire land for the exchange building as the party has gone to the court.

(c) Date by which the automatic exchange will be commissioned can be assessed only after the Department gets possession on the site and construction of building can be taken up.

Grants to Organi Stations doing National Integration Work

4136. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1455 on the 29th March, 1972 regarding grants to organisations doing national integration work and state;

(a) the amount of grants given to the institutions referred to the rein for National integration during 196 -70, 1970-71 and 1971-72, separately; and

(b) the amount of grants proposed to be given to each of them during 1972-73 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. Please see No. L.T.—1864/72]**

(b) **Ad hoc** grants to voluntary organisations are given for specific activities on a non-recurring basis. The requests for grants that may be considered during the current year, are not related to the previous grants and fresh proposals for the current year would be examined and considered on their merits.

गंगा नगर टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा बढ़ा चढ़ा कर टेलीफोन बिल भेजा जाना

4137. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या संचार मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गंगानगर से प्रकाशित "चुनौती" साप्ताहिक के दिनांक 8 अप्रैल, 1972 के संस्करण में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज

गंगानगर द्वारा बढ़ा चढ़ा कर बिल भेजे जाने की शिकायत की गई थी :

(ख) क्या उक्त आरोपों के बारे में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गलत मीटर रीडिंग के कारण गलत बिल बनाए जाने के 12 मामलों का पता चला था । इन्हें ठीक करके सही बिल जारी करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की गई थी । इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की जा रही है ।

वर्ष 1972 के लिए दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी

4138. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नई टेलीफोन डायरेक्टरी कब तक प्रकाशित हो जायेगी तथा उपलब्ध हो जायेगी;

(ख) क्या पिछली डायरेक्टरी अप्रैल. 1971 में निकाली गई थी, और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कागज की सप्लाई की अनिश्चित स्थिति के कारण कोई निश्चित तारीख फिलहाल नहीं बताई जा सकती ।

(ख) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का पिछला संस्करण जिनपर 'अप्रैल 1971 डायरेक्टरी' लिखा था, 5 अगस्त, 1971 से बांटा गया था । इसमें अप्रैल, 1971 तक के इन्दराज ठीक करके शामिल कर लिए गए थे ।

(ग) मुख्य रूप से कागज उपलब्ध न होने के कारण टेलीफोन डायरेक्टरी के अगले संस्करण की छपाई में विलम्ब हो रहा है ।

योजना' का तेलुगु संस्करण

4140. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य के बावजूद कि तेलुगु देश की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, 'योजना' पत्रिका का तेलुगु संस्करण प्रकाशित नहीं होता और यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : 'योजना' पत्रिका का तेलुगु संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया गया है । इस संस्मरण को प्रारम्भ करने में देरी का कारण इसके मुद्रण की सन्तोषजनक व्यवस्था करने तथा कागज की नियमित सप्लाई का प्रबन्ध करने में कठिनाइयों का होना है ।

आन्ध्र-प्रदेश में आकाशवाणी के संवाददाता

4141. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आकाशवाणी के पूर्णकालिक और अंशकालिक संवाददाताओं की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या उक्त राज्य के समाचारों का प्रसारण अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती नंदिनी सत्पथी) : (क) आन्ध्र प्रदेश में दो पूर्णकालिक तथा चार अंशकालिक संवाददाता हैं ।

(ख) समाचारों का प्रसारण उतना ही है जितना अन्य राज्यों में ।

तेलुगु कार्यक्रम पत्रिका 'वाणी'

4142. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाठकों के बार-बार अनुरोध के बावजूद 'वाणी' नामक तेलुगु कार्यक्रम पत्रिका के प्रकाशन को मद्रास से हैदराबाद स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त पत्रिका का सम्पादन एक गैर तेलुगु-भाषी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप उसका घटिया सम्पादन होता है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद तेलुगु-भाषी व्यक्ति को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दनी सत्पथी) : (क) मुद्रण की ऊंची लागत तथा हैदराबाद केन्द्र में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव ।

(ख) पत्रिका का सम्पादन कार्य केन्द्र निदेशक, मद्रास, जो पदेन सम्पादक है, कि देखरेख में एक तेलुगु जानने वाले सहायक सम्पादक करते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की संख्या में वृद्धि करने की मांग

4143. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतियोगियों के एक समूह ने उनको एक अभ्यावेदन भेजा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विचाराधीन है ।

दिल्ली में उप पुलिस अधीक्षक के पद

4144. **श्री पन्ना लाल बारूपाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में उप-पुलिस अधीक्षक के कुछ पद काफी समय से रिक्त पड़े है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या कितनी है और उन्हें अब तक न भरने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) और (ख) (क) क्या दिल्ली पुलिस में उप पुलिस उप-अधीक्षकों के कुल 82 पदों में से केवल 5 पद उपयुक्त अधिकारियों की कमी के कारण पिछले कुछ समय से खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने के लिए शीघ्र चयन किये जाने की सम्भावना है।

स्कूटर संयंत्र का जोधपुर से अलवर को स्थानान्तरण

4145. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया गया था;

(ख) क्या उक्त कारखाने को अब अलवर में स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) राजस्थान राज्य में स्थित अलवर में प्रतिवर्ष 24 000 स्कूटरों का निर्माण करने हेतु एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम को 7 अक्टूबर, 1970 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। निगम से एक अभ्यावेदन मिलने पर आशय पत्र की वैधता 6 अक्टूबर, 1972 तक के लिये बढ़ा दी गई है। निगम ने जनवरी, 1970 में औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिये जब मूल रूपमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तब उन्होंने प्रस्तावित संयंत्र को अलवर में लाने के लिये लिखा था, जोधपुर में नहीं।

उड़ीसा सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के मामले में अलग से साक्षात्कार करने के आदेश

4146 **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चुनाव करने हेतु अलग से साक्षात्कार करने और निर्धारित स्तर में छूट देने के बारे में उड़ीसा सरकार को आदेश जारी किये हैं;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार उनका पालन कर रही है, और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत राज्य सरकारों के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षणों का विषय तत्सम्बन्धित राज्य सरकारों का है। अतः भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं। तथापि, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था की गई थी कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के बारे में आरक्षित रिक्तियों में चयन के

लिए उपयुक्तता के मानदण्ड के स्तर में छूट लागू करने तथा इन सम्प्रदायों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए अलग दिन या प्रवरण समिति की अलग बैठक में बुलाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 को जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपियां दिनांक 28 सितम्बर, 1970 को सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थीं, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार की प्रक्रिया लागू करने की व्यवस्था करें। तथापि, उड़ीसा सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की भर्ती के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के आधार पर विदित होता है कि राज्य सरकार के नियम में दिनांक 29 अप्रैल, 1953 के संकल्प के अनुसार पहले से ही व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार जोकि नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं, उन्हें आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इन अनुदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 18 सितम्बर, 1969 को दूसरा संकल्प जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था की गई थी कि जब कभी किसी पद के लिए उम्मीदवारों के हेतु प्रवरण बोर्ड की स्थापना की जाती है, उसमें जन-जातीय तथा ग्रामीण कल्याण विभाग से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जोकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के हितों का संरक्षण करे। दिनांक 31 जुलाई, 1971 को जारी किए अन्तिम आदेश के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को अब एक सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है, जिसमें यह निर्देश हो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के सम्बन्ध में आरक्षित रिक्तियों में उनके लिए अपेक्षित संख्या उपलब्ध हो सके, यदि इस भर्ती मे कोई कमी हो तो उसके कारण का पता लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यद्यपि स्तर के मानदण्ड में छूट के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों को उड़ीसा सरकार द्वारा उसी रूप में नहीं अपनाया गया है। तथापि, जो आदेश उन्होंने आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए जारी किये हैं, वे भी इस सम्बन्ध में उतने ही प्रभावी हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में भरती किए जाने वालों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ भूमिका अध्ययन

41.47. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या प्रधान मंत्री भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में भरती किये जाने वालों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ भूमि के अध्ययन के बारे में 14 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० वी० सुब्रह्मण्यम की अध्ययन-रिपोर्ट इस बीच प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित कर दी गई है और क्या वह जनता को अब उपलब्ध है;

(ख) क्या उक्त प्रकाशन की तीन प्रतियाँ संसद्-ग्रन्थालय को भेजी गई थीं और यदि हां, तो कब ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या लेखक के निष्कर्षों का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा, और

(घ) क्या राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी द्वारा बाद में इसी प्रकार का अन्य कोई अध्ययन भी किया गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) : प्रो० वी० सुब्रह्मण्यम द्वारा आरम्भ की गई प्रशासनिक अकादमी की अध्ययन-रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रकाशन के बाद, तीन प्रतियां संसद-ग्रन्थालय को भेज दी जायेंगी। इन परिस्थितियों में, इसका सारांश सभा पटल पर रखे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी द्वारा हाल ही में इस प्रकार का एक अध्ययन आरम्भ किया गया है जिसमें वर्ष 1959-1969 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए धार्मिक, शैक्षिक नगरीय, ग्रामीण इत्यादि पृष्ठ भूमि का अध्ययन भी समाविष्ट किया गया है।

तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं दान धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम, 1970

4148. **श्री एस० एम० सिद्धया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल में तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक एवं दान धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम, 1970 को वैध घोषित किया है, जिसके कारण देश के सामाजिक सुधार कार्यक्रम पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों द्वारा समान कार्यवाही के लिए शीघ्र ही एक आदर्श विधेयक लाने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तमिल नाडु हिन्दू धार्मिक एवं दान धर्मस्व (संशोधन) अधिनियम, 1970 की वैधता का अनुमोदन करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि केन्द्रीय सरकार मुकदमे में कोई फरीक नहीं थी।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारत में परमाणु ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए फ्रांस से सहायता

4149. **श्री बी०के० दास चौधरी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए फ्रांस ने भारत को सहायता देने की पेशकश की है :

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलैक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : **(क) तथा (ख)** : जी हां।

(ग) फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ किये गए करार के अन्तर्गत वह आयोग फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्राप्त किये गए अपने अनुभव का भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के साथ आदान प्रदान कर रहा है। इस करार की शर्तों के अन्तर्गत; भारतीय इंजीनियरों

तथा वैज्ञानिकों के एक दल ने आयोग के सहयोग से कलपक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रियेक्टर परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिऐक्टर के निर्माण का दायित्व भारत सरकार का है। फ्रांस का परमाणु ऊर्जा आयोग इंजीनियरों की सेवाओं के लिए तय की गई दरों तथा डिजायन के लिये स्वीकृत अदायगी के आधार पर डिजाइन एवं तकनीकी प्रणालियों से सम्बन्धित परामर्श सेवायें उपलब्ध कराएगा

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के प्रबन्ध के विरुद्ध दीवानी मुकदमा

4150. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० के कुछ कर्मचारियों तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० कर्मचारी यूनियन (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली ने उक्त निगम के प्रबन्ध के विरुद्ध दीवानी मुकदमें दायर किये हैं या आवेदन पत्र दिये हैं; और यदि हां, तो ऐसे मुकदमे/आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है।

(ख) इतने मूल्य के और इस प्रकार के मुकदमों के लिये केन्द्र सरकार ने कितनी कानूनी फीस निर्धारित की है तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने प्रत्येक मामले में अपने वकीलों को कितनी कितनी कानूनी फीस दी है; और

(ग) क्या इस निगम ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कानून फीस से बहुत अधिक फीस दी है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ। इस समय मुकदमों की संख्या छः है। प्रत्येक मुकदमे के मूल्य और किस्म के बारे में एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गए। देखिये संख्या एल० टी० 1865/72]**

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार के फीस सम्बन्धी नियम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू नहीं होते।

Functions of Hindi Adviser and Hindi Advisory Committee

4151. **Shri Yamuna Prasad Mandal:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the main functions of Hindi Adviser and the Hindi Advisory Committee and the number of projects executed so far in this direction ?

The Minister of State in t e Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ramniwas Mirdha) : The Hindi Adviser advises the Government on the matters relating to the propagation, development and the progressive use of Hindi for official purposes. The Hindi Adviser is associated with all the functions (including recommendations, suggestions discussion and decisions etc.), regarding adequate implementation of the provisions of the Official Languages Act 1963, as amended.

The function of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Home Affairs is to advise the Government in respect of progressive use of Hindi for various official purposes.

The relevant recommendations of the Hindi Advisory Committee are considered in the Ministry of Home Affairs and such action as is necessary, is taken thereon.

Alleged Looting of a Petrol Pump at Link Road, Delhi

4152. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether three persons riding three-wheeler (scooter) looted a petrol pump located at Link Road, Delhi on 21st March, 1972;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the acti n being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Four persons and NOT three riding a three wheeler (scooter) and committed robbery at the petrol pump on Link Road, Delhi on the 21st March, 1972.

(b) On 21.3.1972 Shri Jagir Singh son of Shri Mohan Singh, Salesman Bagga Petrol Pump Link Road, reported to the Police that at about 2.25 AM of the preceding night, four un nown persons cam to the petrol pump in a three wheeler scooter No. 3 21 on the pretext of getting air in the wheel and petrol. He supplied petrol and when he went to the office to prepare the cash memo, all the four persons followed him and forcibly relieved him of Rs. 7 0/— in cash at the p int of knife. Another employee of the petrol pump Shri Narinder Kumar, attempted to help him but he too was restrained at the point of knife by one of the accused persons. He sustained injuries on his right little finger when he tried to over-power the accused. All the four persons after committing the offence managed to escape.

(c) A case FIR No. 286 dated 21.3.1972 u/s 394/34 IPC was registered at Police Station Karol Bagh and investigation started. All the four accused persons have been arrested. Some stolen property has been recovered from them. Investigation is continuing.

- roposal for shifting of plants from Foreign Countries

4153. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleasd to state :

(a) whether suggestions have come from countries other than the U. K. and Netherlands for shifting of any of their industries to India;

(b) if so, an outline of the suggestions; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (e) : Two proposals for the transfer of working plants for the manufacture of stainless steel cutlery and machine tools (centre lathes) from Denmark and West Germany respectively, have been received by the Trade Development Authority (Ministry of Foreign Trade). These are at a preliminary stage of processing.

Apart from these proposals, the proposals for the shifting of second had working plants one each from Italy and West Germany have already been approved by the Government Brief details of these two approvals are given in the Annexure.

Stat ment

List of cases approved by the Government for the shifting of second hand working plants from countries other than the U. K. and the Netherlands,

S. No.	Name of the Indian Party	Name of the Foreign firm	Location of the proposed plant	Brief details
1.	A Joint Sector undertaking to be set up by the	M/s Innocenti of Italy.	Lucknow (U. P.)	Transfer of a plant for the manufacture of 1 lakh Lambretta

		Govt. of India with the participation of M/s Innocetni of Italy & M/s Automobile Products of India Ltd., Bombay.		Scooters per annum by purchasing the existing manufacturing facilities of Italian firm.
1.	Shri Win. N. Chadha, Bombay	M/s Lytton Industries Inc. U. S. A.	Nasik (Maharashtra)	Transfer of working plant from West Germany for the manufacture of 80,000 electric adding machines.

In both these cases a condition has been laid down that plant, equipment and tooling transferred should be certified by internationally reputed assessors and chartered engineers for their useful life, good maintenance and reasonable value.

कूच बिहार में कूचबिहार शरणार्थी सेवा के विरुद्ध प्रदर्शन

4154. **श्री बी० के दास चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार में कूचबिहार शरणार्थी सेवा के नाम से कार्य करने वाली एक विदेशी मिशनरी के विरुद्ध जिला छात्र परिषद् तथा अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किये तथा शिष्ट मण्डल भेजे;

(ख) क्या सरकार ने प्रदर्शनकारियों तथा शिष्ट मण्डल के सदस्यों के विचार जान लिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी थी ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : कूच बिहार शरणार्थी सेवा के अधीन कार्य करने वाले विदेशी मिशनरी के विरुद्ध जिला छात्र परिषद् और युवा कांग्रेस के प्रदर्शन करने का समाचार है जिसमें माँग की गई कि उसे देश छोड़ देना चाहिए।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कार्यवाही आवश्यक है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

व्यास सतलुज परियोजना में विस्फोट होने से चार व्यक्तियों की मृत्यु होने का समाचार

श्री वीर भद्र सिंह (मंडी) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं, और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

हिमाचल प्रदेश के मण्डी जिला में व्यास-सतलुज परियोजना की एक सुरंग में विस्फोट

होने से चार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने और कई अन्य व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आने के समाचार।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : 23 अप्रैल को लगभग 10 बजे रात में बग्घी-पंडोह सुरंग के बग्गी वाले सिरे की तरफ लगभग 3 मील भीतर रेल की पटरी बिछाने के लिए एक छोटा गड्ढा बनाने के लिए एक लघु विस्फोट किया गया : 6′ × 5′ × 5′ को नाप का गड्ढा खोदने के लिए लगभग दो किलोग्राम विस्फोटक का उपयोग किया गया। ज्यों ही विस्फोट किया गया, करीब करीब उसके साथ ही एक दूसरा विस्फोट होने की आवाज भी सुनायी पड़ी। बिजली की लाइने और वायु संचार प्रणाली बन्द हो गई। मजदूर और सुपरवाइजर जो गड्ढे के स्थल से पर्याप्त दूरी पर खड़े थे, अंधेरे में घिर गये और आतंकित होकर बाहर की तरफ भागने लगें, लेकिन वे विस्फोट के गैस से बच न सके।

सुरंग का मुंह दुर्घटना स्थल से लगभग 3 मील की दूरी पर है। दुर्घटना के संबंध में सूचना दुर्घटना स्थल से लगभग 1000 फुट की दूरी पर स्थित निकटतम टेलीफोन से दे दी गई। लोगों को बचाने के लिए स्थल पर चिकित्सा संबंधी सहायता और राहत तत्काल पहुंचायी गई और उन सभी को वहाँ से निकाला गया और उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उनमें से चार की अस्पताल जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। गैस और छोटी-मोटी चोटों से प्रभावित लगभग 67 अन्य व्यक्तियों की चिकित्सा सुन्दर नगर में परियोजना अस्पताल में की गई और सिर्फ 4 व्यक्तियों के अलावा सभी व्यक्तियों को छुट्टी दे दी गयी है। इन 4 व्यक्तियों को सिर्फ हल्की चोटे हैं और आशा है कि उन्हें एक सप्ताह के भीतर छुट्टी मिल जायेगी।

प्रारम्भिक रिपोर्टों से यह पता चलता है कि 50 किलोग्राम विस्फोटक, जिसे इससे पहले के विस्फोट में सुरंग के पूरे अग्रभाग को उडाने में खर्च नहीं किया गया था गड्ढे के स्थल से लगभग 150 फुट दूर लकड़ी के बक्से में उस स्थान पर सँचित था जिसे सुरक्षित माना जाता है। ऐसा पता चला है कि इस छोटे विस्फोट के छोड़े जाने के बाद ही एक सेकंड से भी कम समय के भीतर 50 किलोग्राम का विस्फोटक किसी तरह विस्फोटित हो गया। दूसरे विस्फोट के कारण का पता लगाने के लिए एक विभागीय जांच पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है।

Shri Virbhadre Singh : The hon. Minister has stated in his reply that in this accident 4 persons were killed and 66 were injured. According to my information, the number of persons injured is much higher. The Beas Sutlej project is a vital one where thousands of labourers work. They have to perform very hard task, May I know whether sufficient safety measures are adopted ?

These people should be provided all facilities admissible under Workmen Compensation Act. What help has been given to the families of the deceased ? What efforts are being made to avoid recurrence of such accidents.

Shri B. N. Kureel : There are a number of tunnels in the project and it is dangerous to work in them.

According to the provisions of the Workmen Compensation Act, they are entitled to 7 to 8 thousand rupees as per wages. This I wish should be paid immediately.

No doubt safety measures were adopted. The stones were kept 150 feet away and nobody could imagine that a blast of the type could take place. The matter is being investigated thoroughly.

प्रो० नारायण चन्द पराशर (सुरेन्द्र नगर) : जितनी दूरी पर विस्फोटक पदार्थ रखे गये थे उस इस सुरक्षित दूरी नहीं मानते । मामले की विभागीय नहीं, न्यायिक जांच की जानी चाहिए वर्कमेन कम्पेन्सेशन ऐक्ट के अन्तर्गत 499 रु० तक वेतन पाने वालों के लिए व्यवस्था की गई है । अधिक वेतन पाने वालों के लिये नहीं ।

तलवाड़ा में भी कुछ समय पूर्व ऐसी ही दुर्घटना घटी थी । उसके पश्चात् दुर्घटनाओं को रोकने के लिये कौन से सुरक्षात्मक उपाय किये गये ? भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

दूसरे मैं मारे गये कर्मचारियों के वेतनमान जानना चाहता हूं ।

श्री बैजनाथ कुरील : निम्न व्यक्तियों की मृत्यु हुई । श्री रामसिंह, एफ० एच० आर०, श्री दामोदर, बेलदार श्री व्यापक चन्द, वर्क मिस्त्री और श्री अमीचन्द्र, डिस्पेंसर । यह सभी व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेंगे । 499 रुपये की सीमा को मैं भी कम मानता हूं । इसे बढ़ाने पर हम विचार करेंगे ।

तलवाड़ा की दुर्घटना के बारे में मैं पूछताछ करूंगा । तकनीकी समिति सुरक्षा के उपायों पर विचार करेगी ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सरकार को क्षतिपूर्ति शीघ्र करनी चाहिए । विलम्ब के क्या कारण हैं ? (क्या सुरंग के निर्माण में देरी होगी) क्या सरकार ने पता किया है कि विस्फोटक पदार्थ 150 फुट की दूरी पर किसने रखे थे ? क्या सरकार उसे तुरन्त निलम्बित करेगी ?

श्री बैजनाथ कुरील : विस्फोटकों को रकने के लिये कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है । दुर्घटना के कारण सुरंग के निर्माण में विलम्ब नहीं होगा । क्षति पूर्ति दी जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Murana) : Why do you hesistate to take action against the persons held responsible.

If it was done on the basis of experience, why the accident took place ?

Why compensation is not paid atonce ?

Whether the intination regarding accident was received by you immediately or it was collected after the receipt of our notice.

The officers should be kept along from the enquiry otherwise they would try to hide the facts.

Shri B. N. Kureel : There is no question of hiding the facts. The technical committee would examine whether the distance of 150 feet where dangerous explosives, were kept was enough. We received the information given to the receipt of notice. In the matter of conversation. It is likely to take 2-4 days.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड नई दिल्ली तथा हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की

धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1 जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड, नई दिल्ली, का 1 जनवरी, 1970 से 31 मार्च, 1971 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये / देखिये संख्या एल० टी० 1850/72]**

(2) (एक) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, का वर्ष 1970/71 संबंधी कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, के वर्ष 1970-71 संबन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1851/72]**

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियमन, 1972

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1972 जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 245 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 15 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 246 (ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1852/72]**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1966-67 और 1967-68 के प्रमाणित लेखे

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1967-68 के प्रमाणित लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों के दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । **[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1853/72]**

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
बारहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री एम० बी० राणा (भडौच) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हू :

(1) भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्ध में 12 वां प्रतिवेदन; और

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध से समिति की बैठकों के कार्यवाही साराँश ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
19 वां और 20 वां प्रतिवेदन

श्री लीलाधर कटकी (नवगाँव) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में 19 वां प्रतिवेदन ।

(2) इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) लौहा और इस्पात तथा लौह मिश्र धातु के आयोजन, विकास, उत्पादन, वितरण आदि के बारे में 20 वां प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
37 वां और 46 वां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लोक-लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969—70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) और केवल भाखड़ा बाँध प्रशासन तथा ब्यानस परियोजना के सम्बन्ध में पंजाब सरकार का लेखापारीक्षा प्रतिवेदन, 1968 के बारे में 37 वाँ प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969—70 के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (डाक और तार) के बारे में 46 वां प्रतिवेदन ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की व्यवस्था के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ARRANGEMENT FOR DEEP SEA FISHING

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : हाल ही में माननीय सदस्यों ने गहरे समुद्र में मत्स्यहरण के विकास में काफी दिलचस्पी दिखाई है । मैं महसूस करता है कि मुझे गहरे समुद्र में मत्स्यहरण की वर्तमान स्थिति और उसके विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे और किए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में संसद को जानकारी दूं ।

तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधनों के वाणिज्यिक अनुसंधान की दिशा में हम ने अभी तक प्रभावकारी तरीके से शुरुआत नहीं की । चौथी योजना में 300 तट से दूर और समुद्र में मीनहरण जलयानों का प्रावधान हैं । सरकार, मुख्य रुप से बन्दरगाहों, कार्मिक प्रशिक्षण और संसाधन सर्वेक्षणों के रूप में अवस्थापना की व्यवस्था कर रही है । मत्स्य जलयानों का यथा सम्भव निर्माण के लिए देशी क्षमता का उपयोग करना और देश में ही निर्मित जलयानों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की नीति रही है । इस उद्देश्य के लिए काफी उदारता से सहाय्य प्रदान की गई । सरकार ने भी वर्ष 1968—69 में देश की जहाज बनाने वाली फर्मों को 40 तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्यहरण जलयानों के लिए आर्डर दिए । इनमें से 26 जलयान अब तक प्राप्त हुए हैं । सरकार इनमें से अधिकांश जलयानों का संसाधन सर्वेक्षण के लिए प्रयोग कर रही है । मत्स्यहरण उद्योग, विभिन्न कठिनाइयों के कारण तट से दूर और गहरे समुद्र में मत्स्यहरण जलयानों के निर्माण की देशी क्षमता का उपयोग करने के मामले में मन्द गति से चला है ।

चूंकि मीनहरण जलयानों के निर्माण में विशेषज्ञता होने के कारण इसको आगे विकसित किया जा सकता है या किया जा रहा है, सरकार ने 1968-69 में तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मीनहरण के विकास को तीव्र करने के उद्देश्य से 30 तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मीनहरण जलयानों को आयात करने का अधिकार दे दिया था । और अधिक आयातों के लिए प्रस्ताव किया गया है, बशर्ते देशीय क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए । सरकार तट से दूर तथा गहरे समुद्र मे मीनहरण क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से, विदेशी विशेषज्ञों को लगाने की भी आवश्यकता समझती है । इस सम्बन्ध में, रूस के साथ एक उपयुक्त करार करने की सम्भावना पर विचार किया गया है । प्रस्ताव है कि समुद्रीय तथा अन्तर्देशस्थ मीन उद्योग के क्षेत्र में, सहयोग के लिए रूस के साथ करार किया जाए । रूस ने इन दोनों क्षेत्रों की तकनौलौजी में अत्याधिक विशेषज्ञता उपलब्ध की है । समुद्रीय क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था की गई है कि देशीय क्षमता से अधिक ट्रालरों की आवश्यकता होने पर उसे प्रस्तावित करार द्वारा पर्याप्त सीमा तक पूरा किया जा सकता है । रूस द्वारा गहन समुद्र मीन उद्योग की नवीनतम तकनीकी अवशेषज्ञता, इस देश के गहरे समुद्र में मीनहरण के कार्य में सहायता कर सकेगी । ट्रालरों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अन्यसाया से आयात करके पूरा किया जा सकता है

तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मत्स्य संसाधन देश की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं में प्रोटीन की कमी को पूरा करने में ही सहायता नहीं करते, बल्कि मछलियों की चुनीन्दा ऊंचे मूल्यों वाली किस्मों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा की आय को अधिक बढ़ाने में भी सहायता करते हैं ।

यह अनुमान लगाया गया है कि अकेले कान्टीनैन्टल शैल्प के संसाधन ही जिनका हम इस समय आँशिक रूप से अन्वेषण कर सके हैं, मत्स्य की वर्तमान मात्रा को तिगनी से चौगनी करने में सहायता कर सकते हैं . श्रिम्प तथा लौबराटर मछलियों के, जो पहले ही लगभग 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है, निर्यात व्यापार में तकनीकी ज्ञान तथा उपकरण की उपलब्धि से, तट से दूर तथा गहरे समुद्र में मीन उद्योग के विकास को तीव्र करने में बहुत सहायता मिलेगी और देश के उन समुद्री बड़े संसाधनों को बढ़ाने में सहायता करेगी, जो लोगों की खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं और देश की विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ाने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

मैसूर-हुबली पैसेंजर गाडी के पटरी से उत्तर जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE-DERAILMENT OF MYSORE-HUBLI PASSENGER TRAIN

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : 26–4–72 को दक्षिण रेलवे के चाकलापल्ली और पेणुकोंडा स्टेशनों के बीच 223 अप मैसूर-हुबली सवारी गाड़ी के पटरी से उतर जाने के सम्बन्ध में रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री द्वारा 26–4–72 को दिये गये बयान से आगे मैं अतिरिक्त सूचना जो अब तक उपलब्ध हुई है, सदन की जानकारी के लिए रख रहा हूं।

इस दुर्घटना के फलस्वरूप 25 व्यक्ति मारे गये जिनमें से 23 दुर्घटना स्थल पर ही मर गये थे और दो व्यक्तियों की चोटों के कारण अस्पताल में वापिस होने के बाद हो गयी। इसके अलावा अन्य 38 व्यक्ति घायल हुए थे जिनमें से 17 को गम्भीर चोटें आयें थीं।

इस समय 9 व्यक्तियों की अस्पतालों में आन्तारक रोगियों के रूप में चिकित्सा की जा रही है और उनमें से सबकी हालत में सुधार हो रहा है।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा सहायता यान वैगलूरू और गुंतकल्लु से तत्काल रवाना हो गये थे। इसके अलावा, हिन्दुपुर, वेणुकोंडा और धर्मावरम् से प्राइवेट चिकित्सक भी दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच गये थे। सब मिलाकर 17 डाक्टर अर्थात् एक मंडल चिकित्सा अधिकारी, 5 सहायक चिकित्सा अधिकारी और 11 सिविल दुर्घटना स्थल पर घायलों की देखभाल कर रहे थे।

रेलवे सम्पत्ति की हुई हानि का अनुमान लगभग 3,57,000 रु० लगाया गया है। सीधी संचार व्यवस्था जो इस दुर्घटना के फलस्वरूप अस्त-व्यस्त हो गयी थी, उसी दिन अर्थात् 26–4-72 को 16.30 बजे फिर से चालू हो गयी थी।

दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही, दक्षिण रेलवे के महाप्रबन्धक, विभागीय अध्यक्षों और मैसूर के मण्डल अधीक्षक तथा अन्य मण्डल धिकारियों सहित राहत तथा बचाव सम्बन्धी काम की देखभाल के लिए दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए।

मैंने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का मुआयना किया। मैंने पटरी से उतरे इंजन, डिब्बों और मृतकों को देखा। उसके बाद वहां से लगभग 45 मील दूर अनन्तपुर के अस्पताल में घायलों को देखने के लिए वहाँ मोटर कार से गया। प्रत्येक घायल व्यक्ति को मैंने देखा और बातचीत की। घायलों की चिकित्सा सन्तोषजनक रूप से की जा रही थी।

मृतकों के निकटतम सम्बन्धियों और घायलों को अनुग्रह के रूप में भुगतान किया गया है।

दुर्घटना के कारण की जाँच बेंगलूरू स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा की जा रही है।

संविधान (उन्तीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY NINTH AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एस० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान को और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हुं।

अनुदानों की मांगें 1972-73 जारी
DEMANDS FOR GRANTS, 1972—73 CONTD.

विदेश मंत्रालय—जारी

श्री सैयद अहमद आगा (बारामूला) : यदि आज मध्याह्न भोजन अवकाश को जोड़ दें तो दो तीन व्यक्तियों को समय मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : तो भी आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर) : कांग्रेस पार्टी उन्हें समय दे सकती है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु सूची में उनका नाम नहीं है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : कांग्रेस और विपक्ष के बराबर सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं तथा उन्हें बराबर समय मिलेगा। हमारे सदस्य दो तिहाई हैं उन्हें समय कम मिल पाता है।

श्री संत बख्श सिंह फतेहपुर) : मुझे खेद है कि 'सांस्कृतिक सम्बन्धों पर भारतीय परिषद' के व्ययों में कुछ वृद्धि पर प्रो० हीरेन मुखर्जी जैसे सभ्य व्यक्ति ने आपत्ति की है। विदेश विभाग के 52.73 करोड़ रुपए के अनुदानों में 20 लाख रुपया परिषद को दिया गया है।

हमारा देश सैनिक अथवा आर्थिक दृष्टि से तो महान शक्ति नहीं बन सकता, परन्तु सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। मैं समझता हूं कि परिषद को इस गुणी राशि

मिलनी चाहिए । दक्षिण पूर्वीय एशिया में भारतीय संस्कृतिक अपने उज्जवल रूप में देखने को मिलती है । इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो वासुकिनां के मन्दिर में मस्तिष्क नवा रहे थे । थाईलैंड में अयुध्या के समान मन्दिर हैं ।

अब जबकि परिषद ने विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है, मुझे आश्चर्य है कि मुझे तथा प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि कैसे कोई व्यक्ति, रूसी केन्द्र का अध्यक्ष नियुक्त हो गया ।

जिस किसी को भी त्रिवेन्द्रम में नियुक्त किया गया है वह सी० आई० ए० का एजेन्ट है ।

सान फ्रांसिस्को, गुयाना तथा फिजी में तीन सांस्कृतिक केन्द्र इस वर्ष खोलने का प्रस्ताव है । सान फ्राँसिस्को के बारे में परिषद के स्तर पर क्या कार्य किया गया ।

हमें थाइलैंड, बेरुत, यूरोप तथा अफ्रीका जैसे स्थानों में अधिकाधिक सांस्कृतिक केन्द्र खोलने चाहिये तथा प्रत्येक महाद्वीप में सांस्कृतिक केन्द्र खोलने चाहियें ।

विदेश मंत्रालय के एक वर्ष के व्यय, 56 करोड़ रुपये की तुलना में 20 लाख रुपये की राशि बहुत थोड़ी है ।

प्रसन्नता का विषय है कि विदेश मंत्रालय का कार्य कठिन होने के बावजूद भी पहली बार इसके कार्यों की आलोचना नहीं की गई है ।

एशिया की सुरक्षा के बारे में रूस अपने तरीके से तथा भारत अपने तरीके से सोच रहा है, तो इस विषय पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये तथा इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिये ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि श्री निक्सन अमरीका के राष्ट्रपति हैं, अन्यथा यदि वह नहीं होते तो अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे होते । इतिहास की यह एक दुःखद घटना है कि 1945 के पश्चात अमरीका प्रजातांत्रिक देश के रूप में रहना चाहता था, उसने अपनी नीतियों का उल्लंघन किया है ।

आज हम देखते हैं कि एशिया में यदि किसी देश से कोई खतरा है तो वह अमरीका से है । अमरीका ने एशिया में बमबारी की है, इसके नागरिकों को कम कर दिया है । जब तक एशिया से अमरीका नहीं चला जाता है, तब तक एशिया में शांति नहीं होने वाली है ।

अमरीका के लोगों को अपने विचारों का विश्लेषण करना होगा और शोषण को समाप्त करना होगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : विदेश नीति के सम्बन्ध में हम अन्तर्मुखी होते जा रहे हैं तथा पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए सिद्धान्तों पर आधारित बातों से ही हम संतुष्ट होते दिखाई देते हैं ।

जहां तक हमारी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, इस बारे में हमने निष्क्रियता दिखाई है ।

उत्तर देने के लिये हमारी क्षमता को चार-पांच बातों से चुनौती दी जा चुकी है। निक्सन-चाऊ वार्ता के पश्चात जारी की गई विज्ञप्ति में हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयास का उल्लेख किया गया है जो कश्मीर तथा बंगला-देश के बारे में हैं।

वियतनाम में जो भयावह नाटक हो रहा है उसे हम एक निष्प्रभ दर्शक के रूप में अब और अधिक नहीं देख सकते। यदि हमें वियतनाम में कुछ नहीं करना है, तो विश्व के किसी भाग में शायद ही हमें कुछ करना पड़े। दक्षिण-पूर्व एशिया के सम्बन्ध में हमारी कोई नीति नहीं है। मेरे विचार में भारत को दक्षिण पूर्व एशिया की बड़ी शक्ति के रूप में उभरना होगा तथा उसी के अनुरूप अपने आपको ढालना होगा।

इस समय बंगला-देश जिस स्थिति से गुजर रहा है, वह स्थिति भी विचारणीय है। सामाजिक-आर्थिक क्रांति के वर्तमान चरण में तीन प्रकार की विचारधाराएं अवश्य पनपेंगी जिनसे विश्व के महत्वपूर्ण देशों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सम्बन्ध होगा। इन तीन समूहों में दक्षिणपंथियों में अमरीका तथा ब्रिटेन, वामपंथियों में चीन तथा मध्यमार्गियों में भारत तथा रूस होंगे। इन्हीं विचारधाराओं के टकराव से उत्पन्न परिस्थितियों पर भारत तथा बंगला देश के सम्बन्ध निर्भर करेंगे। मुझे पता नहीं कि वहां हो रही इन घटनाओं के बारे में सरकार को पता भी है अथवा नहीं।

हिन्द महासागर का प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसके बारे में कल उपमंत्री ने उल्लेख किया था। इस मामले में बड़ी शक्तियां पहल कर रही हैं जबकि भारत ने इस मामले में कोई पहल नहीं की है।

इस बात की आशंका है कि बड़ी शक्तियों के हिन्दमहासागर में आ जाने से वहां शीघ्र ही युद्धपोतों तथा पनडुब्बियों की संख्या बढ़ जायेगी।

एशिया में तथा विश्व में जापान का उदय एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर विदेश मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया है। जापान एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है तथा वह दिन दूर नहीं है जब जापान प्रत्येक क्षेत्र में महान बन जायेगा।

नीतियां बनाने के सम्बन्ध में यदि भारत तथा जापान के बीच गहरे सम्बन्ध स्थापित किये जायें, तो वे एशिया के हित में होंगे।

हमने इससे पूर्व कोई वार्षिक प्रतिवेदन इतना दिखावेदार नहीं देखा जितना अब इस मन्त्रालय ने किया है। इस प्रतिवेदन में निष्ठा, संतुलन तथा उचित शैली का अभाव है।

हमें इसमें क्या मिलता है ? इसमें अपना ही गुणगान और अपनी ही प्रशंसा की गई है और इससे भी अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि इसमें कुछ देशों के प्रति ऐसे व्यंग्य किये गये हैं जिन्हें गरिमामय नहीं रहा जा सकता। चाहे उन देशों के साथ हमारे कितने ही मतभेद क्यों न हों, हमें अपना संतुलन तथा नियंत्रण बनाये रखना चाहिये। हम ऐसे

प्रतिवेदनों में सादगी, संयम तथा वास्तविकता की आशा करते है। इसके लिए मैं किसी अधिकारी पर आरोप नहीं लगाता हूं।

यह मन्त्रालय संसद के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाल में प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति भुट्टो के पत्र के उत्तर में पत्र भेजा था तथा दोनों देशों के बीच वार्ता की तारीख तथा स्थान निश्चित किया गया था परन्तु विदेश मन्त्री ने इस सदन को सूचित करना उचित नहीं समझा।

हमारे पत्रकारों को मरी में जाने की अनुमति नही दी गई। हमे उसके लिए पाकिस्तानी तथा यूरोपीय एजेन्सियों पर निर्भर करना पड़ा।

इस मन्त्रालय द्वारा सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्धों को अद्भुत ढंग से प्रदर्शित किया जाता है। सोवियत संघ के साथ हमारे जो सम्बन्ध हैं, उनका हम सम्मान करते हैं परन्तु जिस ढंग से इन सम्बन्धों को आदर्श रूप दिया जा रहा है उससे स्पष्ट हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में अभी परिपक्व नहीं हो पाये है तथा ये सम्बन्ध विश्व में हमारी स्थिति के अनुरूप होने चाहिए।

श्री कुमारमंगलम ने कहा है कि अमरीकी सातवें बेड़े के हिन्द महासागर में प्रवेश से भारत को कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि यदि हम इधर भूमि पर लड़ रहे हैं तो अन्य बातों की देख-भाल कोई और कर रहा है, क्या भारत को इस बात से कोई श्रेय मिलता है कि वह विश्व को बताये कि वह सोवियत संघ की छत्रछाया में काम कर रहा है।

पंडित नेहरू ने विश्व के समस्त देशों के साथ मित्रता स्थापित करने का आदर्श हमारे सामने रखा परन्तु ऐसा लगता है कि इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

निक्सन अमरीका के प्रशासन में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है अतः हमें अमरीका में अपने दूतावास का दर्जा घटा देना चाहिए।

यदि हम अमरीका में अपना राजदूत रख सकते हैं तो फिर क्या कारण है कि हम चीन में अपना राजदूत नहीं रख सकते है।

Shri Shankar Dev (Bidar) : India has been an idealistic country and not a pragmatic one like other countries of the world. In view of the rapidly changing situation in the world, there is great need to reorientate our foreign policy. The basis of our foreign policy, at present, is Panchsheel. Now we should frame our foreign policy with the object of setting up a world federation and a world Government. Is the Hon. Minister prepared to think seriously in this direction ?

To start with it, we can have a small confederation of India and Bangla Desh. We can gradually include our friendly nations viz. Burma, Nepal, Afghanistan and Ceylon in the confederation and finally have a world confederation. By having such confederation with Bangla Desh, we can be able to save our expenditure on defence.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past Fourteen of the clock.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

Shri Shankar Dev : At present the different nations of the world are spending an amount of Rs. 375 crores per day on defence.

With the establishment of a world confederation, there will be no need of military forces. Then there will be a small police force of the world. No such huge amount will have to be spent then on defence. Instead we will have to spend nominal amount on the police force.

If India does not initiate in this direction, she will have no existence. All the nations of the world are realistic and pragmatic but India is a far-sighted country. Though she had to sustain some losses, she has always been ideal. For establishing a world federation, there should be a separate ministry and that should be named as 'Ministry for one world'. The function of this Ministry will be to propagate in all the countries that all nations should unite.

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : इस सदन के अनुभवी सदस्यों ने बहुत सी बातों के बारे में कहा कि जर्मन जनवादी गणतन्त्र को मान्यता दी जाये, दक्षिण वियतनाम में अस्थायी सरकार बनाई जाये परन्तु देश के महत्वपूर्ण प्रश्न पर किसी ने कुछ नहीं कहा ।

हम गत 25 वर्षों से शांति स्थापित करने की खोज कर रहे हैं कि किस प्रकार इस उप-महाद्वीप में शांति स्थापित की जाये । इस महाद्वीप में शांति की स्थापना के लिए इस समय तीनों देशो के साथ यदि वार्ता की जाये और वार्ता में सफलता मिल जाये, तो बड़ी शक्तियों को इस महाद्वीप में अपना प्रभाव जमाने से रोका जा सकता है ।

1971 में सरकार ने जिस सराहनीय ढंग से देश की समस्याओं को हल किया और जिनके परिणामस्वरूप बंगला देश बना, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है ।

बड़ी भारी संख्या में आये हुए शरणार्थियों की सरकार ने जिस सराहनीय ढंग से देख-भाल की, उसका श्रेय सभी सम्बन्धित लोगों को मिला हैं । जिस साहस से युद्ध लड़ा गया है उससे विश्व में हमारा सम्मान बढा है ।

आश्चर्य की बात है कि युद्ध समाप्त हुए चार महीने बीत गये हैं परन्तु अभी तक हम शान्ति की शर्तें निश्चित नहीं कर पाये हैं । श्री भुट्टो शांति वार्ता के मामले में पहल करने में झिझकते हैं तो हमें अन्य घटनाओं की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किये बिना पहल कर देनी चाहिए । हमें बंगला देश की यथासंभव सहायता करनी हैं और उसे यह महसूस नहीं होने देना है कि पाकिस्तान के साथ मित्रता बिना उसके परामर्श के की जायेगी ।

युद्ध बन्दियों का मामला पाकिस्तान के लिए एक बहुत नाजुक मामला है और हम भी भविष्य में अपनी सीमा सुरक्षाओं के लिए जो आवश्यक है । उसे उन्हें सौंप नहीं सकते । पाकिस्तानियों के उद्देश्य क्या हैं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता । पाकिस्तानी इसे युद्ध का अन्त नहीं समझते । वह शक्ति संगठित कर रहे हैं । वह इस उपमहाद्वीप में शांति नहीं बनाये रखना चाहते ।

इस समस्या का निदान वार्ताओं द्वारा ही किया जा सकता है । हम आपस में 'पूर्ण शांति चाहते हैं बशर्ते कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो । विश्व की सभी महाशक्तियों को इस सम्बन्ध मे सहायता करनी चाहिए । कुछ विदेशी पत्रकारों ने कहा है कि भारत चित्त विक्षेपी रवैया

अपना रहा है और शांति हेतु प्रयास नहीं कर रहा । यह बात सही नहीं है हमें इस दिशा में दृढता से आगे बढना हैं तथा शांति के लिए स्पष्ट शर्तें पेश करनी हैं । हमें यह देखना है कि किन बातों पर बातचीत की जा सकती, किन पर नहीं । आज भी हमारी नीति गुट निरपेक्षता की है । एक समय गुट निरपेक्षता का अर्थ किसी भी विशेष देश के साथ मित्रता एवं समझौते में न शामिल होना समझा जाता था ।

हमारी गुट निरपेक्षता की आलोचना इजरायल द्वारा की गई और हम पर अरब देशों के साथ मित्रता करने का आरोप लगाया गया । अरब देशों से हमने हर हालत में मित्रता कायम रखनी चाही, हालांकि भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सहायता की थी । कहा जाता है कि हमारी विदेश नीति अभी भी गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्त पर, जोकि एक अनोखा सिद्धान्त है आधारित हैं । यह नीति हमारे लिए उस समय लाभकारी होती थी जब दो महा शक्तियों के बीच युद्ध की अन्तराष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न हो जाती थी । चू कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हो गया है, हमारे लिए यही उचित था कि हम भी अपनी विदेश नीति में परिवर्तन कर लेते । किन्तु हमने ऐसा नहीं किया और अभी हम गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करते आ रहे हैं । अब हमने सोवियत संघ से शाँति मित्रता तथा सहयोग की सन्धि कर ली है और यह समझने लगे हैं कि इससे गुट निरपेक्षता के सिद्धान्त को अधिक शक्तिशाली बना दिया है । किसी भी सिद्धान्त के लचीलेपन की कोई सीमा होनी चाहिये ।

हम यह बात स्वीकार करते हैं कि दो महानतम शक्तियों में से एक के साथ हमने शांति और मित्रता की संधि कर ली है अमरीका के साथ हमारे सम्बन्ध टूटने की स्थिति में हैं और अन्य महाशक्ति चीन के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर): अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करने के पश्चात यह आवश्यक है कि विदेश मंत्रालय विदेशी मामलों में अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य करे । अतंर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण घटनाए घटित हुई हैं, जिनका कि हमें ध्यान रखना है । इनमें से पहली चाऊ एन लाई तथा निक्सन की आपसी बैठक है, जिसका एशियाई देशों के वैदेशिक मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है दूसरा हम शीघ्र ही वियतनाम में एक और दीन बाइन-भू देखेंगे । वहां अमरीकी फौजों की हार होगी और इसके परिणाम आपको पता लगेगें । तीसरी महत्वपूर्ण घटना बंगला देश का अभ्युदय है । बंगला देश की मुक्ति में हमारी सेनाओं ने भारी योगदान दिया । इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं आशा करता हूँ कि सरकार वैदेशिक मामलों में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी ।

हमें पाकिस्तान के साथ स्थायी शाँति स्थापित करनी चाहिये । यह प्रसन्नता की बात हैं कि श्री डी० पी० धर शांति वार्ता के लिए पहले ही प्रस्थान कर चुके हैं । पाकिस्तान के साथ हमारा तीन बार युद्ध हो चुका है किन्तु कुछ भी हल नहीं हुआ है । अत: यह एक और अवसर हमें प्राप्त हुआ है यदि हम पाकिस्तान में व्याप्त स्थिति का लाभ उठा सके और उन्हें स्थिति की वास्तविकता से अवगत करा सके' तो इस बात की संभावना हो सकती है कि हम उनके साथ स्थायी शान्ति स्थापित कर सके ।

जहां तक श्रीलंका का संबंध हैं हमारे उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं । किन्तु कुछ ऐसी समस्याए हैं, जिन पर नए ढंग से विचार करना होगा । प्रधान मंत्री को विरोधी पक्ष के नेताओं से विचार

विमर्श करना चाहिए तथा अन्तिम निर्णय लेकर उन्हे श्रीलंका का दौरा करना चाहिए और इस प्रकार वहाँ बसे हुये भारतीय लोगों का प्रश्न हल कर देना चाहिए ताकि हम इस देश के साथ मैत्री-पूर्ण सम्बन्धो का विकास कर सकें ।

जहां तक नेपाल का सम्बन्ध है वहां के प्रधान मंत्री हमारे देश में आये हुए है और हमने उनके साथ विचार विमर्श भी किया है । नेपाल में विद्युत की अधिकता है उसे वह हमें बेचना चाहते है कि हमें भी उसे खरीदने के लिये तैयार हो जाना चाहिए । वह सडकों का निर्माण करना चाहते है हमें इस सम्बम्ध में अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए । हमें सदा अपने स्वार्थो या लाभों को दृष्टि में नहीं रखना चाहिये । हमें उनके साथ सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए ताकि हमारे आपसी सम्बन्ध और दृढ़ एवं प्रगाढ हों ।

तराई क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट के पास उन लोगो के सम्बन्ध में जो वहां बस गए है तथा कृषि कार्य कर रहें हैं, 30,000 प्रार्थना पत्र विचाराधीन है । नेपाल में नए सुधार कानूनों के अन्तर्गत उन लोगों को भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है । सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां लोग बस सके ।

Shri Rudra Pratap Singh : The Performance of the foreign Ministry of a country is judged from the fact whether the country has succeeded in patching up its differences with otherc ountries and have developed relations with them. Keeping this view into consideration, the policy of our Foreign Ministry has proved a success.

I was a delegate tc U. N. O. U. N. O. discussed two important issues with which India was intimately concerned.

One was the problem of about one crore refugees from Bangla Desh who took shelter In India and the other issue was the admission of China in U. N. O. Our Foreign Minister, by his sustained efforts at the U. N. O., got support of majority of the countries there to solve the refugee problem. The countries which could not help in this direction had their own limitations. Similarly on the question of admission of China into U. N. O., India got the support of almost all the nations.

All the refugees were looked after very well here and after the independence of Bangla Desh. Proper arrangements were made for the return of all refugees. The way, the Ministry handhled the Bangla Desh crisis successfully is known to all of us. All this shows that the performances of the ministry is wonderful. India has emerged as a new and powerful nation in the international sphere due to the policy of sceularism and non alignment followed by our able Prime Minister.

I congratulate the Prime Minister and Foreign Minister for this and support the demands for the grants of the Ministry of External Affairs. 1

विदेश मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय में उन सभी सदरयो का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस सभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी दलों में वैदेशिक कार्यों सम्बन्धी हमारी बुनियादी नीतियों के बारे में मतैक्य पैदा हो गया है यद्यपि यह मतैक्य बहुत वर्षो बाद हुआ है । चर्चा में कई महत्वपूर्ण विषयों को उठाया गया है तथा कई माननीय सदस्यों ने बहुत लाभदायक सुझाव भी पेश किए है । अन्तराष्ट्रीय स्थिति का शायद ही कोई ऐसा पहलू रह गया हों, जिस पर इस बाद-विवाद के दौरान विचार किया गया हो ।

मेरे सहयोगी उपमत्री ने कल चर्चा का उत्तर देते हुए कुछ आर्थिक सहयोग तथा तकनीक सहयोग के कार्यक्रमों का उल्लेख किया था। हम उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहे है।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का यथासंभव प्रयत्न करूंगाँ

गत वर्ष बजट मांगों पर चर्चा करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई है, वह एक स्वतंत्र एवं प्रभुसत्ता सम्पन्न देश के रूप में बंगला देश का अभ्युदय है। हमें बड़ी खुशी है कि मुख्यत: अपने बलिदानों से हमारे पड़ोस में एक नए राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है हमने भी कुछ सीमा तक उसकी सहायता की है। मैं इस संदर्भ में बंगला देश के उन वीर सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बंगला देश की मुक्ति के लिए अपने प्राणो की आहुति दी। साथ ही मैं उन भारतीय सैनिक एव अर्ध सैनिक दलों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने बंगला देश के संघर्ष में अपना योगदान दिया।

बंगला देश सबसे घनी जनसंख्या वाला विश्व का आठवां देश हैं। सुरक्षा परिषद के भार स्थायी सदस्यों सहित इसे 60 से अधिक देशों द्वारा मान्यता दी जा चुकी है। बंगला देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय संयुक्त राष्ट्र सघ में रूस, पोलैंड, मंगोलिया तथा भूटान और अधिकांश पूर्व यूरोपीय देशो ने जो भूमिका निभायी है, हम उसकी सराहना करते है। हमें खुशी है कि कई अन्य देशों ने अब बंगला देश की वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है।

इस उपमहाद्वीप में शांति, स्थिरता सुरक्षा और प्रगति लाने के साझे कार्य में बंगला देश एक सहयोगी और मित्र के रूप में हमारे साथ है। हम इसका स्वागत करते है। बंगला देश के साथ हुई हमारी सहयोग मित्रता एवं शान्ति की संधि द्वारा दोनों देशों के घनिष्ट सम्बन्धों एवं आपसी हितों को मूर्त रूप दिया गया है। यह संधि किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं की गई है और न ही इस संधि के द्वारा दोनों देशो में से किसी भी देश पर किसी तीसरे देश के साथ ऐसे सम्बन्ध स्थापित करने पर कोई रोक लगाई गई है। तथापि, यह बाह्य शक्तियों के लिए एक चेतावनी है कि वे दोनों देशों में से किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे तथा शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा न करे। बंगला देश की शक्ति और स्थिरता में हमारी शक्ति निहित है तथा हम आशा करते है कि एक शक्तिशाली भारत हमारे सब पड़ोसी देशों के लिए शक्ति एवं स्थिरता का स्रोत होगा। इसी मित्रता एवं समानता की भावना के कारण हमने बंगला देश को सहयोग दिया। में शेख मुजीबुर्रहमान तथा उसके सहयोगियों को भारत के प्रति मित्रता की भावना प्रदर्शित करने हेतु धन्यवाद देता हूँ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बंगला देश तथा भारत के बीच हो रही तस्करी एवं अवैध व्यापार के सम्बन्ध में चेतावनी दी है। बंगला देश के साथ किए गए व्यापार समझौते के अन्तर्गत इस अवैध धन्धे को रोकने के लिए भारत ने कई कदम उठाए है। हम तस्करों, चोर बाजारियो जासूसों अथवा अन्य अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को यह अनुमति नहीं दे सकते कि वे इस सीमा का अनुचित लाभ उठाए।

दुर्भाग्यवश पिछले 25 वर्षों के दौरान पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाया है। स्वतंत्रता के पश्चात हमें अपने क्षेत्र की सुरक्षा हेतु चार बार पाकिस्तानी आक्रमण का

सामना करना पड़ा है। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि इन प्रवृत्तियों को बदल दिया जाए ताकि भारत और पाकिस्तान के लोग अच्छे पड़ोसियों की भांति मित्रता एवं सहयोग से रह सकें।

इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपने विशेष दूत श्री डी० पी० धर को भेजा है, जोकि पाकिस्तान के अपने समस्तरीय अधिकारी से प्रारम्भिक वार्ता करेगें। प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति भुट्टो के साथ शिखर सम्मेलन के लिए सहमत हो गई हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन से कुछ उपयोगी एवं प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।

एक माननीय सदस्य ने श्री डी० पी० धर के प्रति अनुचित आरोप लगाए। मैं उन आरोपों का विशिष्ट रूप से खण्डन करता हूँ। श्री डी० पी० धर काफी अरसे तक जम्मू-कश्मीर में मंत्री के ओहदे पर रहे है। सोवियत संघ में उन्हें राजदूत के पद पर भी नियुक्त किया गया था। उनके ज्ञान तथा अनुभव को देखते हुए उन्हें विदेश मंत्रालय की नीति नियोजन समिति का अध्यक्ष चुना गया। अतः यह आरोप लगाना कि श्री डी० पी० धर ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच बंगला देश के बारे में गलतफहमी पैदा की है, बिल्कुल निराधार है। ऐसी बातें करना हमारे लिए तो अनुचित है ही अपितु देश के लिए भी अहितकर हैं।

यह प्रश्न उठाया गया है कि इस दूत स्तरीय वार्ता के बारे में हमारा क्या रवैया है। माननीय सदस्य हमारे रवैये से भलीभांति परिचित है क्योंकि उसका स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री तथा मैंने कई अवसरों पर किया हैं। आप जानते हैं कि हमारे विवाद क्या क्या हैं तथा उनके बारे में हमारा दृष्टिकोण क्या हैं इस समय तो हम केवल इतना कह सकते है कि हम इस उपमहाद्वीप में स्थायी शांती चाहते है तथा हम उन सब समस्याओं को सुलझाना चाहते है, जो इस उद्देश्य की प्राप्ति में रुकावट है। वास्तव में उन समस्याओं को हल करने के लिए जो बंगला देश से संबंधित है बंगला देश को शामिल करना आवश्यक है। वास्तव में हम सब स्तरों पर उन्हें हो रही घटनाओं से सूचित रखते हैं तथा भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे।

यह बात स्पष्ट है कि हम केवल सीधी वार्ता के द्वारा ही पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हमारा यह अनुभव है कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप अथवा मामले को संयुक्त राष्ट्र सघ में उठाने से मामला और उलझ जाता है। विगत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा करने से और पेचीदगियां पैदा हो जाती है। हम यह भी सबक सीख चुके कि केवल कुछ ऊपरी समस्याओं को हल करने से कोई बात नहीं बनती क्योंकि बड़ी और गम्भीर समस्याए ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। इसलिए हमारा यह दृढ संकल्प है कि बुनियादी तथा कम महत्वपूर्ण दोनों प्रकार की समस्याओं कों साथ-साथ हल करने के प्रयास किए जाए।

यह खेद का विषय है कि 25 वर्षों की अल्प अवधि के दौरान भारत तथा पाकिस्तान के बीच चार बार झड़प हो चुकी है। हमने राष्ट्रपति भुट्टो से जोकि पाकिस्तान के निर्वाचित नेता है मैत्रीपूर्ण बातचीत आरम्भ की है। मित्रता एकतरफा नहीं हो सकती। हम आशा करते हैं कि वह सम्बन्धों को सुधारने में सहयोग देगें और एक दिन ऐसा आएगा जब हम यह कह सकेगे कि बंगला देश भारत और पाकिस्तान इस महाद्वीप के तीन मित्र देश है, जो आपस में मिलकर इस उपमहाद्वीप में शांति, मित्रता एवं सहयोग के लिये कार्य कर रहें है।

कई माननीय सदस्यों ने वियतनाम में हो रहें युद्ध के बारे में उल्लेख किया हैं यह बड़े दुख की बात कि वियतनाम गत कई वर्षो से बर्बतापूर्ण संघर्ष का शिकार बना हुआ है। हम वियतनाम कीसाहसी एवं वीर जनता को श्रद्धाँजलि अर्पित करते हैं। वे एक बड़ी सैनिक शक्ति के विरुद्ध

बड़ी बहादुरी से लड़े है हम इस मत से सहमत हैं कि वियतनाम पर कोई बाहरी निर्णय नहीं थोपा जा सकता। इस समस्या का कोई सैनिक हल नहीं हो सकता। वियतनाम से सब विदेशी सेनाओं को विशेषतया अमरीकी सेनाओं को जो वहां सबसे अधिक संख्या में है तुरन्त हटाया जाना चाहिये और वियतनाम की जनता को अपने भाग्य का स्वयं निर्णय करने का अवसर दिया जाये।

पिछले कुछ हफ्तों से उत्तर वियतनाम की जनता पर अमानवीय बमबारी की जा रही है लेकिन इससे उनका साहस टूटा नहीं अपितु उनको बदला लेने की भावना और तीव्र होती जा रही हैं।

हम आशा की एक किरण इस बात में देख सकते हैं कि पेरिस वार्ता पुनः आरम्भ होने जा रही है और आशा है कि इन वार्ताओं से वियतनाम संघर्ष का शीघ्र एवं सफल परिणाम निकलेगा बंगला देश की मुक्ति एक महान वीरतापूर्ण घटना है वियतनाम की मुक्ति भी समान रुप से वीरतापूर्ण और महान घटना होगी।

हमें विश्वास है कि हिन्द चीन वर्तमान स्थिति का समाधान जेनेवा समझौते के जिनमें हिन्द चीन राज्य की एकता क्षेत्रीय अखण्डता स्वतंत्रता और निष्पक्षता का आदर किया गया है ढाँचे के भीतर ही व्यापक समझोते के द्वारा हो सकता है।

कुछ सदस्यो ने इस स्थिति का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में पहल न करने के लिए भारत की आलोचना की है। इस आयोग के कार्यो का निरूपण जेनेवा समझोते में किया हुआ है अर्थात् संबंधित देशों की सहमति से कार्यान्वियन की देख रेख की जा सकती है। एक शांति समझौते के कार्यान्वियन की देख-रेख करने में समर्थ होने के बजाय इस आयोग को एक हिंसात्मक युद्ध देखना पड़ रहा है। इन परिस्थितियो में यह आयोग बहुत कम कर सकने में समर्थ हैं, क्योंकि यह शांति की देख रेख करने के लिए है न कि युद्ध की। यद्यपि भारत, पौलैंड और कनाडा वियतनाम में कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद भी सम्बन्धित देशों और सह-अध्यक्षों द्वारा, व्यक्त इच्छा और प्रार्थना के अनुसार जेनेवा समझौते के प्रतीक के रूप में यहाँ ठहरे हुए हैं, किसी भी सम्बन्धित देश को आयोग के गठन में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है और हम स्पष्ट रूप से किसी भी सम्बन्धित देश द्वारा आयोग के कार्य मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं।

माननीय सदस्य इस बात से भली भाँति परिचित होंगे कि उत्तर वियतनाम और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से सुझाव दिया गया है कि पेरिस वार्ता पुनः प्रारम्भ की जाए और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार समस्या का समाधान युद्ध क्षेत्र में न होकर शिखर सम्मेलन में हो जाएगा। हमारी यह हार्दिक इच्छा है कि वियतनाम की समस्या का निदान शांतिपूर्ण हो ताकि वियतनाम के लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने भविष्य का निर्माण कर सकें।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों को सांमान्य बनाने का अब उपयुक्त समय है। कुछ अन्य सदस्यों का विचार है कि हमारे द्वारा की गई कोई भी एक तरफा चेष्टा के सफल होने की संभावना नहीं है। प्रत्येक देश के राजनयिक अध्यक्ष अन्य देश की राजधानी में कार्य करते हैं। जब कभी भी सम्बन्धों को सुधारने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने की संभावना होगी, तो हम निश्चय ही समता, पारस्परिक आदर के आधार पर ऐसे यथासंभव उपाय करेंगे। पाकिस्तान के साथ गत संघर्ष में हमारे विरुद्ध चीन द्वारा दिए गए शत्रुतापूर्ण वक्तव्यों के बावजूद हमने तनाव को न बढ़ने देने के विचार से कोई उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं की। मैं यह स्पष्ट

करना चाहता हूं कि भारत-रूस संधि चीन के साथ हमारे सम्बन्धों को सामान्य बनाने के मार्ग में रुकावट नहीं हैं। यह संधि चीन अथवा किसी भी अन्य देश के विरुद्ध नहीं हैं। सोवियत संघ स्वयं चीन से अपने सम्बन्ध सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और उसे भारत तथा चीन के सम्बन्ध सामान्य होते देखकर प्रसन्नता ही होगी।

हमने राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा का स्वागत इस आशा से किया था कि इससे किसी तीसरे देश के हितों को हानि पहुंचाए बिना तनाव में कमी होगी। यद्यपि हम यह अवश्य कहेंगे कि राष्ट्रपति निक्सन और प्रधानमंत्री चाऊ-इन-लाई की संयुक्त विज्ञप्ति में जम्मू तथा काश्मीर के उल्लेख से हमें आश्चर्य हुआ है क्योंकि इससे हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ है।

हिंद महासागर के बारे में सामान्य मतैक्य यह है कि इसे शांति का क्षेत्र बनाए रखा जाए तथा बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता से मुक्त रखने और तटवर्ती राज्यों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाए। इसी उद्देश्य से लुकासा में इस मामले पर चर्चा की गई थी।

केवल वही देश अनुपस्थित थे जो रक्षा संधियों के सदस्य है अतः वे लुकासा सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते थे।

इसके पश्चात इस मामले को श्री लंका सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया था। वहां पर यह सर्वसम्मत राय थी कि हिन्द महासागर को बड़ी शक्तियों की होड़ से मुक्त रखा जाये। यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको आसानी से हल किया जा सके। हमें इस बारे में अपने प्रयास जारी रखने होंगे। किसी भी देश द्वारा जब किसी क्षेत्र में नौसेना भेजी जाती है तो यह कहा जाता है कि इसी देश की नौसैनिक शक्ति को निष्प्रभावि करने के लिए ही वह ऐसा कर रहा है। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें समाप्त करना होगा।

लुसाका सम्मेलन के पश्चात से स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अतः इस बारे में हमें अपने प्रयास जारी रखने होंगे। अन्य क्षेत्रों के बारे में भी हमारा अनुभव यह है कि जिन क्षेत्रों में प्रचार विरोधी नौसैना खड़ी है वे भी इनकी उपस्थिति कों सीमित रखने की बात कह रहे हैं।

मुझे यह देखकर खुशी है कि लगभग सभी सदस्यों ने भारत-रूस मैत्री का स्वागत किया है। यह मित्रता समानता, पारस्परिक सम्मान तथा सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित है। हम रूस का धन्यवाद करते हैं कि उसने कठिनाई तथा आवश्यकता के समय हमारा साथ दिया। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध गत पन्द्रह वर्षों में बड़ीं तेजी से तथा संतोषजनक ढंग से बढ़े हैं। रूस के साथ हमने हाल के वर्षों में आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में समझौते किये हैं। इन करारों में कोई गुप्त खण्ड नहीं है। समय ने सिद्ध कर दिया है कि इनसे शान्ति स्थिरता, सुरक्षा तथा प्रगति को तेज तथा मजबूत बनाने में सहायता मिली है, कुछ आलोचक जानबूझकर यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत रूसी गुट में शामिल हो गया है। भारत जैसे आकार का देश किसी अन्य देश का पिछलग्गू नहीं हो सकता। भारत अपनी शक्ति पर खड़ा है। हम आत्म निर्भता और आत्म सम्मान में विश्वास रखते हैं। परन्तु यदि कोई देश दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो हमें उसे ठुकराना नहीं चाहिए।

मैं अमरीका के साथ अपने सम्बन्धो के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। अमरीका के लोगों के लिए हमारे मन में बहुत मित्रता है। परन्तु इस उप-महाद्वीप में हाल में घटी घटनाओं

में अमरीकी सरकार ने पक्षपता पूर्ण और भारत विरोधी रवैया अपनाया फिर भी हम इन सभी बातों को भूलकर नये सिरे से आत्म-सम्मान तथा समानता के आधार पर बातचीत करने को तैयार है। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में अमरीका तथा भारत के हितों में कोई विवाद नहीं है। परन्तु यदि किसी देश की कोई कार्यवाही शान्ति, स्थिरता के विरुद्ध होगी तो हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। हम अमरीकी प्रशासन से राजनयिक स्तर पर सम्बन्ध बनाये हुए हैं परन्तु अभी तक ऐसा कोई संकेत नही मिला कि अमरीका भारत के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारना चाहता है। हमें आशा है कि निकट भविष्य में अमरीका इस क्षेत्र में विकास, शाँति स्थिरता बनाये रखने में भारत के कार्य की प्रशंसा करेगा। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को पुनः हथियार देने अथवा किसी अन्य देश के माध्यम से भिजवाने का प्रयास किया तो हमें इस उप-महाद्वीप की शाँति को भंग करने, तनाव बढ़ाने तथा स्थाई समझौते में बाधा डालने की कार्यवाही मानेंगे। मुझे आशा है कि इस सभा में सभी दलों के सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर अमरीकी सरकार ध्यान देगी और इससे उसे इस उप-महाद्वीप के प्रति ठीक नीति अपनाने में सहायता मिलेगी।

अनेक माननीय सदस्यो ने दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में सामूहिक सुरक्षा का उल्लेख किया है। मैं इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करके कहना चाहता हूं इस बारे में अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग बाते छपी हैं। सामूहिक सुरक्षा का विचार एक अच्छा विचार है यदि इससे इस क्षेत्र के लोग स्वयं को पूर्ण सुरक्षित समझे। परन्तु अनेक माननीय सदस्यों द्वारा इसको ब्रेजनेव सिद्धान्त के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम रूस के साथ सम्पर्क बनाये हुऐ है उन्होंने इस क्षेत्र के किसी भी देश को इस सन्बन्ध में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिये है। अतः यह कहना गलत कि हम रूस के विचारों को आगे बढा रहे हैं। हम इस क्षेत्र में ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहते है जिससे इस क्षेत्र के देशों की प्रभुसत्ता कार्यवाही की स्वतन्त्रता बनी रहे। परस्पर सहयोग से ही शक्ति बढ़ती है।

हमें एक बात याद रखनी हैं कि इस क्षेत्र की समूची स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्रमें अमरीकी सरकार ने रक्षा संधिया की हुई थी परन्तु अमरीकी-चीनी वार्ता से इन संधियों को धक्का लगा है। इन परिस्तिथियों के कारण ही सामूहिक सुरक्षा का विचार सामने आया है। यदि अन्य देशों ने इस के प्रति अच्छा रवैया अपनाया तो ठोस प्रस्ताव रखा जा सकता है हमने बंगला देश के साथ मित्रता और सहयोग का करार किया है इस क्षेत्र के अन्य पड़ोसी सदस्यों के बीच भी इस प्रकार से करार किये जा सकते है। इस प्रकार सामूहिक सुरक्षा के विचार को ठोस रूप दिया जा सकता है। परन्तु इस समय हमारे समक्ष सामूहिक सुरक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सम्बन्ध में किसी भी देश के लिये पहल करना उचित नहीं है। इस क्षेत्र के कुछ देशों को रक्षा प्रबन्धों का पर्याप्त अनुभव हो चुका है। अब उनके लिये इस विषय पर पुर्नविचार किया जा रहा है कि क्या उन्हें इन संधियों से कोई लाभ हुआ है। उनकी कोई समस्या हल हुई है। यह सन्धिया वियतनाम के युद्ध को रोकने में भी असफल रही हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम इस प्रकार का सुझाव देकर इस क्षेत्र के देशों को किसी संधि में शामिल करना चाहते है। हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है।

मैं पश्चिमी यूरोप की स्थिति के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। रुस, पोलेंड तथा फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी ने मास्को तथा वार्सा सन्धियों में जो सहयोग की भावना दिखाई है हम उसका स्वागत करते है। जर्मन संसद द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना अभी शेष है। बर्लिन

के बारे में चार शक्तियों में जो समझौता हुआ है हम उसका स्वागत करते है। हमें आशा है कि इनसे उस क्षेत्र की शान्ति मजबूत होगी तथा तनाव कम होगा। हमारे विकास कार्यक्रम इस बात पर विचार कर रहा है कि इस क्षेत्र में शान्ति बनी रहे।

मैं वाद विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें योगदान दिया है। इससे मंत्रालय के अधिकारी अधिक लगन से अपना कार्य कर सकेंगे।

पश्चिम एशिया के बारे में भी मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र के सभी देशों से हमारे सम्बन्ध मित्रतापूर्ण है। बंगला देश के प्रश्न पर अरब देशों ने जो रवैया अपनाया है उससे हमें भी दुख हुआ है परन्तु हमने इन देशों के नेताओं को स्थिति को वास्ताविकता बताने का प्रयास किया हैं। बंगला देश एक वास्तविकता हैं और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे विचार में अधिक से अधिक अरबदेश इस वास्तविकता को महसूस कर रहें है। पश्चिम एशिया के देशों से हमारे सम्बन्ध परम्परागत है। अरब-इजरायल मामले पर हमने अरब देशों का समर्थन किया था। यह समर्थन कुछ सिद्धान्तों पर किया था। हम समझते है कि फिलिस्तीन की समस्या को शान्तिपूर्ण ढ़ग से हल किया जायेगा। हम ओमान कतार, बहरीन आदि देशों के संयुक्त राष्ट्र में दाखिले का स्वागत करते है। हमने इनसे राजदूत स्तर पर अपने सम्बन्ध स्थापित किये है। भारत और उनके बीच आर्थिक सम्बन्धों के विकास की अनेक सम्भावनाये हैं।

हम अफ्रीका के स्वतंत्रता सैनानियों के संघर्ष का पूरी तरह सर्मथन करते है। हमने समय समय पर उनकी कुछ सहायता भी की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हमने उनका पूरी तरह सर्मथन किया है।

लेटिन अमरीका में भी अनेक परिर्वतन हो रहे हैं। हम उन देशों को बहुत महत्त्व देते है यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने उन देशों का दौरा किया था। हम उनसे आर्थिक सम्बन्धों के विकास के लिये प्रयास कर रहे है ताकि सभी अन्य विकसित देश, चाहे वे कहीं भी हों इकट्ठे प्रगति कर सके। जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के बारे में मैं पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं मुझे इनके बारे में और कुछ नहीं कहना है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मेरे विचार में अध्यक्ष महोदय बजट रूप में भाषण देने के बारे में वक्तियों को कुछ निदेश दे सकते हैं यह आन्तरिक स्थिति की व्याख्या करने का समय नहीं है अनुदानों की मांगे हमारे समक्ष है और अनेक कटौती प्रस्ताव रखे गये है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार मे मैं इस बारे में आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

The cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा विदेश कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गई तथा पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

The following Demands in respect of ministry of External Affairs were put and adopted

भाग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
9	वैदेशिक कार्य	28,50,94,000
10	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	50 89,41,000

औद्योगिक विकास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांग संख्या 52 से 54 और 120 पर चर्चा करेगी। इसके लिये पाँच घन्टे का समय रखा गया है ।

जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देना चाहते है वे पन्द्रह मिनट के भीतर अपनी पर्चिया भेज दें ।

औद्योगिक विकास मन्त्रालय की वर्ष 1972—73 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

भाग सख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
52	औद्योगिक विकास मंत्रालय	1,78,01,000
53	उद्योग	3,88,77,000
54	ग्राम तथा लघु उद्योग	18,83,02,000
120	औद्योगिक विकास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	17,12,28,000

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कांग्रेस सरकार को लाइसेंस देते की नीति से एकाधिकारपतियों का नियंत्रण और बढ़ा है और विदेशी एकाधिकारपति हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में दाखिल हो गये हैं। यह सरकार औद्योगिकरण से लोगो के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में असफल रही है। अपनी इस नीति को जारी रखने के लिये ही कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' जैसे नये नारे बनाये है और लोगो को धोखा देने का प्रयास किया है। आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये इस सरकार ने गत दो अथवा तीन वर्षों में अधिक विदेशी सहायता मांगी है एकाधिकारपतियों को अधिक से अधिक सहायता दी गई हैं। 1971 में विदेशी सहयोग के 166 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार परियोजना तथा गैर परियोजना सहायता में भी वृद्धि हुई है।

इन पूंजी निवेशों में 60 प्रतिशत से अधिक पर अमरीका और ब्रिटेन का नियंत्रण हैं भारत सरकार ने सुनियोजित तरीके से उपर्युक्त विकासों को प्रोत्साहन दिया है सरकार विदेशी पूंजी की निर्भरता को छिपाने का यत्न कर रही है।

हाल ही में औद्योगिक विकास मंत्रालय विदेशों से सयंत्रों का आयात करने को सहमत हो गयी है ऐसे छः प्रस्तावों पर भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। इन सब मामलों में विदेशी फर्मे करोड़ों रुपये दे रही हैं इस संयुक्त क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो माल का उत्पादन किया जा रहा है वह केवल निर्यात के लिये किया जा रहा है इससे साधारण जनता को कोई सहायता नहीं मिलेगी। दूसरी और भारत सरकार तथा भारतीय एकाधिकारी दोनों ही विदेशी फर्मो से मिलकर भारतीय श्रमिक को जो सस्ता हैं, शोषण कर रहे हें, जिससे लाभांश की भारी पूंजी को विभिन्न तरीकों से विदेशों में भेजा जा सकेगा ।

डनलप कम्पनी को रबड़ की बैल्टिंग के लिये और लाइसेंस दिये गये है इसके परिणामस्वरूप देश के कारखानों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

समूचे देश में सिगरेट उद्योग में लगी पूंजी में से 70 प्रतिशत पूंजी वजीर एण्ड कम्पनी और गोल्डन टोबेको कम्पनी की है छः अथवा सात भारतीय कम्पनियां भारी संकट में है। वजीर एण्ड कम्पनी सरकार पर दबाब डाल रही है कि उसे और अधिक उप्पादन की अनुमति दी जाये यदि इसकी अनुमति दे दी जाती है तो अन्य भारतीय सिगरेट कम्पनियों की हालत के बारे में कहना कठिन होगा।

वित्त मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि वर्ष 1971 में जीवन बीमा निगम ने ऋण के रूप में रुपये की धनराशि का वितरण किया। इसमें से 144 लाख रुपये एकाधिकारी वर्गों की कम्पनियों को दिये गये हैं।

सरकार देश को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय विदेशी एकाधिकारियों पर निर्भर कर रही है।

वर्ष 1971 के दौरान एकको के विस्तार और नये एककों के लिये 67 बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस दिये गये दिसम्बर 1971 के अन्त तक 114 लाइसेंस जारी किये गये इसमें 20 बड़े व्यापार गृहों को जारी किये गये लाइसेंस भी शामिल हैं

हमारी औद्योगिक नीतियों की असफलताओं के लिये सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। चौथी पंच वर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन 8 में से 10 प्रतिशत तक वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना सम्भव नहीं है। वर्ष 1969 में वास्तविक वृद्धि 6·9 प्रतिशत हुई। वर्ष 1970–71 में यह वृद्धि 3.6 प्रतिश्त रह गयी।

औद्योगिक लाइसेंस नीति के बारे में बड़े व्यापार गृहों का पक्षपात किया जा रहा है। औद्योगिक लाइसेंस विकसित क्षेत्रों में ही दिये जा रहे है। औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की एक मात्र कसौटी एकाधिकारियों के हितों को पूरा करना हैं। छोटे क्षेत्रो और छोटे उद्यमकर्ताओं और पिछडे क्षेत्रों के लोगो के सैंकड़ों आवेदन-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं।

इस भेदभाव की नीति से केवल देश के एकाधिकारियों को ही लाभ होता है, राज्य की जनता को नहीं। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रो में उद्योगों की स्थापना केवल तकनीकी एव आर्थिक दृष्टिकोण से न कर विभिन्न राज्यों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये।

मैसूर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में कारखाने बन्द हो गये है। इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है लेकिन कोई ठोस कार्य वाही नही की गई है। 600 से अधिक कारखाने अभी भी बन्द पडें है। देश में बन्द पड़े इन कारखानों को चालू करने के बारे में सरकार की क्या नीति है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो में परियोजना के प्रतिवेदन में उल्लिखित उत्पादन क्षमता, लक्ष्य तथा वास्ताविक उत्पादन में भारी अन्तर है। वास्तविक उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनेक शिकायते की गई है। अपने कर्मचारियों से उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इस बारें में माननीय मंत्री को जांच करनी चाहिये।

देश की औद्योगिक स्थिति से एकाधिकारियों को पूरे अवसर मिल रहें हैं और गरीबी हटाओं नारा केवल एक चाल है। यदि औद्योगीकरण किया जाना है, तो बडे व्यापार गृहों को

लाइसेंस दिये जाने बन्द किये जाने चाहिये ।

बड़े व्यापार गृहों द्वारा किये गये कर-अपवंचन के बारे मे मंत्री महोदय को आवश्यक उल्लेख करना चाहिये ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
52.		श्री डी० के० पण्डा		राशि घटा कर एक रुपया कम कर दी जाये
	20.		उपभोक्ता उद्योगों का-राष्ट्रीयकरण करने में असफलता ।	,,
	21.		एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार बड़े बड़े एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीय-करण करने में असफलता ।	,,
	22.		तेल शोधक कारखानों, चाय/काफी बागानों जैसी विदेशी फर्मों का राष्ट्रीयकरण करने मे असफलता ।	,,
	23.		औद्योगिक नीति संकल्प की भावना को कायम रखने में असफलता ।	,,
	24.		औद्योगिक नीति संकल्प को कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,
	25.		औद्योगिक नीति संकल्प और एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाएं अधि-नियम का उल्लंघन करके एकाधिकार गृहों को लाइसैंस देना ।	,,
	26.		सामान्यत: औद्योगिक विकास में और विशेषत: उड़ीसा में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने मे असफलता ।	,,
	27.		आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक नीति संकल्प मे संशोधन करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	28.		क्षेत्रीय दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के विस्तार और विकास के नाम पर यह आड़ ले कर कि	,,

माँग संख्या	कटौति प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौति का आधार	कटौति की राशि
			कोई उद्यमी आगे नहीं आ रहा है, बड़ें बड़ें एकाधिकार गृहों को लाइसेंस देने पर रोक लगाने की आवश्यकता ।	,,
	29.		कुछ थोड़ें से बड़े उद्योगपतियों के हाथों में एकाधिकार के केन्द्रीकरण को रोकने की आवश्यकता ।	,,
	30.		जांच आयोग द्वारा विड़ला बन्धुओं के विरुद्ध शीघ्र जांच कराने की आवश्यकता ।	,,
	31.		उड़ीसा जैसे पिछड़ें राज्यों का वहां पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को जुटा कर विकास करने की आवश्यकता ।	
52.		डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय		100 रुपये
	32.		आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धि के बावजूद देश में विभिन्न उद्योगो को आरम्भ करने में असफलता ।	,,
	33.		मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओ की खोज करने में असफलता ।	
	34.		विभिन्न लघु एवं मध्यम उद्योगो को समय पर कच्चा माल न मिलने के कारण उनकी गिरती हुई आर्थिक स्थिति ।	,,
	35.		मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिला में नीमच नगर में सीमेंट का एक स्वीकृत कारखाना शुरू करने में असफलता ।	,,
	36.		मध्य प्रदेश के रतलाम जिला में कागज उद्योग की स्थापना में विलम्ब व उपेक्षा जबकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध है ।	,,
	37.		राजस्थान में विभिन्न उद्योगों की सम्भावनाओं के बावजूद औद्योगिक विकास करने में असफलता ।	,,
	38.		देश के औद्योगिक विकास में आई गिरावट को रोकने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौति प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौति का आधार	कटौति की राशि
	39.		देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास करने में असफलता।	100 रुपये
	40.		देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर मध्य प्रदेश की ओर जहां औद्योगिक विकास की सम्भावना है ध्यान देने में असफलता।	"
	41.		देश में असन्तुलित औद्योगिक कार्यक्रम के कारण औद्योगिक विकास में असमानताए।	
	42.		ग्रामोद्योगो तथा लघु उद्योगों को पर्याप्त संरक्षण देने में असफलता।	"
	43.		ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने में असफलता।	
52.		श्री प्रसन्नभाई मेहता		राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये
	44.		अलकाक अशडान एण्ड कम्पनी का अर्जन करने में असफलता।	,,
	45.		छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने में असफलता।	
	46.		उद्योगों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने में असफलता।	,,
	47.		गुजरात में बंद मिलों और अन्य उद्योगों का अर्जन करने में असफलता।	,,
	48.		गुजरात राज्य में नये उद्योग खोलने में असफलता।	,,
	49.		उपभोग की वस्तुए तैयार करने वाले उद्योगों को कोई सहायता देने में असफलता।	
53		श्री दीनेन भट्टाचार्य	—	,,
	50.		राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के कार्य चालन में नौकरशाही और लालफीताशाही को दूर करने में असफलता।	"

मांग संख्या	कटौति प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौति का आधार	कटौति कीं की राशि
	51.		सामान्य व्यक्ति के हित में औद्योगीकरण के लिये सोद्देश्य औद्योगिक नीति लागू करने में असफलता ।	,,
	52.		बड़े बड़े औद्योगिक घरानो को लाइसेंस देने की नीति ।	
	53.		बंद पड़े कारखानों को फिर चालू करने के लिये प्रभावी और ठोस उपाय करने में असफलता ।	,,
	54.		बांकुरा पश्चिम बंगाल मे ऊष्म-सह बाने का एक कारखाना चालू करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
	55.		उत्तर बंगाल में कागज मिल खोलने की आवश्यकता ।	,,
	56.		पुरुलिया और बाँकुरा में भूसा मिलें खोलने की आवश्यकता ।	,,
	57.		त्रिपुरा में फलों की डिब्बाबन्दी के लिये कारखाने खोलने की आवश्यकता ।	,,
	58.		आंध्र प्रदेश बिहार और पश्चिम वंगाल में अवशिष्ट पटसन परिस्करण कारखाने पर्याप्त संख्या में खोलने की आवश्यकता ।	
	59.		पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में गत्ता उद्योग खोलने की आवश्यकता ।	,,

श्री जगन्नाथ राव (छतर पुर) : औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई हैं वर्ष 1968-69 में वृद्धि दर 7.1 थी जबकि 1972 में यह घटकर 4.8 रह गयी ।

(**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये**
Shri R· D. Bhandare in the chair)

सूती कपड़ें, कोयले, इस्पात और चीनी के उत्पादन में कमी के कुछ कारण हो सकते हे । लेकिन 1971 में अन्य उद्योगों की प्रगति धीमी होने के कोई कारण नहीं हें । जब तक हम अधिकतम प्रगति दर प्राप्त नहीं करते स्थिति ऐसी ही बनी रहेंगी ।

विभिन्न प्रतिवेदनों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि फरवरी 1970 में अपनायी गई उदार नीति के कारण बड़े बड़े पूंजीपतियों को भारी मात्रा में पूंजी निवेश किये जाने वाले क्षेत्रों में ही सीमित कर दिया गया है । बड़ें बड़ें व्यापार गृहों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाना उचित हैं ।

मध्यम वर्ग के क्षेत्रों को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो रहीं है। पहले यह क्षेत्र कल पुर्जों का उत्पादन करता था जिनमें से अधिकांश कल पुर्जे बड़े बड़े उद्योग पतियों द्वारा खरीद लिये जाते थे। अब भारी पूंजी निवेश करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा इसका निर्माण स्वयं किया जा रहा है इसके परिणाम स्वरूप मध्यवर्ग और छोटे उद्योगों को इन बड़ें बड़ें उद्योगपतियों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। धीमी प्रगति का एक कारण यह भी है।

दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकारी उपक्रमों में बहुत कम धन लगाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये सरकारी क्षेत्र में प्रगति आवश्यक है।

सरकारी क्षेत्र में 100 परियोजनाओं की सूची तैयार की गयी है और उन पर 1190 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है। लेकिन चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों की समाप्ति पर केवल 180 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र में पूँजी निवेश नही हो रहा हैं। संयुक्त उपक्रमों के बारे में दत्त समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में मार्ग निर्देशनों का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। इस बारे में सदन का भी विश्वास प्राप्त नहीं किया गया है।

जब तक सरकार अंश पूंजी में अधिकतम धन नहीं लगायेगी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में इसका बहुमत नही होगा, संयुक्त उपक्रम केवल दिखावा मात्र होगा। सरकार को कम से कम 26 प्रतिशत साम्य पूंजी अपने हाथ में लेनी चाहिए।

क्या गैर सरकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया हैं? प्रत्येक गैर-सरकारी उद्योग ने 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक ऋण ले रखा हैं वित्तीय संस्थानों ने गैर सरकारी क्षेत्र को ऋण दिया हुआ है। हम सरकारी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं कर पाये है। यदि देश में अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो इस बारे में जाँच की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र का विभाजन समाप्त किया जाना चाहिए। अब इस विषय पर विचार किया जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का समूचे रूप में कैसे विकास किया जा सकता है। यह अजीब बात है कि सरकार तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक कोई मिल संकट ग्रस्त नही हो जाती। सरकार को जिन मिलों को अपने अधिकार में लेना है उसमें साधारण और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मध्यम दर्जे का और मोटा कपड़ा बनाना चाहिए। दूसरे युद्ध के दौरान एक स्टैंडर्ड कपड़े का उत्पादन किया गया था, वह अच्छा सस्ता और टिकाऊ था।

गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्य संचालन का क्षेत्र स्पष्ट निर्धारित किया जाना चाहिये। मुख्य क्षेत्र और भारी पूंजी निवेश क्षेत्र में तथा संयुक्त उद्यमों में मुख्य हिस्सेदारी सरकार की होनी चाहिए जिससे हम अर्थव्यवस्था की सहायता कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होंगी।

लघु उद्योग प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। ये उद्योग हमारे देश में एक औद्योगिक आधार बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। इन उद्योगों की हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिए। सहकारिता क्षेत्र को कृषि औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कुटीर उद्योग को भी शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके।

लगभग 2000 वस्तुओं का मानकीकरण करके भारतीय मानक संस्थान ने प्रशंसनीय कार्य किया है मोटर गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाले सब पुर्जो का मानकीकरण नहीं किया गया हैं।

इसके परिणामस्वरुप हमें अच्छी किस्म की कारें प्राप्त नहीं हो रही हैं।

भारतीय मानक संस्थान को यह काम करना चाहिए जिससे देश में अच्छी किस्म की कारों का निर्माण किया जा सके ।

मोटर कार उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि हमारी मोटर कार उद्योग कबाड़ है । यदि प्रबन्धक पुरानी डाइयों की मरम्मत करना और उपभोक्ता की रुचिनुसार एक नया मांडल तैयार करना चाहते है । और यदि वे विदेशी मुद्रा भी अर्जित करना चाहते है, तो सरकार को इसमें हिस्सेदार बन जाना चाहिए और संयुक्त उद्यम बनाने चाहिए । हमें अपने संसाधनों को एकत्र करना चाहिए जिससे हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके ।

देश में तकनीकी विकास के लिए अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है । प्रत्येक देश ने ऐसे तकनीक का विकास किया है कि जो चीज आज कारगार है, वह कल बेकार हो जाती हैं । अतः गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित फर्मो का यह कर्त्तव्य है कि वे तकनीकी अनुसंधान पर प्रर्याप्त धनराशि खर्च करें ।

प्रतिवेदन में प्रतिवर्ष यह जानकारी दी जानी होती है कि सरकारी क्षेत्र में और गैर-सरकारी क्षेत्र में कितना अनुसन्धान हुआ है । और उसके क्या परिणाम निकले है । उन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद से परामर्श करके एक सामान्य प्रौद्योगिकी तैयार करनी चाहिए और उसे बाजार में उपलब्ध किया जाना चाहिये ताकि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सके ।

एक और अजीब बात यह है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की मदद कर रही है। नौवहन विकास निधि की 95 प्रतिशत पूंजी ऋण के रूप में दी गई है, जिस पर 4 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा और 20 वर्षो में भुगतान किया जायेगा और पहले पांच वर्षों में कोई भुगतान नहीं करना होगा । यह उद्योग तुरन्त भुगतान कर सकता है इसे 5 वर्ष का समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार होटल उद्योग को सहायता देने की आवश्यकता नहीं है । इन लोगो को सहायता दे कर सरकार एकाधिकार वाद को प्रोत्साहन देती है और फिर उनपर नियन्त्रण करने में अपने आप को असमर्थ पाती है । अतः हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फिर से विचार करना चाहिए और मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने चाहिए ताकि गैर सरकारी क्षेत्र का प्रसार कम हो और लघु तथा सहकारी क्षेत्र को उचित स्थान मिल सके जिससे अर्थव्यवस्था का संतुलित ढंग से विकास हो सके । क्षेत्रीय विषमताए बढ़ रही है । यदि बड़े बडें उद्योग पति पिछड़े क्षेत्रों में धन नही लगाना चाहते, तो सरकार को स्वयं पूंजी लगानी चाहिए ।

इन शब्दो के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूँ ।

श्री डी० के० पन्डा (भंज नगर) : एकाधिकार की समस्या गम्भीर रूप ग्रहण कर रही हैं । बिरला बन्धुओं की आस्तियाँ 700 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1200 करोड़ रुपये हो गयी है यद्यपि प्रतिवेदन में कहा गया है कि एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है, परन्तु यह बहुत बड़ा छल है । इस अधिनियम के बावजूद कुल आस्तियों का 57 प्रतिशत भाग 75 एकाधिकार गृहों में संचित है यह बहुत बुरी बात है । यह कहा गया है कि लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया हैं परन्तु प्रश्न यह है कि किन लोगों की सहायता करने के लिए उसे उदार बनाया गया हैं ? यह उदारता भी एकाधिकार गृहों की सहायता करने के लिए दिखायी गयी है । एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का निरन्तर उल्लघंन किया जाता रहा है । राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 27-12-1969 को अनुमति दी । 1-1-1970 को

बिड़ला बन्धुओं को उर्वरक संयत्र के लिये लाइसेंस दिया गया था आरम्भ से ही औद्योगिक लाइसेंस नीति और इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा हैं। सरकार ने बिड़ला और मफतलाल बन्धुओं को उद्योग चलाने के लिये 47 परमिट दिए है। वे भारतीय जनता को लूट रहे है उन्हें भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी गई है "दी मिस्टरीज आफ बिड़ला हाऊस" और 'दी मिस्टरीज आफ बजोरिया-जालान हाऊस' नामक पुस्तकों में लिखा है कि इस मंत्रालय का बड़े एकाधिकार गृहों के प्रति कैसा रवैया है। और ये किस प्रकार जनता का शोषण करते है। परन्तु मंत्री महोदय इससे सन्तुष्ट नहीं है अतः मैं माँग करता हूँ कि 'दी मिस्टरीज आफ बाजोरिया जालान' नामक पुस्तक को सभा पटल पर रखा जाये ताकि सभा इस पर चर्चा कर सके और निर्णय कर सके। मैं इस बात की चेतावनी देता हूं कि इस पुस्तक की बिक्री बन्द न की जाये।

औद्योगिक लाइसेंस नीति का उल्लंघन किया जा रहा हैं। यह सब को पता है कि ब्रिटेन को अपने पुराने कारखाने भारत में स्थानान्तरित करने की अनुमति क्यों दी जा रही है? यह मामला राज्य सभा में भी उठाया गया था। गरीबी हटाओं का नारा लगाया गया है। इसका तात्पर्य शक्ति और अर्थव्यवस्था का कुछ एकाधिकारवादी हाथों में सिमट जाने का मुकाबला करना है चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्याँकन में कहा गया है कि औद्योगिक नीति संकल्प को बदलना चाहिए क्योंकि सरकारी क्षेत्र के विस्तार का अर्थ केवल नये उपक्रमों का विस्तार ही नहीं बल्कि लाभ देने वाले उपभोक्ता क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना और उनका राष्ट्रीयकरण करना भी है। परन्तु सरकार इन एकाधिकार गृहों को छूना तक नहीं चाहती जब तक उनका राष्ट्रीय करण नहीं किया जाता तब तक संसाधनों की व्यवस्था कैसे होगी?

यह कहना भी ठीक नहीं हैं कि देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये विदेशी सहयोग आवश्यक है। भारत के एकाधिकारवादी दूसरे देशो के पूंजी लगाने वालों के साथ मिले हुए है। विदेशी एकाधिकारवादी फर्मों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के साथ ऐसे 350 करार किये गये हैं।

एकाधिकार में वृद्धि क्षेत्रीय असंतुलन का मुख्य कारण है। सरकार एकाधिकार गृहों को प्रोत्साहन देती है और उसने दूसरे उद्यमकर्ताओं को बिल्कुल दबा दिया है। सरकार को उद्यमकर्ताओं में विश्वास पैदा करना चाहिये और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिये। उन्हें यह नहीं कहना चाहिये कि पिछड़े क्षेत्रों में कोई उद्यमकर्ता पूंजी लगाने कों तैयार नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह औद्योगिक लाइसेंस नीति को पूरी तरह बदलने के लिये तैयार हैं? दूसरी बात यह है कि एकाधिकार वादियों को दिये गये ऋण तत्काल इक्विटी में बदल दिया जाये। पिछडे क्षेत्रों में स्थानीय उद्यम कर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने चाहिये। तीसरे सरकार को उपभोक्ता उद्योगों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना चाहिये क्योंकि बड़े एकाधिकारवादी उपभोक्ताओं का नियंत्रण शोषण कर रहे है। बड़े व्यापार गृहों के प्रसार पर रोक लगायी जानी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध मे श्रमिकों कों भी शामिल किया जाना चाहिए।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : जिस पुस्तक का उल्लेख श्री डी० के० पंडा ने किया है यह श्री एन० सी० राय की लिखी हुई है, जिसने बिड़ला बन्धुओं की कर अपवंचन में सहायता की थी। सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया था। मेंने यह बात मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कही है।

Shri Paripoornanand Painuli (Tehri Garhwal) : The Ministry of Industrial development have no integrated planning.

(श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुई
Shrimati Sheila Kaul in the Chair)

It has been observed that there is no coordination among the various offices of the Ministry. Many a time one department stands in the way of development and progress of others. The bureaucrats watch their own interest. They are not cooperating in creating socialist pattern of society.

In certain cases, our bureaucrats say that some industries could not be set up due to lack of foreign exchange. but on the other hand, they give licence to certian people for purchasing trading firms. I feel that our bureaucrats do not know how they should work in our developing country. They do not know how to cooperate with the people. As a result of this, our rate of growth stood at 4.7 percent against the target of 9.3 percent in the first two years of the first five year plan. As there is no coordination between va-ious departments, the poor enterpenure has to run from pillar to post and it takes a lot of time to set up an industry. In view of this, I would suggest that a centralised agency should be set up, which should remove the bottlencks in establishing industries among the various department and bring Co-ordination.

Regional imbalances are increasing. I would like to point out that 8 hilly districts of Uttar Pradesh are not being provided with all the amenities which have been provided in Jammu and Kashmir, Nagaland, Himachal Pradesh and Meghalaya. Government of India had announced 10 percent subsidy to establish industries upto the cost of Rs. 50 Lakhs in backward areas. But unfortunately the hilly districts of Uttar Pradesh have not been benefitted by it. The planning commission have admitted in the reappraisal of fourth plan that the assistance given to Uttar Pradesh is below average. Government cannot remove reginonal imbalances by adopting this policy.

Some big industries have been set up in Uttar Pradesh but no ancillary industries have been established. The bureaucrats do not want to establish them because they want to help big industrialists indirectly. I would suggest that a detailed survey should be conducted and after that a national forest-policy should be evolved to remove the poverty of the people of these regions.

*श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : औद्योगिक क्षेत्र की इतनी प्रगति नहीं हुई है जितनी कृषि क्षेत्र की हुई है । वर्ष 1970-71 में 84.54 करोड़ रूपये के मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया जो वर्ष 1971-72 में बढ़ कर 105. 44 करोड़ रुपये का हो गया है । कपड़ा उत्पादन में 7.9 प्रतिशत की कमी हुई है । परन्तु कपड़ा बनाने वाली पुरानी मशीनों को बदलने के लिये पूंजीगत वस्तुओं के अन्तर्गत कोई आयात नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार चमडे और 'फर' उत्पादों में 15.2 प्रतिशत की कमी हुई है । क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूँ कि इस के क्या कारण हैं ; मैं यह जानकर चकित रह गया हूँ कि 20 चमडा और जूते बनाने वाली मशीने बनाने वाले एककों का उत्पादन क्षमता 155 लाख रुपये की है,

वर्ष 1970-71में केवल 25.18 लाख का था । यदि यह बात ठीक है तो चमड़े और 'फर' की वस्तुओं के उत्पादन में कमी होना स्वाभाविक है । ये 20 एकक कहाँ पर स्थित है और इनकी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ? जो एकक पूरी क्षमता का उपयोग नही कर रहे हैं । उनके लाइसेंस रद्द कर दिये जाने चाहिए ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil,

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वेल्लौर में टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन स्थापित किया जाए जहां चमडे के जूते बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। चमड़ा उद्योग के विकास के लिये जो विशेष अध्ययन किये गये है उनकी मुख्य बातें क्या है और निर्यात अवसरों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस कम्पनी, ऊटकमंड ने वर्ष 1967-68 में उत्पादन आरम्भ किया था और वर्ष 1971-72 में इस कारखाने में उसकी अधिष्ठापित क्षमता का केवल 53 प्रतिशत उत्पादन हुआ। अब पता चला है कि इस कारखाने की मशीनरी बदलने वाली है, यदि आरम्भ में सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार किया होता, तो इस प्रकार की स्थिति पैदा न हुई होती बल्कि रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते।

गत दो वर्षों में बहुत से राज्यों में अनेक औद्योगिक एकक बन्द हो गये हैं। इस कारण देश में बेरोजगारी की स्थिति अधिक गम्भीर हो रही है। वर्ष 1970-71 में केवल पश्चिम बंगाल में कारखाने बन्द हो जाने के कारण 18652 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। देश में संकट ग्रस्त मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए औद्योगिक विकास एवं पुनर्वास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके लिये एक करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है। केवल तमिलनाडु में 16 कारखाने बन्द हुए हैं, जिनमें से केवल 6 कारखानों ने पुनः कार्य आरम्भ किया है।

आई० एस० आई० मार्किंग योजना के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों की एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिये। केवल अमरीकी और ब्रिटिश स्टेंडर्ड की नकल करने से हमारी वस्तुओं की किस्म में सुधार नहीं होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में निर्णय किया है कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण और विविधीकरण किया जाना चाहिये जिससे देश के पिछड़ क्षेत्रों का विकास किया जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास में रुची ली हैं।

तमीलनाडु के उत्तरी अरकोट जिले को योजना आयोग ने पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है। में मन्त्री महोदय से अपील करता हूँ कि उत्तरी अरकोट जिले में सरकारी क्षेत्रों का औद्योगिक उपक्रम स्थापित किया जाना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का द्योतक वहां का औद्योगिक विकास है। जब तक हम इतने औद्योगिक कारखाने स्थापित नहीं करते जो 50 लाख व्यक्तियों को प्रतिवर्ष रोजगार दे सके, तब तक बेरोजगारी की गम्भीर समस्या हल होने वाली नहीं है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार केवल 30,000 बेरोजगार व्यक्तियों को ही रोजगार मिल पाता है। हम अधिकाधिक संख्या में उद्योगों की स्थापना की बात करते हैं, परन्तु किसी उद्योग की स्थापना होने और उत्पादन प्रारम्भ होने में 2 से 5 वर्ष तक का समय लगता है और उद्यमकर्त्ता को इधर से उधर भटकना पड़ता है जबकि जापान में 6 महीने के अन्दर ही कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जाता है। 25 लाख रूपये से अधिक की लागत से स्थापित होने वाले कारखानो को स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारो पर लगा प्रतिबन्ध भी समाप्त होना चाहिए। राज्य सरकारों को उद्योग स्थापित करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति लेने की शर्त भी समाप्त होनी चाहिये।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : सर्वप्रथम मैं देश के तीव्र औद्योगीकरण की योजनाओं के लिए औद्योगिक विकास मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं।

(श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए)
(Shri K. N. Tiwary in the Chair)

देश की सम्पन्नता मूलत: कृषि और उद्योग पर निर्भर करती है।

देश के कृषि क्षेत्र में भारी प्रगति पर मुझे अत्याधिक हर्ष है, परन्तु देश के उद्योग के विकास पर अत्याधिक कम अर्थात 2·2% ही है। जनता को दिये गये वचनो को पूरा करने के लिए सरकार को अपनी नीतियो में परिवर्तन करना चाहिए, ताकि नये उद्योगों की स्थापना हो सके। हमें नये उद्यमकत्ताओं को प्रोत्साहन और बढावा देना चाहिए।

बेरोजगारी की समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। इसे हल करने के बारे में में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला तो यह कि हमें श्रम प्रधान उद्योगों जैसे इलेक्ट्रोनिक्स, मत्स्य-पालन और कृषि पर आधारित उद्योगों को बढावा देना चाहिये अगले पांच वर्षों में अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों से लगभग 15 लाख डालर मूल्य के इलेक्ट्रोनिक्स सामान की मांग होने की सम्भावना है। सूक्ष्म तरंग प्रणाली सहित दूर संचार के सभी प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने में भारत समर्थ है। नाइजीरिया को 15 लाख रुपये मूल्य के उपकरणों का निर्यात करके हमने अच्छी शुरूआत की है। स्विट्जरलेंण्ड को सुपर फ्लाउडर माउस राडार सेटों का निर्यात हमने किया हैं। यह सब हमारे कुशल तकानशियनों के कारण ही सम्भव हो सका है। अत: इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

कोटा में इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्टरी तथा इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड मेरी ओर से बधाई के पात्र हैं इन्होंने अच्छा कार्य करके लाभ कमाया हैं। इसका कारण यह है कि इनका प्रबन्ध पुरानी अफसरशाही के हाथो में न होकर युवा तकनीशियनों के हाथों में है अत: मैं पुन: कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कोई खराबी नहीं हैं बशर्ते कि उनका प्रबन्ध योग्य हाथों में हों।

हैवी इलेक्ट्रीकलस फैक्टरी, भोपाल में स्थिति निराशाजनक रही है परन्तु हाल ही में वहां पर कुछ प्रगति हुई है और उन्हें 65 लाख रुपये का लाभ हुआ है मेरा सुझाव है कि वहां पर वर्तमान वस्तुओं के निर्माण के अतिरिक्त आणविक शक्ति केन्द्र के लिए आवश्यक आधुनिकतम इलेक्ट्रीकल उपकरणों तथा रिवर्सीबल टर्बाइनों (Reversible Turbines) का भी निर्माण करना चाहिए।

अन्तत: काकीनाडा और विशाखापट्टनम में समुन्द्री आहार तैयार करने के दो एकक है। काकीनाडा से कोचीन को समुद्री आहार ले जाने में जहाज को 600 मील को दूरी पार करनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जहाज विशाखापत्तनम में से समुद्री उत्पादन लेकर जाए इन सब बातों को कार्य रूप देने से उत्पादन में वृद्धि होगी और देश को लाभ होगा।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : We are witnessing inbalanced industrial development and a cute unemployment problem in the country. It is due to defective economic and industrial policies of our Government. This is clear from Government's report for 1971-72. It has been stated in mid-term appraisal of Fourth Five Plan.

"At the time of their inclusion in the plan, many projects had not been adequately worked out." It further states—

"In many cases, these meant little more than a listing of names."

Only making announcements of granting licenses and establishing new units cannot lead to industrial development. There has been a downward trend in cementt mica, coal electrical goods, tyre and tubes. The Honouralbe Minister has stated about production of one lakh tractors. But still 20 thousand tractors will be imported, whereas our internal demand is of the order of 80 thousand tractors per year. My request is that situation should be reviewed and a practical approach should be adoped.

Industries are not getting financial aid and they have to do a lot of running for securing raw material. In this situation, we cannot expect industrial progress.

There has been a lot of talking about industrial research, the knowledge of which is never made availabele to small seale units. It has been stated by Public Accounts Committee in its 323rd report (vide page 13) :—

> "The Committee wish to reiterate that the results of the research work done by the Conucil of scientific and industrial research are not commensurate with the expenditure on the organisation. According to council's own admission, the requisite integration of research and production as obtaining in western countries is lacking in India.

There has been a lot of discussion on small scale industries. But the Banking Commission on page 118 of its report has stated something which in its precise form is as follows:-

> "These units have, however, a number of problems in regard to bank and credit, and their future development would depend upon how best policeis could be devised to meet them."

Mr. Chairman, small scale industries is the greatest source of employment. We are witnessing a steep rise in unemployment and a decrease in production. Only small seale industries can help us in solving both these problems. A survey should be made in backward and tribal areas for establishing small scale industries. No regional discrimenation should be made in this regard.

I have another request to make that there is great possibility for cement industry in Madhya Pradesh. Cement Corporation of India was to set up a cement factory at Neemuch. But this factory has now gone over to Assam. I fail to understand about this shifting of a factory which was to open in Third Plan and now is going to be opened in Fifth Plan. Similarly, there is great scope for paper industry in Madhya Pradesh. The Goverment should do something for setting up a major industry in this regard.

I, in the end, conclude my speech with this request that our Goverment should base its industrial policy on practical approach. It will be in the national interest and Government should keep it in mind.

Shri Tarkeshwar Pandey (Salempur) : Mr. Chairman, since independance our industrial progress is lagging behind the progress, we have made in other walks of life. Our industrial policy requires a complete overhaul. In this regard I want to suggest that a scientific survey should be made at state and district level and those industries should be planned for which there is scope for development. Licencing policy is very complex one and needs to be made simple so that a licencnes may be granted in a shorter period. A lot of time is wasted in this regard at persent.

In entire country there are 100 backward districts and out of them 36 districts fall in U. P. The reasons for this should be gone into. There are no industries and no licenses have been granted for that area. There are a few industrial pockets like Ghaziabad, Meerut, Kanpur. In rest of area, these are no industries. This inequality should be put to an end.

Small scale industries are playing an important role in industrial development of the country. There are experienced young element who want to start small scale ventures. They should be given adequate facilities and rules should be relaxed for them. Commercial facilities should also be provided to small scale sector for experting their products.

These is great need of opening agro-industries at village and block level and arrangements should also be made for repairing agricultural implements at block level.

We are witnessing a downward trend in textile industry. There is a corporation for running sick mills. Personally, I am aganist this practice because I feel that the mills running at loss should not be taken over as no result will come out of it. This arrangment is a misuse of public funds.

Our industrial progress is very slow. A comprehensive and balanced plan should be made for opening industries from district to state level so that our country may progress as a result of industrial development.

With these words, I support the demands presented by Minister for industrial development.

श्री के० एच० चावडा (पाटन) : स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर मैं यह ठीक समझता हूँ कि देश के औद्योगिक विकास की पुनरीक्षा कर ली जाये । पहले हम कच्चे माल का निर्यात करके तैयार माल का आयात किया करते थे । गैर सरकारी उद्योग भारी उद्योग स्थापित करने से कतराते थे । फिर सरकार ने इस क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना की । यद्यपि इन उद्योगो का कार्य सन्तोषजनक रहा है तथापि बहुत से उद्योग घाटे में चल रहे हैं । जहां तक मूल्य और किस्म का प्रश्न है, हमारे सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों का कार्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों से बहुत पिछडा हुआ है । ऐसा होने के कारण तस्कर व्यापार जोरों पर है । जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य हमारे मूल्यों से कम है तब तक हम तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकते ।

हमारी अर्थव्यवस्था ने औद्योगीकरण से उपभोक्ता को कोई लाभ पहुँचने नहीं दिया । सरकार की वर्तमान नीति के कारण रुपये का मूल्य पिछले 25 वर्षों में घटकर 15 पैसे रह गया है ।

आज मजदूर वर्ग वस्तुओ की बढ रही कीमतों के कारण अपनी मांगे बढ़ाने को बाध्य है । हम इन मांगो को मान लेते हैं और मूल्यों में और वृद्धि हो जाती है । यदि लोगों की सेवा करनी है, तो सरकार को इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा ।

अब में कुछ सुझाव प्रस्तुत करूगां । लायसेसिगं नीति को सरल बनाया जाना चाहिए औद्योगिक विकास मन्त्रालय के सचिव को साक्षात्कार के लिए अलग से कुछ समय निकालना चाहिए ताकि उद्योगों की कठिनाइयों और शिकायतों की सुनवाई हो सके और उन्हें दूर किया जा सके । मेरा अगला सुझाव यह है कि लाइसेंस देते समय उन भारतीय फर्मों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो विदेशी फमों के सहयोग के बिना कार्य करती हैं । मेरा तीसरा सुझाव यह है कि लाइसेंस बिजली, पानी, टेलिफोन की सुविधायें देते समय बड़े शहर से 50 मील की दूरी तक के 1000 अथवा इस कम आबादी वाले ग्रामों में स्थित औद्योगिक एककों को प्राथकिता दी जानी चाहिए ।

श्री धरनीधर दास (मंगलदायी) : औद्योगिक विकास मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ मूलभूत मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ क्योंकि इनका सम्बन्ध हमारी सरकार और नीति से है ।

1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में हमने औद्योगिक नीति संकल्प स्वीकृत किया। 1956 में इसे दोहराया गया और यह स्पष्ट किया गया कि सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी तीनों क्षेत्रो में औद्योगिक विकास में समन्वय होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि धन के कुछ हाथों में एकत्र होने पर रोक लगायी जायेगी।

प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते हुए आज हमें हिचकिचाहट हो रही है परन्तु कांग्रेस ने 1931 के अपने करांची अधिवेशन में यह संकल्प पास किया था कि सभी प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करते समय हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि इसे लाने के दो रास्ते हो सकते हैं। अब इगंलैंड और यूरोप में पूंजीवादी पद्धति से औद्योगिक विकास हुआ तो उसके फलस्वरूप बेरोजगारी और गरीबी की समस्याए और भी भीष्म हो गई। भारत में भी पूंजीवादी पद्धति से जो औद्योगिकरण हो रहा हैं उससे यहां की भूख और गरीबी में और वृद्धि होती जा रही है। हमारी संसद समाजवाद के लक्ष्य को स्वीकार कर चुकी है और समाजवाद ही हमारी सम्पूर्ण राष्ट्रीय नियोजन का आधार है। परन्तु अभी तक हम इस दिशा में कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं। 1947 में यदि बिड़ला बंन्धुओं की आस्तियां 40 करोड़ रुपये की थी तो वह 1967-68 में बढ़कर वह 515 करोड़ रुपये की हो गई हैं। 1964 में किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से पता चला कि हमारे 200 लाख लोग 10½ पैसे प्रति दिन खर्च पर जीवन यापन करते है और 600 लाख लोग 25 पैसे प्रतिदिन पर जीवन निर्वाह करते हैं। हमारी कुल जनसंख्या के केवल 60 प्रतिशत लोग ही एसे हैं जिनकी मासिक आय 20 रुपये है।

हमने गरीबी हटाने का नारा लगाया है यह किस तरह हटायी जा सकती है? यही हमारी प्रमुख समस्या है। इस दिशा में पहला काम यह होना चाहिये कि सभी प्रकार का एकाधिकार समाप्त किया जाना चाहिए। समाजवादी देशों में तो राष्ट्रीय उद्योगों का कम से कम 90 प्रतिशत भाग राज्य के हाथ में होता है।

सभापति महोदय : आप का समय समाप्त हो गया हैं।

श्री धरनी धर दास : मुझे कृपया 10 मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय : आपके साथ सदस्यों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। दूसरी घंटी भी बजाई जा चुकी है। आप अपनी बात केवल दो मिनटों में ही समाप्त कीजिये।

श्री धरनी धर दास : अतः मैं यह कह रहा था कि हमें सरकारी और सहकारी क्षेत्र का विकास करना चाहिये। आज कल निजी और सरकारी क्षेत्र के साथ साथ संयुक्त क्षेत्र की बात भी की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। चीन ने भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस माध्यम का सहारा लिया है। देश में समाजवाद लाने के लिये हम भी इस पद्धति का सहारा ले सकते हैं।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad) : Mr. Chairman, sir, I support the demands of industry department. There can not be two opinions about the fact that industry department has done a commendable job for the development of the country. But in this connection the very first thing which I wish to mention is that tractors are essential for any such development. I am sorry to state about 25,000 applications are lying pending with Agro-Industry of Uttar Pradesh for tractors. No industrial licence for

manufacture of tractors has been given in the Eastern sector of Uttar Pradesh. It was promised by farmer Industry Minister that a tractor factory will be set up in Partapgarh but now for some unknown reasons, this factory is not being set up there. I would like to request the hon. Minister that when once the licence is issued for establishing an industry of a particular place, then the licence should not be asked to shift to some other place.

Sir, secondly, I want to draw the attention of the Government towards the cotage industries in Uttar Pradesh. The cottage industry of Uttar Pradesh has been the back bone of country's industry and every effort should be made to develop the same. Recently about 25,000 weavears of Uttar Pradesh staged a demonstration in front of U. P. Assembly. They also met the Prime Minister. The staple yarn of Uttar Pradesh should be made available to them so that they can earn their livelihood. We should try our best to implement all our social programmes. Radical changes should be brought in our licensing policy for sheedy devlopment of the country. In historical secession of Bombay it was decided to nationalise sugar industry. Now this decision should be implemented without delay. The other factories, which are associated with sugar industry should also be set up in Eastern U. P. A paper mill should also be set up in the most neglected area of Eastern U. P. in public sector. It will not be out of place to mention here that licences should be given to such people who have not already been loaded with licences. Further these licences should be given for the places or areas where no industry has been set up so far.

You know the condition of Eastern and hilly areas or Uttar Pradesh. The Government should pay meessary attention to these areas.

I would request the Government to set up industries in these parts as the country where they have not been set up so far. The licences should not be issued to the big industrial houses.

*श्री के लकप्पा (तुमकुर) : खेद की बात है कि सरकार ने अब तक कोई भी निश्चित औद्योगिक नीति नहीं बनायी सरकार को चाहिये कि अपनी औद्योगिक नीति को नई दिशा दे। भविष्य में बेरोजगारी की समस्या के हल करने के लिये एक सक्रिय नीति अपनायी जानी चाहिये। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पिछड़े राज्यो की ओर विशेष ध्यान दे ताकि वे भी आर्थिक विकास के सम्भावित स्तर तक पहुंच सकें।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): There is no quorum.

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब केरम हो गया है।

श्री के० लकप्पा : यह दुख की बात है कि टाटा और बिड़ला सरकार के संरक्षण में और समृद्ध होते जा रहें है उन्हे ब्याज की थोड़ी दर पर ऋण दिया जा रहा है। बड़े उद्योगपति ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

मैसूर के इस्पात कारखाने में कुप्रबन्ध के कारण आशा के अनुसार उत्पादन नहीं हो रहा है सरकार को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिए।

योजना आयोग ने मैसूर के आठ अथवा नौ पिछड़े जिलो में कुछ उद्योग स्थापित करने पर विचार किया था लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई।

*कन्नड में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Kannada

Shri Shri Kishan Modi (Sikor) : Industries are being set up in various parts of the country without looking into geographical condition and availability of raw material. SalhadiPura in Rajasthan, dne to its geographioal condition, is a place where a fertiliser plant can be set up, but the same is not checking set up there due to some political reason I hope the Government will consider this matter thoroughly,

सभापति महोदय : श्री इसहाक ।

श्री ए० के० एम० इसहाक : सभापति महोदय.....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 27 अप्रैल 1972 / 7 वैशाख 1894 (शक) के ग्यारह बजें म. पू. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on thursday, April 27, 1972/ Vaisaka 7, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar